Sixteenth Lok Sabha
XVSession (18/07/2018 to 10/08/2018)

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 18 जुलाई, 2018/27 आषाढ़, 1940 (शक)

संख्या 288

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. सदस्यों द्वारा शपथ/प्रतिज्ञान

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ/प्रतिज्ञान लिया, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया:—

क्रम सं॰	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	राज्य	शपथ/प्रतिज्ञान	भाषा
1.	श्री कुकडे मधुकरराव यशवंतराव	भंडारा-गोंदिया	महाराष्ट्र	शपथ	हिन्दी
2.	श्री राजेन्द्र गावित धेद्या	पालघर	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
3.	श्री तोखेहो	नागालैंड	नागालैंड	शपथ	अंग्रेजी
4.	श्रीमती तबस्सुम बेगम	कैराना	उत्तर प्रदेश	प्रतिज्ञान	हिन्दी

पूर्वाह्न 11.08 बजे

3. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री बहादुर सिंह, पहली और दूसरी लोक सभाओं के सदस्य, श्री सनत कुमार मंडल, सातवीं से चौदहवीं लोक सभाओं के सदस्य; और श्री कंडाला सुब्रह्मण्यम, पहली लोक सभा के सदस्य के निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने निम्नलिखित का भी उल्लेख किया:—

(एक) उत्तराखंड के पौड़ी-गढ़वाल के जिले में 1 जुलाई, 2018 को एक बस के गहरी खाई में गिर जाने से 48 व्यक्तियों की मृत्यु होने और कई अन्य के घायल होने के बारे में।

(दो) अफगानिस्तान के नंगरहर प्रांत में 16 और 17 जून, 2018 को ईद-उल-फितर उत्सव के दौरान हुए दो आतंकी बम धमाकों में कई व्यक्तियों की मृत्यु होने और अनेक अन्य के घायल होने के बारे में।

(तीन) अफगानिस्तान के जलालाबाद में 1 जुलाई, 2018 को हुए एक आत्मघाती आतंकी हमले में, अफगान सिख और हिन्दु समुदाय के 13 सदस्यों की मुत्यु होने के बारे में।

दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदस्य थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

4. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 1, 2 और 4—7 के मौखिक उत्तर दिए गए।

वह सदस्य, जिनके नाम तारांकित प्रश्न 3 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। सदस्यों द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए।

तारांकित प्रश्न संख्या 8—20 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

5. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1—230 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.04 बजे

6. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष ने सभा को लोक सभा के निम्नलिखित आठ सदस्यों द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के बारे में सूचित किया:—

1. श्री बी॰ एस॰ येदियुरप्पा (शिमोगा, कर्नाटक)
2. श्री बी॰ श्रीरामुलु (बेल्लारी, कर्नाटक)
3. श्री सी॰ एस॰ पुट्टाराजू (मान्डया, कर्नाटक)
4. श्री मेकापति राजमोहन रेड्डी (नेल्लोर, आंध्र प्रदेश)
5. श्री वाई॰ एस॰ अविनाश रेड्डी (कडापा, आंध्र प्रदेश)
6. श्री पी॰ वी॰ मिदून रेड्डी (राजमपेट, आंध्र प्रदेश)
7. डॉ॰ वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली (तिरुपति, आंध्र प्रदेश)
8. श्री वाई॰ वी॰ सुब्बा रेड्डी (ओंगोले, आंध्र प्रदेश)

उन्होंने यह भी सूचित किया कि उन्होंने उनके त्यागपत्र स्वीकार कर लिए हैं।

7. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से सुश्री हिमा दास को 12 जुलाई, 2018 को फिनलैंड के टेम्पेरे में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक फेडरेशन संघ (आईएएएफ) विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में 51.46 सेकेण्ड के समय के साथ 400 मीटर दौड़ में देश का पहला स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी।

अपराह्न 12.05 बजे

8. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा अंतरिक्ष विभाग के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(1) राष्ट्रपति द्वारा 21 अप्रैल, 2018 को प्रख्यापित भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 1)।

(2) राष्ट्रपति द्वारा 21 अप्रैल, 2018 को प्रख्यापित दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 2)।

(3) राष्ट्रपति द्वारा 3 मई, 2018 को प्रख्यापित वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 3)।

(4) राष्ट्रपति द्वारा 18 मई, 2018 को प्रख्यापित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 4)।

(5) राष्ट्रपति द्वारा 31 मई, 2018 को प्रख्यापित राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 5)।

(6) राष्ट्रपति द्वारा 6 जून, 2018 को प्रख्यापित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 6)।

9. मंत्री द्वारा वक्तव्य

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने गृह मंत्रालय से संबंधित मूसलाधार वर्षा और उसके परिणामस्वरूप आई बाढ़ से चेन्नई में आपदा के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 198वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.06 बजे

10. मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव

अध्यक्ष ने सभा को सूचना दी कि उन्हें सर्वश्री श्रीनिवास के॰सी॰ नेनी, श्री कोनाकल्ला नारायण राव, थोटा नरसिम्हम, तारिक अनवर, मो॰ सलीम, मल्लिकार्जुन खड़गे, एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन और के॰सी॰ वेणुगोपाल से मंत्रिपरिषद में अविश्वास के प्रस्ताव के संबंध में आठ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

तत्पश्चात्, श्री श्रीनिवास के॰सी॰ नेनी, जो क्रम में प्रथम थे, ने मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव पेश किए जाने के बारे में सभा की अनुमति मांगी।

अध्यक्ष ने उन सदस्यों, जो अनुमति दिए जाने के पक्ष में थे, से अपने स्थान पर खड़े होने को कहा।

चूंकि पचास से अन्यून सदस्य खड़े हुए, तद्नुसार, अनुमति प्रदान की गई। जब सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.13 बजे पुन: समवेत हुई, अध्यक्ष ने घोषणा की कि प्रस्ताव 20 जुलाई, 2018 को लिया जाएगा।

*अपराह्न 12.23 बजे

11. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) डॉ॰ शशि थरूर ने देश के बहुलतावादी और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रभावित करने वाले तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

डॉ॰ ए॰ सम्पत, डॉ॰ पी॰के॰ बिजु, एडवोकेट जोएस जॉर्ज, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री राजीव शंकर राव सातव, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, प्रो॰ सौगत राय और डॉ॰ कुलमणि सामल सहयोजित हुए।

#श्री अनंत कुमार ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.56 बजे

(दो) श्री कोडिकुन्नील सुरेश ने केरल में प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न समस्याओं के बारे में निवेदन किया और केन्द्रीय सहायता की मांग की।

%श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.58 बजे

(तीन) श्री धर्मेन्द्र यादव ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में आरक्षित पदों के संबंध में रिक्तियों की स्थिति के बारे में निवेदन किया।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले और श्री राजीव शंकरराव सातव सहयोजित हुए।

%श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.10 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.13 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.15 बजे

12. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) *व्यक्तियों का दुर्व्यापार, (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक,* 2018;

(दो) *अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक,* 2018

---

*अपराह्न 12.10 बजे से अपराह्न 1.10 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

#संसदीय कार्य मंत्री।

%गृह मंत्री।

श्री शिव प्रताप शुक्ला की ओर से श्री पी॰ राधाकृष्णन द्वारा पेश किए गए अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया गया।

प्रो॰ सौगात राय ने विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध किया और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन में राज्य मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन में राज्य मंत्री ने सदस्य द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणो का उत्तर दिया।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

(तीन) *भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक,* 2018

(चार) *माध्यास्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक,* 2018

अपराह्न 2.22 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशनुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

1. श्री लक्ष्मी नारायण यादव द्वारा मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीना रेलवे स्टेशन के अंतर्गत रेल विभाग के स्वामित्व वाली खाली पड़ी भूमि पर रेल फैक्ट्री स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2. डॉ॰ उदित राज द्वारा दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रस्तावित चौथे चरण के अंतर्गत मेट्रो रेल सेवा का विस्तार दिल्ली में नरेला तक किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3. श्री निशिकान्त दुबे द्वारा झारखंड के देवधर में प्रस्तावित मिलिट्री स्टेशन के बारे में।

4. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह द्वारा उत्तराखंड की टिहरी बांध परियोजना के जलमग्न क्षेत्र में रह रहे लोगों का पुन:स्थापन एवं पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखंड के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6. श्री भरत सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल स्थापित किए की आवश्यकता के बारे में।

7. श्री रामेश्वर तेली द्वारा असम के डिब्रूगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा विदिशा स्थिति पुरातात्विक संग्रहालय से देवी रुक्मिणी की प्राचीन प्रतिमा को मध्य प्रदेश के दामोह जिले में स्थित दमयंती पुरातात्विक संग्रहालय में स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9. श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा ने राजस्थान के उदयपुर शहर को बी–2 श्रेणी का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा हिन्दी में रचित "आल्हा खंड" महाकाव्य को यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार की कानू बढ़ई, प्रजापति कुम्हार और तांती जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा राजस्थान के सवाई माधोपुर में हम्मीर पुल को चौड़ा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. डॉ॰ बंशीलाल महतो द्वारा छत्तीसगढ़ के कोरबा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विस्थापित हुए लोगों को साउथ–ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में रोजगार उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री रोड़मल नागर द्वारा बाहर से अनुबंध पर नौकरियों में नियोजित कर्मचारियों के कल्याण हेतु नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री एस॰ पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा द्वारा किसानों का ऋण माफ किए जाने के बारे में।

16. श्री राजीव सातव द्वारा महाराष्ट्र के हिंगोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को लाभ सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री एम॰ आई॰ शनवास द्वारा साम्प्रदायिक तनाव से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री वी॰ सत्यबामा द्वारा तमिलनाडु में हथकरघा क्षेत्र को पेश आ रही समस्याओं के बारे में।

19. श्री जी॰ हरि द्वारा तमिलनाडु के अराकोनम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे से संबंधित मुद्दों का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. प्रो॰ सौगत राय द्वारा किसानों का ऋण माफ किए जाने एवं उनके उत्पादों के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. श्री रवीन्द्र कुमार जेना द्वारा ओडिशा में उर्वरक रेक प्वाइंट्स में सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. श्री अरविंद सावंत द्वारा पंजाब में नशे के कारोबार पर रोकथाम लगाए जाने एवं दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. श्री जैदेव गल्ला द्वारा आन्ध्र प्रदेश के कडप्पा में इस्पात संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

24. श्री एम॰ बी॰ राजेश द्वारा केरल स्थित आईआईटी पल्लक्कड़ के स्थायी परिसर के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

25. श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा महाराष्ट्र के डेयरी किसानों को पेश आ रही समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

26. श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

27. श्री विजय कुमार हांसदाक द्वारा खनन परियोजनाओं के पूरा हो जाने के पश्चात् अधिगृहीत भूमि को मूल भू-स्वामियों को सौंपे जाने की आवश्यकता के बारे में।

28. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा एलआईसी एजेन्टों को ईएसआई का लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.23 बजे

14. सरकारी विधेयक—पारित

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017

लिया गया समय: 3 घंटे 31 मिनट

श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लियाः—

1. श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल
2. श्री सुमेधानंद सरस्वती
3. डॉ॰ सी॰ गोपालकृष्णन
4. श्री भर्तृहरि महताब
5. श्री अरविन्द सावंत
6. प्रो॰ सौगत राय
7. श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी
8. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
9. श्री मो॰ बदरूद्दोजा खान
10. डॉ॰ संजय जायसवाल
11. श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा
12. श्री सुरेश सी॰ अंगड़ी
13. श्री के॰वी॰ थामस
14. श्री भगवंत मान
15. श्री लखन लाल साहू
16. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
17. डॉ॰ मनोज राजोरिया
18. श्री दुष्यंत चौटाला
19. श्री भैरों प्रसाद मिश्र
20. श्री राम कुमार शर्मा
21. श्री ई॰टी॰ मो॰ बशीर
22. श्री कौशलेन्द्र कुमार
23. श्री प्रेम दास राई
24. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

श्री प्रकाश जावड़ेकर ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 1 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा विधेयक, यथासंशोधित पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित पारित हुआ।

अपराह्न 5.54 बजे

#15. सांविधिक संकल्प—विचाराधीन

आवंटित समय : 3 घंटे
लिया गया समय : 6 मिनट
शेष समय : 2 घंटे 54 मिनट

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा 21 अप्रैल, 2018 को राष्ट्रपति द्वारा स्थापित भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।''

#16. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018

श्री पीयूष गोयल द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन का भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 19 जुलाई, 2018 के पूर्वाह्न 1100 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

#एक साथ चर्चा की गई।

MGIPMRND—781LS(S3)—18-07-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 19 जुलाई, 2018/28 आषाढ़, 1940 (शक)

संख्या 289

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 21—25 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 26—40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 231—460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष ने सभा को सूचना दी कि ओडिशा के केन्द्रपाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचित सदस्य श्री बैजयंत जे पांडा ने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है और यह कि उन्होंने 18 जुलाई, 2018 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

4. स्थान का रिक्त होना

अध्यक्ष ने सभा को सूचना दी कि केरल के कोट्टयम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री जोस के॰ मणि राज्य सभा में अपने निर्वाचन के परिणामस्वरूप 14 जून, 2018 से लोक सभा के सदस्य नहीं रहे।

अपराह्न 12.03 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र पर सभा पटल रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) एनटीपीसी लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) इंडियन रिन्यूवेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) एसजेवीएन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, गुरुग्राम के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, गुरुग्राम के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उप-धारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 519(अ) जो 1 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास

(वाहनों/उपकरणों/व्यक्तियों के लिए प्रवेश अनुज्ञा पत्र जारी करना (संशोधन) विनियम, 2018 का अनुमोदन किया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केन्द्रीय मोटर यान (अठारहवां संशोधन) नियम, 2017 जो 7 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1482(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय मोटर यान (सत्रहवां संशोधन) नियम, 2017 जो 7 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1483(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 2018 जो 20 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 178(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 जो 5 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 201(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केन्द्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2018 जो 20 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 243(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) केन्द्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2018 जो 13 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 367(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) केन्द्रीय मोटर यान (पांचवा संशोधन) नियम, 2018 जो 13 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 368(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) केन्द्रीय मोटर यान (छठा संशोधन) नियम, 2018 जो 15 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 454(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) केन्द्रीय मोटर यान (सातवां संशोधन) नियम, 2018 जो 25 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 490(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) केन्द्रीय मोटर यान (आठवां संशोधन) नियम, 2018 जो 1 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 518(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) केन्द्रीय मोटर यान (नौवां संशोधन) नियम, 2018 जो 6 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 527(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. विधेयकों पर अनुमति

(एक) महासचिव ने 6 फरवरी, 2018 को सभा पटल पर रखे गए प्रतिवेदन के बाद 16वीं लोक सभा के 14वें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयक सभा पटल पर रखे:—

1. *वित्त विधेयक,* 2018;
2. *विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक,* 2018; और
3. *विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक,* 2018

(दो) महासचिव ने संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2018 की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत प्रमाणित एक प्रति भी सभा पटल पर रखी।

7. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोक लेखा समिति (2018-19) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्र में कार्यरत इकाइयों का मूल्यांकन' के बारे में 103वां प्रतिवेदन।

(2) 'पूर्त न्यास और संस्थाओं को छूट' के बारे में 27वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 104वां प्रतिवेदन।

(3) 'अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटक अवसंरचना का सृजन' विषय के बारे में 105वां प्रतिवेदन।

(4) ''रक्षा भूमि का अनुचित प्रबंधन'' विषय के बारे में 106वां प्रतिवेदन।

8. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री आनंदराव अडसुल ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) के 'भेषज क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में आधारभूत, अनुप्रयुक्त और अन्य शोध को प्रोत्साहन और समन्वय' विषय के बारे में 46वां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) के 'नई यूरिया नीति—2015 का कार्यान्वयन' विषय के बारे में 40वें प्रतिवदेन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 47वां प्रतिवेदन।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) 'वर्ष 2018-19 की अनुदानों की मांगों' के बारे में 43वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 48वां प्रतिवेदन।

9. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग) के बारे में 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जलसंभर विकास उपभाग (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई)' के संबंध में 39वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 49वां प्रतिवेदन।

(2) पंचायती राज मंत्रालय के बारे में 'पंचायतों के कार्यकरण में सुधार' के संबंध में 50वां प्रतिवेदन।

(3) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के बारे में 'राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी)' के संबंध में 51वां प्रतिवेदन।

10. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के विवरण

डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेः—

(1) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित 'बीपीएल सर्वेक्षण (वर्तमान में सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011' पर 16वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों के बारे में 27वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई और अध्याय पांच में सम्मिलित अंतिम उत्तर।

(2) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2016-17)' पर 21वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों के बारे में 28वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई और अध्याय पांच में सम्मिलित अंतिम उत्तर।

(3) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर)' पर 25वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों के बारे में 37वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई और अध्याय-पांच में सम्मिलित अंतिम उत्तर।

(4) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)' पर 36वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों के बारे में 38वें प्रतिवदिन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक

में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई और अध्याय-पांच में सम्मिलित अंतिम उत्तर।

(5) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2017-18)' पर 34वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों के बारे में 41वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई और अध्याय-पांच में सम्मिलित अंतिम उत्तर।

(6) भू-संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2017-18)' पर 33वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों के बारे में 43वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई और अध्याय-पांच में सम्मिलित अंतिम उत्तर।

(7) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2017-18)' पर 35वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों के बारे में 44वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई और अध्याय-पांच में सम्मिलित अंतिम उत्तर।

11. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अधीर रंजन चौधरी ने गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेः—

(1) लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन और विकास के बारे में 204वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति का 212वां प्रतिवेदन।

(2) भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में सुरक्षा स्थिति के बारे में समिति का 213वां प्रतिवेदन।

12. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रह्लाद जोशी ने प्रारूप लोक सेवक (आस्तियों और देयताओं की घोषणा तथा माफी या छूट के लिए आस्तियों का न्यूनतम मूल्य) नियम, 2017 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 97वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

13. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अनंत कुमार ने कार्य मंत्रणा समिति का 54वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

*अपराह्न 12.08 बजे

14. सदस्यों द्वारा निवेदन

श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल ने देश के विभिन्न भागों में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार देने की घटनाओं के बारे में निवेदन किया।

श्री राजीव शंकर राव सातव, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, एडवोकेट जोएस जॉर्ज, श्री रवीन्द्र कुमार जेना और डॉ॰ पी॰के॰ बिजु सहयोजित हुए।

#श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.10 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.13 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.13 बजे

15. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

1. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निर्वाचित प्रतिनिधियों को दिए जाने वाले मानदेय में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कालपी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 (झांसी-कानपुर) के खंड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. कर्नल (सेवा निवृत्त) सोनाराम चौधरी द्वारा राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में रह रहे पाकिस्तान से आए हिन्दू प्रवासियों को नागरिकता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.08 बजे से अपराह्न 1.10 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।
#गृह मंत्री।

4. श्रीमती पूनम महाजन द्वारा कार्बिटोसिन के प्रभावी उपयोग हेतु विनियामक दिशा-निर्देश बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निवेशकों की बकाया राशि का भुगतान शीघ्र और सुगमतापूर्वक किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6. श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश में 'आशा' कर्मियों के मानदेय में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7. श्री लक्ष्मण गिलुवा द्वारा झारखंड के सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इस्पात संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. श्री निहाल चन्द द्वारा इन्दिरा गांधी नहर में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

9. श्री हरीश मीना द्वारा देश में प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री जुगल किशोर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ के कारण अपनी भूमि गंवाने वाले जम्मू-कश्मीर के सीमा क्षेत्र के किसानों को मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उत्तर प्रदेश में बदौसा एवं मारकुन्डी रेलवे स्टेशनों पर क्रमश: बुन्देलखंड एवं रीवा एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री हरिओम सिंह राठौड़ द्वारा संपर्क सड़कों/बाईपास सड़कों को संपर्क सड़कों/बाईपास सड़कों की श्रेणी में शामिल किए जाने तथा भूमि संपरिवर्तन ब्यौरों का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. डॉ॰ किरीट सोमैया द्वारा मुम्बई क्षेत्र में रेलवे द्वारा की गई अवसंरचनात्मक लेखापरीक्षा के परिणामों के बारे में।

14. श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल की सेवा से संबंधित मुद्दों का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री हरिशचन्द्र चव्हाण द्वारा महाराष्ट्र के ओजहर स्थित हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड इकाई में फिफ्थ जेनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के उत्पादन के बारे में।

16. श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा उच्च जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों हेतु आरक्षण लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. डॉ॰ शशि थरूर द्वारा केरल के लोगों को पेश आ रही रेलवे संबंधी समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री वी॰ एलुमलाई द्वारा नीट का वर्ष में दो बार आयोजन करने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. श्री के॰ अशोक द्वारा मत्स्यन और मछुआरों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्रालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. श्री अर्का केशरी देव द्वारा ओडिशा के भवानीपटना में अर्द्धसैनिक बल की एक इकाई तैनात किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. श्री गजानन कीर्तिकर द्वारा अमान्य करार दिए गए जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर रोजगार प्राप्त करने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के बारे में।

22. श्री एम॰ मुरली मोहन द्वारा आन्ध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. श्री तेज प्रताप सिंह यादव द्वारा उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक पासपोर्ट सेवा केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

24. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा जालौन-जलंधर रेलमार्ग का विस्तार नवाशहर, जालंधर होते हुए अमृतसर तक किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

25. श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले के जंतपालि ग्राम स्थित केन्द्रीय विश्वविद्यालय, का नाम संत कबीर दास जी के नाम पर रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

26. श्री एडवोकेट जोएस जॉर्ज द्वारा केरल के पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लाभ के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 02.13 बजे

#16. सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत

लिया गया समय: 3 घंटे 59 मिनट

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा 18 जुलाई, 2018 को प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

> ''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 अप्रैल, 2018 को प्रख्यापित भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।''

चर्चा के पश्चात् संकल्प पर मतदान कराया गया और वह अस्वीकृत हुआ।

#17. सरकारी विधयेक—पारित

भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018

श्री पीयूष गोयल द्वारा 18 जुलाई, 2018 को विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही।

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन ने अपना भाषण प्रारंभ किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री निशिकांत दुबे
2. डॉ॰ शशि थरूर
3. श्री टी॰जी॰ वेंकटेश बाबू
4. श्री कल्याण बनर्जी
5. श्री तथागत सत्पथी
6. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे
7. श्री कुन्डा विश्वेश्वर रेड्डी
8. श्री एम॰बी॰ राजेश
9. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले

एक साथ चर्चा की गई।

10. डॉ॰ किरिट सोमैया
11. श्री अधीर रंजन चौधरी
12. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
13. श्री शरद त्रिपाठी
14. श्री भगवंत मान
15. श्री दुष्यंत चौटाला
16. श्री कौशलेन्द्र कुमार
17. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव
18. श्री राम कुमार शर्मा

श्री पीयूष गोयल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 5, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 6 से 8 स्वीकृत हुए।

खंड 9, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 10, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 11 और 12 स्वीकृत हुए।

खंड 13, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 14 और 15 स्वीकृत हुए।

खंड 16 से 19 स्वीकृत हुए।

खंड 20 से 22 स्वीकृत हुए।

खंड 23, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 24 स्वीकृत हुआ।

खंड 25 स्वीकृत हुआ।

श्री पीयूष गोयल ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

> "कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 की सरकारी संशोधन संख्या 10 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 26 के अंत:स्थापन के लिए एक संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 26 भी स्वीकृत हुआ।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पीयूष गोयल ने विधेयक यथासंशोधित, को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित पारित किया गया।

सायं 6.06 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 20 जुलाई, 2018 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—801LS(S3)—19-07-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 20 जुलाई, 2018/29 आषाढ़, 1940 (शक)

संख्या 290

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के कारण प्रश्नकाल निलंबित होने के फलस्वरूप आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 41—60 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 461—690 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसेज, ऋषिकेश के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसेज, ऋषिकेश के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसेज, पटना के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसेज, पटना के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फार पापुलेशन साईंसेज, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फार पापुलेशन साईंसेज, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अंडमान एंड निकोबार आईलैंड फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अंडमान एंड निकोबार आईलैंड फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फोरस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, देहरादून के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फोरस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, देहरादून के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत दीर्घस्थायी जैविक प्रदूषकों का विनियमन नियम, 2018 जो 5 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 207(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 13 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/03 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) राष्ट्रीय बचत आवर्ती निक्षेप (संशोधन) नियम, 2016 जो 17 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 31(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) (संशोधन) नियम, 2017 जो 17 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 32(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय बचत सावधि निक्षेप (संशोधन) नियम, 2017 जो 17 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 34(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(14) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) किसान विकास पत्र (संशोधन) नियम, 2018 जो 17 जनवरी, 2018 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 29(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवां निर्गम) (संशोधन) नियम, 2018 जो 17 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 30(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(15) लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 की धारा 12 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 33(अ) जो 17 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि 1 जनवरी, 2018 को अथवा उसके पश्चात् लोक भविष्य निधि में प्राप्त अभिदान और अभिदाताओं के खाते में शेष जमा पर प्रतिवर्ष 7.6 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2016 के नियम 7 के उप-नियम (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 28(अ) जो 17 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि 1 जनवरी, 2018 को अथवा उसके पश्चात् सुकन्या समृद्धि खाते में प्राप्त अभिदान और अभिदाताओं के खाते में शेष जमा पर प्रतिवर्ष 8.1 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिनटिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वित्त मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(1) मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल) (2018 का संख्यांक 5)।

(2) मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2018 का संख्यांक 6)—जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राष्ट्रीय परियोजनाआं की निष्पादन लेखापरीक्षा।

(19) (एक) पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017 जो 28 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/10 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत बहिर्गमन और प्रत्याहरण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018 जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत बहिर्गमन और प्रत्याहरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 जो 6 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें विनियम, 2017 जो 3 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 07(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(21) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 19 की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) यूको बैंक (अधिकारियों की) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो

27 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/ईएसटी/2017-18/470 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारियों की) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो 9 फरवरी, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीओआई/एचओ/एचआर/ आईआर/एमएसएस/एल-234 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारियों की) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो 2 मार्च, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 01/2018 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सिंडिकेट बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2016 जो 13 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 160/एसडब्ल्यूडी/पेंशन में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स (अधिकारियों की) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो 20 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3950 में प्रकाशित हुए थे।

(22) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आयकर (25वां संशोधन) नियम, 2017, जो 20 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1527(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) कर विवरणी तैयारकर्ता (संशोधन) स्कीम, 2018, जो 19 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 44(अ) में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2018, जो 19 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 176(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(23) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) संशोधन आदेश, 2018 जो 27 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 186(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2018 जो 27 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 187(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) का०आ० 821(अ) जो 27 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की अनुसूची में उल्लिखित मन:प्रभावी पदार्थों की सूची में 4-मिथाईलेथकैथीनोन, इथाईलोन, पेन्टेड्रोन, इथाइलफैनीडेट, एमपीए एमडीएमबी-सीएचएमआईसीए, 5एफ-एपीआईएनएसीए, एक्सएलआर-11 और कैथा इडुलिस तथा लवण और उनकी निर्मितियों को अधिसूचित किया गया है, ताकि प्रवर्तन एजेंसियां इन पदार्थ के अवैध निर्माण/उपयोग/संचलन के विरुद्ध कार्रवाई कर सकें तथा, एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का०आ० 882(अ) जो 27 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 अक्तूबर, 2001 की अधिसूचना सं० का०आ० 1055(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याखात्मक ज्ञापन।

(पांच) का०आ० 823(अ) जो 27 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित पदार्थों, लवणों और निर्मितियों को विर्निमित औषधि घोषित किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(24) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 273(अ)जो 23 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 52/2003-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 868(अ)जो 28 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) अधिसूचना सं॰ 18/2018-सी॰शु॰(एन॰टी॰) जो 1 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में सपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में, है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) अधिसूचना सं॰ 19/2018-सी॰शु॰(एन॰टी॰) जो 15 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में सपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 1144(अ)जो 15 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(25) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत माल और सेवा कर निधियों का समाधान (संशोधन) नियम, 2018 जो 6 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 145(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(26) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 271 (अ) जो 23 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय उक्त अधिनियम की धारा 7(4) के अंतर्गत 30.06.2018 तक कर संदाय से छूट देना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(27) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 270 (अ) जो 23 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई

थी तथा जिसका आशय उक्त अधिनियम की धारा 5(4) के अंतर्गत 30.06.2018 तक कर संदाय से छूट देना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(28) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केन्द्रीय माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2018 जो 23 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 266 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 267 (अ) जो 23 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ई-वे बिल नियम के प्रवृत्त होने की तारीख को अधिसूचित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 268 (अ) जो 23 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अप्रैल से जून, 2018 महीनों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3 ख भरने के निर्धारित तारीख को विहित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 (4) के अंतर्गत सा॰का॰नि॰ 269 (अ) जो 23 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उक्त अधिनियम की धारा 9(4) के अंतर्गत 30.06.2018 तक कर संदाय से छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(29) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्युचुअल फंड) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 13 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/02 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(30) राष्ट्रीय आवासन बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 की उप-धारा (5) के अंतर्गत राष्ट्रीय आवासन बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्, दंत शल्य चिकित्सा में परा-स्नातक पाठ्यक्रम (पहला संशोधन) विनियम, 2018 जो 15 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-87(1)-2018 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् (नये दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना, नये उच्चतर अध्ययन के पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करना और दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि) (दसवां संशोधन) विनियम, 2018 जो 15 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-22(10)-2018 में प्रकाशित हुए थे।

(33) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) दसवां संशोधन विनियम, 2017 जो 19 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या मानक/एसपी(वाटर एंड बिवरेज)/अधि. (1)/एफएसएसएआई-2016 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञप्तीकरण और रजिस्ट्रीकरण) पहला संशोधन विनियम, 2017 जो 31 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या मानक/ओ एंड एफ/अधिसूचना(6)/एफएसएसएआई-2017 में प्रकाशित हुए थे।

(34) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (उत्कल विश्वविद्यालय), भुवनेश्वर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (उत्कल विश्वविद्यालय), भुवनेश्वर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) दूसरा संशोधन नियम, 2017 जो 14 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 880(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) दूसरा संशोधन नियम, 2017 जो 20 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1526(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) संशोधन नियम, 2018 जो 22 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 48(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (निगमन) संशोधन नियम, 2018 जो 22 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 49(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) संशोधन नियम, 2018 जो 22 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 51(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) संशोधन नियम, 2018 जो 12 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 155(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) कंपनी (रजिस्टर के लिए प्राधिकृत) संशोधन नियम, 2018 जो 19 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 173(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2018 जो 19 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 174(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2018 जो 19 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 175(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) कंपनी (लेखा) संशोधन नियम, 2018 जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 191(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(गयारह) कंपनी (विस्तारणीय व्यापार प्रतिवेदन भाषा में दस्तावेज और प्ररूप दाखिल करना) संशोधन नियम, 2018 जो 8 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 213(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) का॰आ॰ 529(अ) जो 5 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(6) के अंतर्गत सरकारी कंपनियों को एएस-22/इंड एएस-12 के अंतर्गत आस्थगित कर आस्तियों/आस्थगित कर देयताओं से छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 802(अ) जो 26 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 463(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) कंपनी (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2018 जो 22 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 768(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(41) उपर्युक्त (40) की मद सं॰ (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा ने 18 जुलाई, 2018 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 10 अगस्त, 2017 को पारित स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2017 को संशोधनों के साथ पारित किया तथा इस विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा दिया कि संशोधनों पर लोक सभा की सहमति राज्य सभा को सूचित की जाए।

(दो) कि राज्य सभा ने 18 जुलाई, 2018 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 20 दिसम्बर, 2017 को पारित स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2018 संशोधनों के साथ पारित किया तथा इस विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा दिया कि संशोधनों पर लोक सभा की सहमति राज्य सभा को सूचित की जाए।

[&](तीन) कि राज्य सभा ने 19 जुलाई, 2018 को हुई अपनी बैठक में भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया।

4. राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक—सभा पटल पर रखे गए

(एक) *स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक,* 2017

(दो) *स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक,* 2018

[&]अपराह्न 5.03 बजे।

5. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018

पूर्वाह्न 11.03 बजे

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने आयुष मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) मांग संख्या 5 के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 101वें और 105वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

7. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 23 जुलाई, 2018 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

8. प्रस्ताव

श्री अनंत कुमार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 19 जुलाई, 2018 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 54वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

9. मंत्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव

लिया गया समय : 11 घंटे 46 मिनट

श्री श्रीनिवास केसिनेनी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा मंत्रिपरिषद् में अपने विश्वास का अभाव प्रकट करती है''।

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सभा को सूचना दी कि उन्हें श्री श्रीनिवास केसीनेनी से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है कि श्री जैदेव गल्ला को प्रस्ताव पर उनकी ओर से चर्चा प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए। अध्यक्ष ने उनका अनुरोध स्वीकार किया।

तद्नुसार, श्री जैदेव गल्ला ने वाद-विवाद प्रारंभ किया।

निम्नलिखत सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री राकेश सिंह

#2. श्री राहुल गाँधी

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 1.37 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 1.45 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 1.45 बजे

3. श्रीमती निर्मला सीतारमन

4. श्री पी॰ वेणुगोपाल

5. प्रो॰ सौगत राय

6. श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली

7. श्री मुलायम सिंह यादव

8. श्री मोहम्मद सलीम

$9. श्री राजनाथ सिंह

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 4.17 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 4.30 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 4.30 बजे

10. श्री तारिक अनवर

11. श्री राम विलास पासवान

12. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे

13. डॉ॰ हरिबाबू कंभमपति

14. डॉ॰ जय कुमार जयवर्धन

15. श्री दिनेश त्रिवेदी

16. श्री प्रेम सिंह चन्दू माजरा

\# उन्होंने सभा के पुन: समवेत होने के पश्चात् अपना भाषण आरंभ किया।

$ उन्होंने सभा के पुन: समवेत होने के पश्चात् अपना भाषण आरंभ किया।

17. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
18. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
19. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु
20. श्री भगवंत मान
21. श्री वीरेन्द्र सिंह
22. मौलाना बदरुद्दीन अजमल
23. श्री उपेन्द्र कुशवाहा
24. श्रीमती बुत्ता रेणुका
25. श्री दुष्यंत चौटाला
26. श्री पी॰ के॰ कुनहलिकुट्टी
27. श्री कौशलेन्द्र कुमार
28. श्री विजय कुमार हांसदाक
29. श्री असादुद्दीन ओवैसी
30. डॉ॰ फारूख अब्दुल्ला
*31. डॉ॰ धर्मवीर गाँधी
*32. श्री सी॰ एन॰ जयदेवन
33. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
34. श्री रामदास अठावले
*35. श्री थोटा नरसिम्हम
36. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन
*37. श्रीमती गीता कोथापल्ली
*38. श्री मुकेश राजपूत
39. श्री राजू शेट्टी
40. श्री प्रेम दास राई
*41. श्री भैरों प्रसाद मिश्र

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

42. बेगम तबस्सुम हसन

*43. डॉ॰ रविन्द्र बाबू पंजुला

*44. प्रो॰ रिचर्ड हे

*45. श्रीमती संतोष अहलावत

*46. श्री कोनाकल्ला नारायण राव

*47. श्री राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव

*48. श्रीमती मीनाक्षी लेखी

49. श्री आर॰ राधाकृष्णन

50. श्री नरेन्द्र मोदी

51. श्री श्रीनिवास केसिनेनी (उत्तर के माध्यम से)

प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ: #पक्ष में 126,
#विपक्ष में 325

तदनुसार प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

रात्रि 11.12 बजे

(लोक सभा सोमवार, 23 जुलाई, 2018 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

#शुद्धि के अध्यधीन

MGIPMRND—871LS(S3)—20-07-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 23 जुलाई, 2018/1 श्रावण, 1940 (शक)

संख्या 291

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 61, 62 और 64—66 के मौखिक उत्तर दिए गए।

सदस्य, जिनके नाम तारांकित प्रश्न 63 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। सदस्यों द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 63 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए।

तारांकित प्रश्न संख्या 67—80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 691—920 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.03 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) इंडिया ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:—

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को शहरी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस संवितरण नेटवर्क बिछाने, बनाने, प्रचालित करने अथवा उनका विस्तार करने हेतु प्राधिकृत किया जाना) दूसरा संशोधन विनियम, 2018 जो 27 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएनजीआरबी/अथॉ॰/सीजीडी/एडीएम/2018/2 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सलाहकारों की नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2018 जो 26 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ एस-एडमिन/II/XI/2012 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (असंतुलन प्रबंधन सेवा) संशोधन विनियम, 2018 जो 26 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या पीएनजीआरबी/एम(सी)/48 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस संवितरण नेटवर्क के लिए सेवा गुणवत्ता हेतु व्यवहार संहिता) संशोधन विनियम, 2018 जो 20 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या पीएनजीआरबी/मॉनिटरिंग/क्यूएस/सीजीडी/01 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1675(अ) जो 19 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 6 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 753(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति।

(3) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2018-19 के वित्तीय प्राक्कलन और निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो-जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई–टूल रूम (इंडो–जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2016–17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) एमएसएमई–टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2016–17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई–टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2016–17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) एमएसएमई–टूल रूम (सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ हैंड टूल्स), जालंधर के वर्ष 2016–17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई–टूल रूम (सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ हैंड टूल्स), जालंधर के वर्ष 2016–17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) एमएसएमई–टूल रूम (सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2016–17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई–टूल रूम (सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2016–17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोनॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) सर्व शिक्षा अभियान-यूटी मिशन अथॉरिटी अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान-यूटी मिशन अथॉरिटी अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) यूनियन टेरिटरी मिशन अथॉरिटी दादरा एंड नागर हवेली (सर्व शिक्षा अभियान), सिलवासा के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यूनियन टेरिटरी मिशन अथॉरिटी दादरा एंड नागर हवेली (सर्व शिक्षा अभियान), सिलवासा के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) यू॰टी॰ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन एवं दीव (सर्व शिक्षा अभियान), दमन के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यू॰टी॰ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन एवं दीव (सर्व शिक्षा अभियान), दमन के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) कोचीन स्पेशल इकॉनामिक जोन अथॉरिटी, कोचीन के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(27) कोचीन स्पेशल इकॉनामिक जोन अथॉरिटी, कोचीन के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) पीईसी लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) एमएमटीसी लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(29) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) चाय (विपणन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2018 जो 5 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2288 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) चाय भाण्डागारण (लाइसेंसिंग) संशोधन आदेश, 2018 जो 21 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2008 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(30) मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एडमिन—1/स्था./एसपीईडीए/2018 जो 7 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या एडमिन-1/स्था./एसपीईडीए/2014 में कतिपय संशोधन किए गए हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) नार्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट आफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ईटानगर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट आफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ईटानगर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोकराझार के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोकराझार के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरू के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरू के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरू के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, तिरूपति के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, तिरूपति के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, तिरूपति के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर, उदयपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर, उदयपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2017-2018) का 23वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति के की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण

डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (लोक सभा) के प्रतिवेदनों से संबंधित निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) "संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति के अंतर्गत क्रमश: सृजित आस्तियों के नाम सुविख्यात व्यक्तित्वों/राष्ट्रीय आदर्शों/स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखे जाने और संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति की निधियों का उपयोग शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रतिमानों के अनुरूप विद्यालयों में असैन्य निर्माण कार्य" विषय के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति, लोक सभा के चौथे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-अंतिम कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(2) "एमपीलैड्स योजना मार्गदर्शिकाओं में नये प्रावधानों के लिए प्रस्ताव" विषय के बारे में समिति के पांचवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति, लोक सभा के छठे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

%(1) गृह मंत्री ने देश के विभिन्न भागों में भीड़ द्वारा पीटकर मार डालने के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-2019) (मांग संख्या 11) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 140वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

%सायं 6.06 बजे दिया गया।

(3) इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के संबंध में विवरण सभा पटल पर रखे:—

(एक) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और मेकॉन लिमिटेड का वास्तविक और वित्तीय कार्यनिष्पादन' के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-2019) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

7. तम्बाकू बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री सुरेश प्रभु ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन तम्बाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधायी कार्य

8. सरकारी विधेयक—वापस लिया गया।

*(एक) *राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2017*

@(दो) *सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2015*

9. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) *राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2018*

(दो) *सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2018*

(तीन) *होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2018*

---

* विधेयक 10 अगस्त, 2017 को पुर:स्थापित किया गया और उसकी जांच करने तथा उस पर प्रतिवेदन देने के लिए मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया। समिति का प्रतिवेदन 5 जनवरी, 2018 को लोक सभा के सभा पटल पर रखा गया। विधेयक वापस लिए जाने के कारण बताने वाला विवरण सदस्यों को 20 जुलाई, 2018 (प्रात:) को परिचालित किया गया है।

@ विधेयक 20 अप्रैल, 2015 को पुर:स्थापित किया गया। विधेयक वापस लिए जाने के कारण बताने वाला विवरण सदस्यों को 24 मार्च, 2018 को परिचालित किया गया है।

10. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 4) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

11. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2018

श्री पीयूष गोयल द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2018 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिए पेश किए गए प्रस्ताव का विरोध किया गया।

श्री भर्तृहरि महताब ने विधेयक पुर:स्थापित किए जाने का विरोध किया और रेल मंत्री; कोयला मंत्री; वित्त मंत्री; और कार्पोरेट कार्य मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे। वित्त मंत्री ने सदस्य द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों का उत्तर दिया।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

12. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 6) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

13. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 2018

14. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया

दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 2) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

15. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) विधेयक, 2018

16. अध्यादेश के बारे में विवरण

वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 3) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

*अपराह्न 12.23 बजे

17. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल ने केरल में विकास संबंधी मुद्दों में तत्काल हस्तक्षेप किए जाने के साथ राज्य के विभिन्न भागों में अप्रत्याशित बाढ़ की स्थिति के बारे में निवेदन किया।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन और एडवोकेट जोएस जॉर्ज सहयोजित हुए।

%श्री अनंत कुमार ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.05 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.07 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.07 बजे

18. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा बिहार के सीवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मैरवा स्टेशन पर ट्रेन संख्या 22531/32 का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*** अपराह्न 12.23 बजे से अपराह्न 1.05 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।**

% संसदीय कार्य मंत्री।

(4) डॉ॰ भागीरथ प्रसाद द्वारा भिन्ड और भोपाल तथा इटावा और इटारसी के बीच ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री निशिकान्त दुबे द्वारा उग्रवादियों के विरुद्ध संघर्ष के संदर्भ में सोशल मीडिया के बारे में।

(6) डॉ॰ रवीन्द्र कुमार राय द्वारा धनबाद से सूरत के लिए एक नई ट्रेन और सूरत से मालदा के लिए साप्ताहिक ट्रेन को प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री रामदास सी॰ तडस द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के निर्माण हेतु शहरी क्षेत्रों के बराबर निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री लखन लाल साहू द्वारा छत्तीसगढ़ के सभी गांवों में सरकार प्रायोजित कल्याण योजनाओं का विस्तार सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी द्वारा सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) डॉ॰ मनोज राजोरिया द्वारा राजस्थान के करौली जिले में एक राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा गुजरात के अमरेली जिले में रेडियो एफएम केन्द्र शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा झांसी-कानपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री एस॰ पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा द्वारा सुपाड़ी के विरुद्ध तथा कथित दुष्प्रचार के बारे में।

(14) श्री एम॰आई॰ शनवास द्वारा विदेश में मरने वाले लोगों के मृत शरीर को वापस लाए जाने के बारे में।

(15) श्री जे॰जे॰टी॰ नट्टर्जी द्वारा तमिलनाडु में फ्लाई ओवरों के निर्माण के बारे में।

(16) श्री पी॰ कुमार द्वारा तमिलनाडु के तिरुवेरम्बुर रेलवे स्टेशन पर विभिन्न ट्रेनों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) डॉ॰ रत्ना डे (नाग) द्वारा देश में दंत चिकित्सकों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में।

(18) डॉ॰ संघमिता ममताज़ द्वारा आईडीबीआई बैंक कर्मचारियों का वेतन निर्धारण किए जाने के बारे में।

(19) श्री बलभद्र माझी द्वारा ओडिशा में दो सिंचाई परियोजनाओं हेतु अनुमोदन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री श्री सदाशिव लोखंडे द्वारा पेंशन राशि को बढ़ाए जाने के बारे में।

(21) श्री बी॰ विनोद कुमार द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को स्थायी संस्थान बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) डॉ॰ ए॰ सम्पत द्वारा भारतीय खाद्य निगम के कामकाज को दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री धनंजय महाडीक द्वारा कोल्हापुर रियासत के महाराजा राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज को भारत रत्न सम्मान प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री तेज प्रताप सिंह यादव द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन में लाइब्रेरियनों के कामकाज की स्थिति में सुधार लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) कुँवर हरिवंश सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक विद्युत उप-केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.08 बजे

19. सरकारी विधेयक—पारित

परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2017

लिया गया समय: 1 घंटा 43 मिनट

श्री शिव प्रताप शुक्ला द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ शशि थरूर
2. श्री शिवकुमार उदासि

3. श्री कल्याण बनर्जी
4. डॉ॰ प्रभास कुमार सिंह
5. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
6. डॉ॰ रविन्द्र बाबू
7. डॉ॰ ए॰ सम्पत
8. श्री गणेश सिंह
9. श्री शरद त्रिपाठी
10. श्री भैरों प्रसाद मिश्र
11. श्री आनंदराव अडसुल

श्री शिव प्रताप शुक्ला ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री शिव प्रताप शुक्ला द्वारा विधेयक, यथासंशोधित, पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

अपराह्न 3.51 बजे

20. सरकारी विधेयक—पारित

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2017

लिया गया समय: 2 घंटे 16 मिनट

श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा
2. श्री प्रह्लाद सिंह पटेल
3. श्री एम॰ उदयकुमार
4. प्रो॰ सौगत राय
5. डॉ॰ कुलमणि सामल
6. श्री विनायक भावराव राउत
7. डॉ॰ रविन्द्र बाबू
8. श्री पी॰ के॰ बिजू
9. प्रो॰ सीताराम अजमीरा नाईक
10. श्री दुष्यंत चौटाला
11. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
12. श्री वीरेन्द्र कश्यप
13. श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा
14. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
15. श्री कौशलेन्द्र कुमार
16. श्री ई॰ टी॰ मोहम्मद बशीर
17. श्री हरीश द्विवेदी
18. श्री के॰एच॰ मुनियप्पा

श्री प्रकाश जावेड़कर ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा विधेयक, यथासंशोधित, पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

सायं 6.07 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 24 *जुलाई,* 2018 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—914LS(S3)—23-07-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 24 जुलाई, 2018/2 श्रावण, 1940 (शक)

संख्या 292

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने पद्मश्री तथा पद्म भूषण पुरस्कारों से सम्मानित जाने-माने कवि और गीतकार श्री गोपाल दास 'नीरज' का 19 जुलाई, 2018 को दिल्ली में निधन हो जाने के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 81—85 का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 86—100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 921—956, 958—1143 और 1145—1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। अतारांकित प्रश्न संख्या 957 और 1144 को सदस्य (श्री बैजयंत जे॰ पांडा) के त्यागपत्र देने के कारण लोप कर दिये गये।

अपराह्न 12.01 बजे

4. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

''माननीय सदस्यगण, मुझे आपको यह सूचित करना है कि अध्यक्षीय शोध कदम (एसआरआई), जिसका प्रधानमंत्री द्वारा 23 जुलाई, 2015 को उद्घाटन किया गया था, ने 3 वर्ष पूर्ण कर लिये हैं। इस उपलक्ष्य में आज संसदीय सौध के मुख्य समिति कक्ष में अपराह्न 4.30 बजे एक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। भारत के माननीय राष्ट्रपति ने इस समारोह के मुख्य अतिथि होने की सहमति प्रदान की है और माननीय उपराष्ट्रपति भी इस समारोह की शोभा बढ़ायेंगे।

जैसा कि आपको विदित है, एसआरआई का मुख्य उद्देश्य अध्येताओं और विद्यार्थियों को लोक सभा रिसर्च फेलोशिप और इंटर्नशिप प्रदान करने के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व समसामयिक विषयों पर अंतरक्रियात्मक कार्यशालाओं और गोलमेज बैठकों के माध्यम संसद के माननीय सदस्यों और विषय विशेषज्ञों के बीच परस्पर चर्चा के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है।

मैं सभी सदस्यों को आज के समारोह में सादर आमंत्रित करती हूं।''

अपराह्न 12.02 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1460(अ) जो 2 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 371(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 3171(अ) जो 29 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 371(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 859(अ) जो 28 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुआ था तथा जिसके द्वारा दिल्ली 2016 के लिए एकीकृत भवन उप-विधि में कतिपय उपांतरण किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 1502(अ) जो 11 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 5 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1053(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(3) (एक) नेशनल फाउंडेशन फार कम्युनल हार्मनी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फाउंडेशन फार कम्युनल हार्मनी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) आनन्द विवाह अधिनियम, 1909 की धारा 6 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह आनंद विवाह पंजीकरण नियम, 2017 जो 6 नवम्बर, 2017 के अंडमान और निकोबार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 266/2017/एफ॰ सं॰ 27-4/2014-रेव॰ में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दादरा और नागर हवेली आनंद विवाह पंजीकरण नियम, 2017 जो 7 सितम्बर, 2017 के दादरा और नागर हवेली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एडीएम/विधि/29/2017/1747 में प्रकाशित हुए थे।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, पंचकुला के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, पंचकुला का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) बिहार एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिहार एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, पटना का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2018 जो 25 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 399(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1370(अ) जो 26 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों से नेशनल एक्रेडिऐशन बोर्ड फार टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेट्रीस से संबद्ध, उसमें उल्लिखित, संगठनों की प्रत्यायित प्रयोगशालाओं को अनुसंधान और विकास प्रयोजन के लिए कीटनाशी आयात की छूट प्रदान की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) आर्टिफिशल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, नलगोंडा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एसोशिएशन ऑफ द ब्लाइंड, नलगोंडा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) पीएडब्ल्यूएमईएनसीएपी, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पीएडब्ल्यूएमईएनसीएपी, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) शांतिनिकेतन, रंगा रेड्डी, तेलंगाना के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शांतिनिकेतन, रंगा रेड्डी, तेलंगाना के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) स्नेहा सोसायटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, निजामाबाद के वर्ष 2010-2011, 2013-2014 से 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्नेहा सोसायटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, निजामाबाद के वर्ष 2010-2011, 2013-2014 से 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनि:शक्तताग्रस्त ग्रसित व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 36 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास (संशोधन) नियम, 2018 जो 27 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 410(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय अग्नि सेवा कॉलेज, नागपुर (प्रयोगशाला तकनीशियन ग्रेड-एक) भर्ती नियम, 2018, जो 9 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 78 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय अग्नि सेवा कॉलेज, नागपुर छात्रावास वार्डन (समूह-'ग' पद) भर्ती नियम, 2018, जो 13 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 79 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय अग्नि सेवा कॉलेज, नागपुर उप-निदेशक (समूह-'क' पद) भर्ती नियम, 2018, जो 13 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 80 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) राष्ट्रीय अग्नि सेवा कॉलेज, नागपुर मुख्य अनुदेशक (समूह-'ख' पद) भर्ती नियम, 2018, जो 31 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 90 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) राष्ट्रीय अग्नि सेवा कॉलेज, नागपुर कनिष्ठ प्रदर्शक (समूह-'ग' पद) भर्ती नियम, 2018, जो 31 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 91 में प्रकाशित हुए थे।

(29) विदेशियों विषयक आदेश, 1948 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 के नियम 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 2389(अ) और का॰आ॰ 2390(अ) जो 12 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केरल राज्य के कन्नूर विमानपत्तन को भारत से निकास/भारत में प्रवेश हेतु आप्रवास चैक पोस्ट के

रूप में प्राधिकृत घोषित किया गया है और जो पुलिस अधीक्षक कन्नूर, केरल को 'सिविल प्राधिकारी' नियुक्त किए जाने के बारे में हैं।

(दो) का॰आ॰ 2391(अ) और का॰आ॰ 2392(अ) जो 12 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मणिपुर राज्य के मोरेह भू-चैक पोस्ट को भारत से निकास/भारत में प्रवेश हेतु आप्रवास चैक पोस्ट के रूप में प्राधिकृत घोषित किया गया है और जो पुलिस अधीक्षक तेंगनोउपल जिला, मणिपुर को 'सिविल प्राधिकारी' नियुक्त किए जाने के बारे में हैं।

(तीन) का॰आ॰ 2393(अ) और का॰आ॰ 2394(अ) जो 12 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा गुजरात राज्य के सूरत विमानपत्तन को भारत से निकास/भारत में प्रवेश हेतु आप्रवास चैक पोस्ट के रूप में प्राधिकृत घोषित किया गया है और जो पुलिस आयुक्त, सूरत, गुजरात को 'सिविल प्राधिकारी' नियुक्त किए जाने के बारे में हैं।

(30) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च, हाजीपुर के वर्ष 2012-2013 से 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन तथा सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(33) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय मानक ब्यूरो (समनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018, जो 4 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ बीएस/11/11/2018 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो (सलाहकार समितियां) विनियम, 2018, जो 7 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ बीएस/11/04/2018 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय मानक ब्यूरो (हॉलमार्किंग) विनियम, 2018, जो 14 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ बीएस/11/05/2018 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 जो 25 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 584(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(34) भाण्डागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 52 के अंतर्गत भाण्डागारण (विकास और विनियमन) भाण्डागारणों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2018 जो 21 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 251(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 149(अ) जो 8 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि कोई चीनी निर्माता महीने के अंत में, उसमें उल्लिखित मात्रा से कम चीनी स्टॉक नहीं रखेगा।

(दो) सा॰का॰नि॰ 195(अ) जो 28 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उक्त आदेश के खंड (3क) के अंतर्गत देय रिबेट के अध्यधीन 30 सितम्बर, 2015 को समाप्त हुए चीनी वर्ष 2014-2015 के लिए कारखाने या किसी विक्रय केन्द्र के गेट पर प्रदाय किए जाने वाले गन्ने के लिए, उसमें उल्लिखित, इसके साथ ऋजु और लाभकारी मूल्य के रूप में संबद्ध की गई अनुसूची के स्तंभ (स्तंभों) में विनिर्दिष्ट मूल्य जो, उसमें उल्लिखित, उक्त अनुसूची में वैक्यूम पान प्रोसेस चीनी कारखानों के स्वामियों द्वारा या उनके अभिकर्ताओं द्वारा देय होंगे का नियतन किया गया है।

(तीन) लाइसेंसिंग आवश्यकताएं, स्टॉक सीमाएं और विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर संचलन प्रतिबंधों का निराकरण (संशोधन) आदेश, 2018 जो 13 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2414(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(36) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 37 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3127(अ) जो 27 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 29 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3577(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का कार्यवाही सारांश

श्री पी॰ करूणाकरन ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 3 अप्रैल, 2018 को हुई ग्यारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाए गए भारतीय विदेश सेवा (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम, 1961 के बारे में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 28वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ किरीट सोमैया ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये:—

(1) 'ईपीएफओ से छूट प्राप्त संगठन/न्यास/प्रतिष्ठान: कार्यनिष्पादन, मुद्दे और चुनौतियां' के बारे में समिति के 26वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 37वां प्रतिवेदन।

(2) 'उपकर निधियां और कामगारों के कल्याण के लिए उनका उपयोग' के बारे में समिति के 28वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 38वां प्रतिवेदन।

***9. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन**

श्री अनंत कुमार ने कार्य मंत्रणा समिति का 55वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

---

*अपराह्न 12.23 बजे।

अपराह्न 12.06 बजे

10. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से गृह मंत्रालय से संबंधित लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के प्रशासन और विकास के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 204वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(2) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने गृह मंत्रालय से संबंधित 'आंध्र प्रदेश और ओडिशा में राष्ट्रीय आपदा हुदहुद चक्रवात से हुए विनाश' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 195वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(3) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

$अपराह्न 12.07 बजे

11. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) श्री सुदीप बन्दोपाध्याय और डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै ने देश के विभिन्न भागों में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार दिए जाने की घटनाओं के बारे में निवेदन किया।

एडवोकेट जोएस जॉर्ज और रवीन्द्र कुमार जेना सहयोजित हुए।

#श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.24 बजे

(दो) श्रीमती रंजीत रंजन ने सरकारी बाल गृह, मुजफ्फरपुर, बिहार में नाबालिग लड़कियों के साथ कथित यौन दुर्व्यवहार पर टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस) द्वारा किए गए कथित खुलासे के बारे में निवेदन किया।

[$]अपराह्न 12.07 बजे से अपराह्न 1.31 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

#गृह मंत्री।

श्री पी॰एस॰ चन्देल सहयोजित हुए।

#श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.59 बजे

(तीन) श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन ने कर्मचारी भविष्य निधि पेंशनरों की समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में निवदेन किया।

श्री इन्नोसेन्ट, श्री पी॰के॰ बिजू, श्री एम॰बी॰ राजेश, एडवोकेट जोएस जॉर्ज और श्री भैरों प्रसाद मिश्र सहयोजित हुए।

%श्री अनन्त कुमार ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.31 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.31 *बजे पुन: समवेत हुई)*

अपराह्न 2.31 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) डॉ॰ किरीट सोमैया द्वारा मुंबई के आवासीय क्षेत्रों में निजी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में।

(2) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा विशेष रूप से बिहार और झारखंड मे राष्ट्रीय राजमार्गों और राजकीय राजमार्गों से जोड़ने वाली सम्पर्क सड़कों के निर्माण की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री प्रह्लाद सिंह पटेल द्वारा वृद्धावस्था पेशन, विधवा पेंशन और दिव्यांगों को उनके निवास स्थान पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने और पेंशन राशि बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) कर्नल सोनाराम चौधरी द्वारा राजस्थान में जैसलमेर-बाड़मेर-भाभर रेल लाइन परियोजना हेतु धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

#गृह मंत्री।

%संसदीय कार्य मंत्री।

(5) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा नए सिरे से सामाजिक–आर्थिक जातीय जनगणना कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री राघव लखनपाल द्वारा दिल्ली से बाहर रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों का दिल्ली के अस्पतालों में नि:शुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में 'राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय' हेतु धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री रामेश्वर तेली द्वारा असम में दो कागज मिलों को पुन: खोले जाने के बारे में।

(9) श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा सीकर और दिल्ली के बीच रेल गाड़ी संख्या 14021/22 को दैनिक आधार पर चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री राम टहल चौधरी द्वारा झारखंड के रांची में एक इंजीनियरिंग छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या की सीबीआई जांच कराए जाने के बारे में।

(11) श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'सुगम्य पुस्तकालय' और दिव्यांग अनुकूल विमानपत्तन सुविधाओं के बारे में।

(12) श्री शरद त्रिपाठी द्वारा शहरी और अर्द्ध–शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नदियों में अशोधित जल छोड़े जाने से रोकने की आवश्यकता के बारे में।

(13) डॉ॰ बंशीलाल महतो द्वारा कोरबा–रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का प्रचालन पुन: शुरू करने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री देवजी एम॰ पटेल द्वारा बीकानेर–दादर सुपरफास्ट ट्रेन की आवृत्ति बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री आर॰ ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक के चरमराजनगर जिले के 24 जनजातीय कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री सी॰ गोपालकृष्णन द्वारा तमिलनाडु को शिक्षा क्षेत्र से संबंधित लंबित धनराशि जारी किए जाने के बारे में।

(17) डॉ॰ जे॰ जयवर्धन द्वारा तमिलनाडु के मछुआरा समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने के बारे में।

(18) प्रो॰ सौगत राय द्वारा देश में बेरोजगारी की स्थिति के बारे में।

(19) श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी सिंह द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मानदंडों में ढील दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री अरविंद सांवत द्वारा रेलवे प्लेटफार्मों पर मौजूदा खान-पान व्यवस्था को जारी रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान द्वारा भारत-बांग्लादेश सीमा पर निर्माण कार्य के बारे में।

(22) श्री राजेश रंजन द्वारा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में भर्ती के लिए आरक्षण संबंधी रोस्टर को बदले जाने के बारे में।

(23) डॉ॰ धर्म वीर गांधी द्वारा पंजाबी भाषा को चंडीगढ़ की राजभाषा बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा सुपरस्पेशलिटी चिकित्सा उपचार के संबंध में ईएसआईसी के आदेशों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्री सी॰एन॰ जयदेवन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर मुडीकोड के पास पार-पथ और मुलाकरा सेंटर-मुलायम रोड जंक्शन पर वाहन यातायात के लिए एक अंडर पास का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.32 बजे

13. सरकारी विधेयक—पारित

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018, राज्य सभा द्वारा यथापारित

लिया गया समय: 3 घंटे 42 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव डॉ॰ जितेन्द्र सिंह द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. श्री प्रहलाद जोशी
3. श्री एस॰ सेल्वाकुमार चिन्नैयन

4. श्रीमती अपरूपा पोद्दार

5. श्री तथागत सत्पथी

6. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

7. श्री अरविंद गणपत सावंत

8. श्री एन॰ क्रिष्टप्पा

9. श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी

10. श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान

11. श्रीमती गीता कोथापल्ली

12. श्री राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव

13. श्री प्रवेश साहिब सिंह

14. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा

15. श्री भगवंत मान

16. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर

17. श्री बूरा नरसैय्या गौड

18. श्रीमती पूनम महाजन

19. प्रो॰ के॰वी॰ थॉमस

20. श्री राम कुमार शर्मा

21. श्री कौशलेन्द्र कुमार

22. डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक'

डॉ॰ जितेन्द्र सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 19 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ॰ जितेन्द्र सिंह ने विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 6.14 बजे

(लोक सभा बुधवार, 25 *जुलाई,* 2018 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—992LS(S3)—24-07-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 25 जुलाई, 2018/3 श्रावण, 1940 (शक)

संख्या 293

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 101, 102 और 106 के मौखिक उत्तर दिये गये।

सदस्य, जिनके नाम तारांकित प्रश्न 103, 104 (111 के साथ युग्मित) और 105 सूचीबद्ध थे, अनुपस्थित थे। तथापि संबंधित मंत्रियों ने उनके उत्तर सभा पटल पर रखे। सदस्यों द्वारा तारांकित प्रश्न 103, 104 और 111 (युग्मित) तथा 105 के पूरक प्रश्न पूछे गए।

तारांकित प्रश्न संख्या 107—110 और 112-120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151-1238 और 1240-1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। अतारांकित प्रश्न संख्या 1239 को सदस्य (श्री बैजयंत जे॰ पांडा) के त्यागपत्र देने के कारण लोप कर दिया गया।

अपराह्न 12.06 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये:—

(1) (एक) एरोनाटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बैंगलोर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एरोनाटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बैंगलोर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) यूरेनियम कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(7) (एक) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2268(अ), जो 4 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जो स्थायी समिति के उप-सभापति के रूप में श्री के॰के॰ सिंह के कार्यकाल को तीन वर्ष के लिए बढ़ाते हुए कोयला मंत्रालय में पुनर्गठित कोयला, लिग्नाइट और बालू की धराई से संबंधित खनन योजना के अनुमोदन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आईआरसीओएन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) मुंबई रेलवे विकास कार्पोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) रेल विकास निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) रेलटेल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(आठ) आरआईटीईएस लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(नौ) कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दस) डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्यारह) इंडियन रेलवे फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(बारह) कोलकाता मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(13) नेशनल माइनरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कार्पोरेशन तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अध्यादेश, 2018 द्वारा अंत:स्थापित वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 21क की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वाणिज्यिक न्यायालय (संस्थान-पूर्व माध्यस्थम और सुलह) नियम, 2018 जो 3 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 606(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वाणिज्यिक न्यायालय (सांख्यिकीय आंकड़े) नियम, 2018 जो 3 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 607(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(15) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) मिश्रधातु निगम लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा बीईएल ऑपट्रानिक डिवाइसेस लिमिटेड के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(आठ) भारत डाइनेमिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(नौ) बीईएमएल लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 23 जुलाई, 2018 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 15 मार्च, 2018 को यथापारित विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) विधेयक, 2018 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री थांगसो बाइटे ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का 42वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी ने रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'सशस्त्र बलों की तैयारी–रक्षा उत्पादन और खरीद' विषय पर प्राक्कलन समिति (2018-19) का 29वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गाँधी ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (16वीं लोक सभा) के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर समिति का की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2018-19) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये:—

(1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) से संबंधित "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में विश्वविद्यालयों, तकनीकी, चिकित्सा और अभियांत्रिकी संस्थाओं सहित शैक्षणिक संस्थाओं की

भूमिका-दिल्ली विश्वविद्यालय में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन'' विषय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 22वां प्रतिवेदन।

(2) रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) से संबंधित ''आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियोजन'' विषय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 31वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 23वां प्रतिवदेन।

9. कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री हुक्मदेव नारायण यादव ने कृषि संबंधी स्थायी समिति (सोलहवीं लोक सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)प्रस्तुत किये:—

(1) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित ''एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना के लिए स्कीम का क्रियान्वयन'' विषय पर 45वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 52वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (पशुपालन, डेरी और मत्स्य पालन विभाग) से संबंधित ''अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलकृषि विकास स्कीम-एक विश्लेषण'' विषय पर 53वां प्रतिवेदन।

10. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रह्लाद जोशी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के ''पेट्रोलियम क्षेत्र में सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरण संबंधी पहलू'' विषय पर 24वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री राकेश सिंह ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) खान मंत्रालय से संबंधित 'खनन क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/अनुसंधान और विकास' संबंधी 22वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों संबंधी

31वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-I में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(2) इस्पात मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2017-18)' के बारे में 29वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों संबंधी 33वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-I में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(3) खान मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2017-18), 28वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों संबंधी 34वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-I में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(4) कोयला मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2017-18)' के बारे में 27वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों संबंधी 35वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-I और 5 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(5) खान मंत्रालय से संबंधित 'खनन क्षेत्र में कौशल विकास' के बारे में 32वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों संबंधी 41वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-I में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

12. **मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 294वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 302वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 310वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 315वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ने योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 60वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(3) रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रेल मंत्रालय से संबंधित ''पर्यटन संवर्धन और तीर्थयात्रा सर्किट'' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(4) रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) (प्रकीर्ण, मांग सं॰ 20) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

13. चाय बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री सुरेश प्रभु ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि चाय नियम, 1954 के नियम 4(1) (ख) और 5(1) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा (4) की उप-धारा (3) के खंड (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में सेवा करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14. प्रस्ताव

श्री अनंत कुमार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 24 जुलाई, 2018 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 55वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.21 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.30 बजे पुनः समवेत हुई।)

*अपराह्न 12.41 बजे

15. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) श्री थोटा नरसिम्हम ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के बारे में निवेदन किया।

#श्री अनन्त कुमार ने उत्तर दिया।

अपराह्न 1.16 बजे

(दो) श्री ओम बिरला ने बाड़मेर, राजस्थान में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार दिये जाने की घटना के बारे में निवेदन किया।

#श्री अनन्त कुमार ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.23 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.27 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.27 बजे

16. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखें:—

(1) श्री राकेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में जबलपुर से राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों के **लिए** हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व को इको-सेंसिटिव जोन घोषित करने वाली प्रारूप अधिसूचना को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल द्वारा बुंदेलखंड में पानी की कमी की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के शिवहर जिले में प्रधान डाकघर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.16 बजे से अपराह्न 12.21 और अपराह्न 12.30 बजे से अपराह्न 1.23 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

#संसदीय कार्य मंत्री।

(5) श्री लक्ष्मी नारायण यादव द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के गढ़वा जिले में मेरल रेलवे स्टेशन पर शक्तिपुंज एक्सप्रेस और त्रिवेणी एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री रोड़मल नागर द्वारा मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में कृषि महाविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री विद्युत वरण महतो द्वारा झारखंड के जादूगोडा में एटोमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित केन्द्रीय विद्यालय में "गैर कर्मचारी श्रेणी" के छात्रों के लिए स्कूल फीस में की गई वृद्धि को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री पंकज चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला मुख्यालय में डाकघर का स्तरोन्नयन कर इसे प्रधान डाकघर बनाए जाने तथा वहां डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्र भी खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री छेदी पासवान द्वारा बिहार में रोहतासगढ़ जिले को राष्ट्रीय महत्व का पर्यटन स्थल घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में भूपाल सागर में कृषि आधारित उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री कपिल मोरेश्वर पाटील द्वारा मुम्बई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन तक एक लोकल ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री राजीव सातव द्वारा दमन में ज्यादा आबादी वाले गांवों का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने के लिए उन्हें निगम क्षेत्र के अधीन लाए जाने के बारे में।

(14) डॉ॰ थोकचोम मेन्या द्वारा एनएससीएन–आईएम के साथ शान्तिवार्ता के बारे में।

(15) श्री डी॰के॰ सुरेश द्वारा कोकून की कीमतों में भारी गिरावट के बारे में।

(16) श्रीमती आर॰ वनरोजा द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक में समस्याकारी उपबंधों का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री रवीन्द्र कुमार जेना द्वारा भुवनेश्वर से दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की आवृत्ति में कमी के बारे में।

(18) डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा महाराष्ट्र प्राइवेट फॉरेस्ट (एक्विजिशन) एक्ट, 1975 के अधीन भूमि अधिग्रहण के बारे में।

(19) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा सोशल मीडिया पर झूठे समाचार/संदेश फैलाए जाने के बारे में।

(20) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार में 'ठठेरा' जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा पंजाब को विशेष प्रोत्साहन और पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) एडवोकेट जोएस जॉर्ज द्वारा केरल में मुल्लापेरियार बांध की संरक्षा के बारे में।

(23) श्री राजू शेट्टी द्वारा महाराष्ट्र के मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.28 बजे

17. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 5 घंटे

उपाध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि श्री जितेन्द्र चौधरी, जिन्हें देश के विभिन्न भागों में हाल में उत्पन्न बाढ़ और सूखे की स्थिति पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा प्रारंभ करनी थी, ने अनुरोध किया कि श्री पी० करुणाकरन को उनकी ओर से चर्चा प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए और अध्यक्ष ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया।

तद्नुसार श्री पी० करुणाकरन ने चर्चा आरंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ० संजय जायसवाल
2. श्री के०सी० वेणुगोपाल
3. श्री सी० महेंद्रन
4. श्री कल्याण बनर्जी
5. श्री कलिकेश एन० सिंह देव
6. श्री प्रतापराव जाधव

*7. श्री डी०के० सुरेश

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*8. श्री विनायक भाऊराव राऊत

*9. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे

*10. श्रीमती प्रत्युषा राजेश्वरी सिंह

*11. डॉ॰ पी॰के॰ बिजू

*12. श्रीमती सुप्रिया सुले

*13. श्री रामचन्द्रन मुल्लापल्ली

*14. श्री अर्का केशरी देव

15. श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव

16. श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी

17. श्रीमती गीता कोथापल्ली

18. श्रीमती वीणा देवी

19. डॉ॰ (प्रो॰) किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी

*20. डॉ॰ (प्रो॰) सुगत बोस

*21. डॉ॰ (प्रो॰) प्रसन्न कुमार पाटसाणी

*22. श्री रवीन्द्र कुमार जेना

*23. श्री वीरेन्द्र कश्यप

*24. श्री नलीन कुमार कटील

*25. श्री रामेश्वर तेली

26. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा

27. श्री मधुकरराव यशवंतराव कुकडे

*28. श्रीमती पूनमबेन माडम

*29. श्री रंगास्वामी ध्रुवनारायण

*30. श्री वी॰ सत्यभामा

31. श्री प्रताप सिम्हा

32. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*33. श्री एम॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा

*34. श्री अनुराग सिंह ठाकुर

*35. श्रीमती कविता कलवकुंतला

*36. श्री शरद त्रिपाठी

*37. श्री निशिकान्त दुबे

*38. डॉ॰ अरुण कुमार

39. श्री गोपाल शेट्टी

*40. श्री राम कुमार शर्मा

41. श्री कोडिकुन्नील सुरेश

42. श्री दुष्यंत चौटाला

*43. डॉ॰ प्रभास कुमार सिंह

*44. श्री भैरों प्रसाद मिश्र

*45. श्री हरीश द्विवेदी

46. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

*47. कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल

*48. श्री सी॰एन॰ जयदेवन

49. श्री कामाख्या प्रसाद तासा

50. श्री जय प्रकाश नारायण यादव

*51. श्रीमती रंजनबेन भट्ट

*52. श्रीमती अंजू बाला

*53. श्री बी॰वी॰ नायक

*54. श्री बी॰एन॰ चन्द्रप्पा

*55. श्री कौशलेन्द्र कुमार

56. एडवोकेट जोएस जॉर्ज

*57. श्री नारणभाई काछड़िया

*58. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

59. श्री सुशील कुमार सिंह

60. श्री प्रेम दास राई

61. श्री पी॰के॰ श्रीमथि टीचर

*62. श्री दद्दन मिश्रा

63. श्री अजय मिश्रा टेनी

*64. डॉ॰ भारतीबेन डी॰ श्याल

*65. श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी

*66. श्री राजीव सातव

*67. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय

*68. श्री मौलाना बदरूद्दीन अजमल

*69. श्रीमती संतोष अहलावत

श्री किरेन रिजीजू ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने भी वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री राधा मोहन सिंह ने भी वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

सायं 7.28 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 26 जुलाई, 2018 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

MGIPMRND—1039LS(S3)—25-07-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 26 जुलाई, 2018/4 श्रावण, 1940 (शक)

संख्या 294

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री कामेश्वर पासवान; नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री पांडुरंग पुंडलिक फंडकर; तथा दसवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य श्री राज नारायण पासी के निधन के बारे में उल्लेख किया।

दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदस्य थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 121—124 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 125—140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381—1610 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.06 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) टीएचडीसी लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) एनएचपीसी लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) एनएचडीसी लिमिटेड तथा एनएचपीसी के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कार्पोरेशन लिमिटेड, सिलवासा के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नोएडा के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नोएडा के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 351(अ), जो 9 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2018 का अनुमोदन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) नावधिकरण (सामुद्रिक दावों की अधिकारिता और निपटारा) अधिनियम, 2017 की धारा 18 की उपधारा (4) के अंतर्गत नावधिकरण (मूल्यांकनकर्ता) नियम, 2018 जो 29 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 43 के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (चेयरमैन और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2018, जो 12 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1577(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) नार्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट, तेजपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट, तेजपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कांस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(16) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) बेतवा रिवर बोर्ड, झांसी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेतवा रिवर बोर्ड, झांसी के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6क की उपधारा (7) के अंतर्गत कावेरी जल प्रबंधन स्कीम, 2018, जो 1 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2236(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) जूट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(22) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13ख की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 2930(अ), जो 15 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा डायरेक्टर सेरीकल्चर एंड वेविंग डिपार्टमेंट, मेघालय सरकार को 3 वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 2352(अ), जो 8 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अंतर्गत रेशमकीट बीज के अधिसूचित प्रकार या किस्मों के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मानक और शर्तें अधिसूचित की गई हैं।

(तीन) का॰आ॰ 1771(अ), जो 26 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा श्री नीरज शेखर और श्रीमती संपतिया उइके, संसद सदस्यों (राज्य सभा) को 3 वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित किया गया है।

(चार) का॰आ॰ 2184(अ), जो 30 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयुक्त और प्रधान सचिव, कुटीर और ग्रामीण उद्योग, गुजरात सरकार, गांधी नगर को 3 वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित किया गया है।

(23) (एक) नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 से 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 से 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (16वीं लोक सभा) के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर समिति का की-गई-कार्रवाई संबंधी तीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ किरीट सोमैया ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित ''कर्मचारी राज्य बीमा निगम-स्थापनों की कवरेज बकायों की वसूली और स्कीम के अंतर्गत अस्पतालों और औषधालयों का कार्यकरण'' के बारे में श्रम संबंधी समिति का 39वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ कंभमपति हरिबाबू ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) ''आसियान के साथ व्यापार'' के बारे में समिति के 137वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 143वां प्रतिवेदन।

(2) ''निर्यात पर माल और सेवा कर (जीएसटी) का प्रभाव'' के बारे में समिति के 139वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 144वां प्रतिवेदन।

(3) ''भारतीय उद्योग पर चीन की वस्तुओं का प्रभाव'' के बारे में 145वां प्रतिवेदन।

* अपराह्न 1.01 बजे

8. सदस्यों द्वारा निवेदन

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परिपत्र, जिसमें विश्वविद्यालय के

*अपराह्न 12.13 बजे से अपराह्न 1.15 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

संबंधित विभाग को एक इकाई के रूप में माने जाने से आरक्षित श्रेणी उम्मीदवारों का पदोन्नति में आरक्षण अस्वीकार हुआ, के बारे में निवेदन किया।

श्री राजीव शंकरराव सातव, श्री राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव, श्री आर॰ ध्रुवनारायण, श्री धनंजय बी॰ महाडीक, श्रीमती सुप्रिया सुले और डॉ॰ कुलमणि सामल सहयोजित हुए।

#श्री अनन्त कुमार ने उत्तर दिया।

अपराह्न 1.15 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखें:—

(1) श्री दुष्यंत सिंह द्वारा राजस्थान के झालावार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल नेटवर्क में सुधार किए जाने के बारे में।

(2) श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया के इलाज के लिए आयुर्वेदिक औषधि के उत्पादन एवं विपणन को शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्रीमती रक्षाताई खाडसे द्वारा देश के सभी बांधों और जलाशयों से गाद निकाले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री सत्यपाल सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के सम्भल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रदूषित जल की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री जनक राम द्वारा बिहार के गोपालगंज जिले में रेलवे स्टेशन सम्पर्क पथों का जीर्णोधार करने और समपारों पर फुट ओवर ब्रिज तथा रोड ओवर ब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर द्वारा मछली के संरक्षण के लिए फार्मलडीहाइड के प्रयोग के संबंध में अध्ययन के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री देवेन्द्र सिंह भोले द्वारा उत्तर प्रदेश के अकबरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विकासखंड बिधनू के ग्राम पिपरगवां में स्थित डाक घर में अनियमितताओं के बारे में।

#संसदीय कार्य मंत्री।

(8) श्रीमती रीती पाठक द्वारा मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में संजय नेशनल पार्क से विस्थापित ग्रामीणों को उचित मुआवजा राशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री हरीश मीना द्वारा सरकारी कार्यालयों और विभागों में रिक्त पदों को भरे जाने और सरकारी क्षेत्र में संविदा या अस्थायी तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री गोपाल शेटट्ी द्वारा महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पेट्रोल पम्पों के कार्यकरण में अनियमितताओं के बारे में।

(11) डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा उत्तराखंड राज्य में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर राज्य में कौशल विकास और उद्यमशीलता कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री जुगल किशोर द्वारा जम्मू–अखनूर–पूंछ राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाए जाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री विनोद कुमार सोनकार द्वारा स्कूलों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में भारत के संविधान का ज्ञान दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ में तारामंडल बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री मोहम्मद असरारुल द्वारा आंगनवाड़ी कर्मकारों को राज्य सरकार के कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री एंटो एन्टोनी द्वारा पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों से संबंधित पश्चिम घाट से संबंधित अंतिम अधिसूचना के बारे में।

(17) श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा तटीय क्षेत्र में सामुद्रिक दिवार का निर्माण करने हेतु केरल को धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री आर॰के॰ भारती मोहन द्वारा तमिलनाडु के कुम्बाकोणम में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री एम॰ चन्द्राकाशी द्वारा चिदम्बरम रेलवे स्टेशन पर अंत्योदय एक्सप्रेस और रामेश्वरम–भुवनेश्वर एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान द्वारा निजी बीमा कंपनी द्वारा ओडिशा के किसानों बीमा राशि का भुगतान नहीं किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों के शीघ्र निपटान हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री विजय कुमार हांसदाक द्वारा झारखंड में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 को वास्तविक अर्थ में झारखंड में लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 1.16 बजे

10. सरकारी विधेयक—पारित

व्यक्तियों का दुर्व्यापार (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018

लिया गया समय: 4 घंटे 6 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्रीमती मेनका संजय गांधी द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ शशि थरूर
2. श्री ओम बिरला
3. श्रीमती प्रतिमा मंडल
4. श्रीमती वी॰ सत्यभामा
5. श्री तथागत सत्पथी
6. श्री विनायक भाऊराव राऊत
7. श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव
8. श्रीमती कविता कलवकुंतला
9. श्री मोहम्मद बदरूद्दोजा खान
10. श्रीमती सुप्रिया सुले
11. श्रीमती गीता कोथापल्ली

12. डॉ॰ धर्म वीर गांधी
13. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
14. श्री विन्सेंट एच॰ पाला
15. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
16. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
17. डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीत
18. श्री दुष्यंत चौटाला
19. श्री कौशलेन्द्र कुमार
20. श्रीमती शताब्दी राय
21. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
22. डॉ॰ (प्रो॰) प्रसन्न कुमार पाटसाणी
23. श्रीमती रेणुका बुत्ता
24. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
25. श्रीमती पी॰के॰ श्रीमथि टीचर
26. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
27. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव

श्री मेनका संजय गांधी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 6 से 9 स्वीकृत हुए।

खंड 10 स्वीकृत हुआ।

खंड 11 स्वीकृत हुआ।

खंड 12 स्वीकृत हुआ।

खंड 13 स्वीकृत हुआ।

खंड 14 और 15 स्वीकृत हुए।

खंड 16 स्वीकृत हुआ।

खंड 17 से 22 स्वीकृत हुए।

खंड 23 से 25 स्वीकृत हुए।

खंड 26 से 30 स्वीकृत हुए।

खंड 31 से 33 स्वीकृत हुए।

खंड 34 से 38 स्वीकृत हुए।

खंड 39 से 46 स्वीकृत हुए।

खंड 47 से 51 स्वीकृत हुए।

खंड 52 से 59 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती मेनका संजय गांधी ने विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 5.22 बजे

11. बैठक रद्द किए जाने के बारे में अध्यक्ष द्वारा घोषणा

कई सदस्यों ने अनुरोध किया कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शुक्रवार, 27 जुलाई, 2018 के लिए नियत सभा की बैठक रद्द की जाए। माननीय अध्यक्ष ने सभा की भावना को समझा और सभा सहमत हुई। तद्नुसार 27 जुलाई, 2018 के लिए नियत बैठक रद्द की जाती है।

अपराह्न 5.25 बजे

#12. सांविधिक संकल्प—विचाराधीन

आवंटित समय : 1 घंटा
लिया गया समय: 36 मिनट
शेष: 24 मिनट

श्री अधीर रंजन चौधरी ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 18 मई, 2018 को प्रख्यापित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है।"

#13. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2018

श्री श्रीपाद येसो नाईक द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

श्री अधीर रंजन चौधरी बोले।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.01 बजे

(लोक सभा सोमवार, 30 *जुलाई,* 2018 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

#एक साथ चर्चा हुई।

MGIPMRND—1082LS(S3)—26-07-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 30 जुलाई, 2018/8 श्रावण, 1940 (शक)

संख्या 295

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

(एक) तारांकित प्रश्न संख्या 161–165 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 166–180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। अतारांकित प्रश्न संख्या 1841–1990 और 1992–2070 के उत्तर भी सभा पटल पर रखे गए। 'लोक सभा के प्रक्रिया और कार्यसंचालन नियमों' के नियम 47 के अंतर्गत अतारांकित प्रश्न संख्या 1991 लोप किया गया।

(दो) चूंकि शुक्रवार, 27 जुलाई, 2018 के नियत लोक सभा की बैठक रद्द की गई इसीलिए उस दिन के लिए सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न सं॰ 141–160 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1611–1840 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

अपराह्न 12.01 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये:—

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को शहरी या

स्थानीय प्राकृतिक गैस संवितरण नेटवर्क बिछाने, बनाने, संचालित करने या उनका विस्तार करने हेतु प्राधिकृत किया जाना) संशोधन विनियम, 2018, जो 6 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ पीएनजीआरबी/अथ॰/सीजीडी/एएमडी/2018 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) सोसाइटी फॉर पेट्रोलियम लेबोरेटरी, नोयडा के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसाइटी फॉर पेट्रोलियम लेबोरेटरी, नोयडा के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2011(अ), जो 21 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त स्कीम के अधीन नियोक्ता द्वारा देय प्रशासनिक शुल्क की दर को 0.65 प्रतिशत से कम करके 0.05 प्रतिशत किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) मीकॉन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) एनडीएमसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) एमएसटीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) एमओआईएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) केआईओसीएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(8) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) सर्व शिक्षा अभियान केरल, त्रिवेंद्रम के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान केरल, त्रिवेंद्रम के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) तमिलनाडु स्टेट मिशन ऑफ एजूकेशन फॉर ऑल (सर्व शिक्षा अभियान), चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तमिलनाडु स्टेट मिशन ऑफ एजूकेशन फॉर ऑल (सर्व शिक्षा अभियान), चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) मद्रास स्पेशल इकोनोमिक जोन अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मद्रास स्पेशल इकोनोमिक जोन अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उपधारा (8) के अंतर्गत स्थिर और सचल दाब जलयान (अनफायर्ड) (संशोधन) नियम, 2018 जो 23 अप्रैल, 2018 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 388 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3424 (अ), जो 12 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो मसाला बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 3 वर्ष की अवधि के लिए श्री सुभाष वसु को नियुक्त किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, रायपुर के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, रायपुर के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिजोरम आइजॉल के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिजोरम, आइजॉल के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरूक्षेत्र, कुरूक्षेत्र के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरूक्षेत्र, कुरूक्षेत्र के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड, दीमापुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड, दीमापुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत, के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत, के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत, के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुदुच्चेरी, कराईकाल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुदुच्चेरी, कराईकाल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपुर, इंफाल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपुर, इंफाल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी हमीरपुर, हमीरपुर के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी हमीरपुर, हमीरपुर के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी राउरकेला के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी राउरकेला के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर, रायपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर, रायपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडरी एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडरी एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) (एक) संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडरी एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, लोंगोवाल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडरी एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, लोंगोवाल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा 25 जुलाई, 2018 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 19 जुलाई, 2018 को पारित भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि राज्य सभा 26 जुलाई, 2018 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 23 जुलाई, 2018 को पारित परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2018 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

4. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री शांता कुमार ने 'आवास और शहरी विकास निगम (हडको)' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का 23वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. **मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:—

(एक) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित "दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन (आसियान) के साथ व्यापार" के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 137वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. **संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का वक्तव्य**

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 30 जुलाई, 2018 को आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

*अपराह्न 12.10 बजे

7. **सदस्यों द्वारा निवेदन**

(एक) असम में नागरिकों का अद्यतन राष्ट्रीय रजिस्टर के पूर्ण प्रारूप के प्रकाशन के बारे में निम्नलिखित सदस्यों ने निवेदन किए:—

1. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय

2. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे

3. श्री मोहम्मद सलीम

4. श्री जय प्रकाश नारायण यादव

डॉ॰ शशि थरूर, श्रीमती सुप्रिया सुले, श्री रामचन्द्रन मुल्लापल्ली, एडवोकेट जोएस जॉर्ज, श्री राजीव सातव, श्री एम॰बी॰ राजेश और श्रीमती पी॰के॰ श्रीमथि टीचर सहयोजित हुए।

#श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.28 बजे

(दो) भी भर्तृहरि महताब ने कृषि उपज के लिए कठोर आयात नीति की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ॰ कुलमणि सामल और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल सहयोजित हुए।

%श्री रामविलास पासवान ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.13 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.19 बजे पुन: समवेत हुई)

---

*अपराह्न 12.10 बजे से अपराह्न 1.13 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।
#गृह मंत्री।
%उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री।

अपराह्न 2.19 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्रीमती जनश्रीबेन पटेल द्वारा देश के सभी उच्चतम माध्यमिक विद्यालयों में मानविकी की पढ़ाई शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री निशिकान्त दुबे द्वारा झारखंड की लंबित परियोजनाओं के बारे में।

(3) श्री कीर्ति आजाद द्वारा बिहार के दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक तारामंडल स्थापित करने, तालाबों का सौन्दर्यीकरण और सड़क ऊपरी पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री गणेश सिंह द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के पदों पर नियुक्तियां किए जाने के बारे में।

(5) श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा अपराधियों की दोष सिद्धि की दर को अधिकतम किए जाने के लिए एक प्रणाली विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री देवेंद्र सिंह भोले द्वारा उत्तर प्रदेश में कानपुर नगर और कानपुर देहात जिलों के यमुना नदी के तटवर्ती इलाकों में बुंदेलखंड क्षेत्र के समतुल्य सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री ओम बिरला द्वारा किसानों को उनके खेतों पर बाड़ लगाए जाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा भारत में जॉनसन एंड जॉनसन के उन उत्पादों, जिन्हें अमेरिका में हानिकारक घोषित किया गया है, की समीक्षा किए जाने और उन पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण द्वारा दमनगंगा नदी का जल महाराष्ट्र के दिंडोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित बांधों को दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोंच से एट रेलवे लाइन के अंडर पास को शिफ्ट किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री पशुपति नाथ सिंह द्वारा हावड़ा–नई दिल्ली दुरन्तो एक्सप्रेस और रांची–जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन को झारखंड के धनबाद से होकर चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरयिा द्वारा दयोदय एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12181/82) और जयपुर–इंदौर एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12973/74) का ठहराव राजस्थान के सवाई माधवपुर जिले में ईसरदा रेलवे स्टेशन पर दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री विनोद कुमार सोनकर द्वारा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री राजीव सातव द्वारा महाराष्ट्र के मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने बारे में।

(15) डॉ॰ थोकचोम मेन्या द्वारा इम्फाल और जीरीबाम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 की स्थिति के बारे में

(16) श्री एस॰ आर॰ विजय कुमार द्वारा तमिलनाडु के शहरी स्थानीय निकायों को मूलभूत और कार्यनिष्पादन अनुदान राशि जारी किए जाने के बारे में।

(17) श्रीमती के॰ मरथम द्वारा तमिलनाडु में रेल संपर्क बढ़ाए जाने के बारे में।

(18) प्रो॰ सौगत राय द्वारा भारत–पाकिस्तान संबंधों के बारे में।

(19) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा पश्चिम बंगाल के आरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दीहीबग्नन में जवाहर नवोदय विद्यालय की समस्याओं के बारे में।

(20) डॉ॰ कुलमणि सामल द्वारा ओड़िशा के पारादीप क्षेत्र में मलिन बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों की मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने के बारे में।

(21) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा थैलेसिमिया रोग से ग्रस्त रोगियों के लिए एक विशेष निधि और ब्लड बैंक स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री जैदेव गल्ला द्वारा तिरुपति और विजयवाड़ा विमानपत्तन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बारे में।

(23) श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान द्वारा बहरामपुर से कृष्णानगर तक एक रेलवे लाइन बिछाए जाने के बारे में।

(24) श्री तारिक अनवर द्वारा वर्ष 2016–17 और 2018 के लिए सेक्शन ऑफिसर्स लिमिटेड विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्री तेज प्रताप सिंह यादव द्वारा उत्तर प्रदेश के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक सीजीएचएस वेलनैस सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.20 बजे

#9. सांविधिक संकल्प—वापस लिया गया

लिया गया समय: 2 घंटे 46 मिनट

श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा 26 जुलाई, 2018 को पेश किए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही, अर्थात्:—

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 18 मई, 2018 को प्रख्यापित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है।''

सभा की अनुमति द्वारा संकल्प को वापस लिया गया।

#10. सरकारी विधेयक—पारित

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2018

श्री श्रीपाद येसो नाइक द्वारा 26 जुलाई, 2018 को पेश किए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही, :—

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ मनोज राजोरिया
2. डॉ॰ के॰ कामराज
3. डॉ॰ रत्ना डे नाग
4. श्री रवीन्द्र कुमार जेना
5. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे
6. डॉ॰ रविन्द्र बाबू पाण्डुला
7. डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड

एक साथ चर्चा की गई।

8. श्रीमती पी॰के॰ श्रीमथि टीचर

9. श्री निहालचंद चौहान

10. श्री कर्ण सिंह यादव

11. श्री धनजंय महाडीक

12. श्री कौशलेन्द्र कुमार

13. श्री जय प्रकाश नारायण यादव

14. श्री सी॰एन॰ जयदेवन

15. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

16. श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'

17. डॉ॰ बंशीलाल महतो

श्री श्रीपाद येसो नाइक ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 और 4 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री श्रीपाद येसो नाइक ने विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 4.31 बजे

11. सरकारी विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन—सभा सहमत हुई।

**स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक,* 2017

श्री शिव प्रताप शुक्ला ने प्रस्ताव पेश किया कि लोक सभा द्वारा यथापारित, विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:—

---

*विधेयक 10 अगस्त, 2017 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया तथा इसे राज्य सभा को उसकी सहमति के लिए भेजा गया था। राज्य सभा ने 18 जुलाई, 2018 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया और इसे 19 जुलाई, 2018 को लोक सभा को लौटा दिया।

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, ''अड़सठवें'' शब्द **के स्थान पर** ''उनहत्तरवें'' शब्द **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खण्ड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 6, अंक ''2017'' **के स्थान पर** अंक ''2018'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शिव प्रताप शुक्ला ने प्रस्ताव पेश किया कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सभा सहमत हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और सभा संशोधनों से सहमत हुई।

अपराह्न 4.33 बजे

@12. सांविधिक संकल्प — वापस लिया गया

लिया गया समय: 3 घंटे 15 मिनट

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 अप्रैल, 2018 को प्रख्यापित दाण्डिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 2) का निरनुमोदन करती है''।

सभा की अनुमति द्वारा संकल्प वापस लिया गया।

@13. सरकारी विधेयक — पारित

दाण्डिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2018

श्री किरेन रिजीजू ने श्री राजनाथ सिंह की ओर से विधेयक पर विचार का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती किरण अनुपम खेर

2. श्रीमती रंजीत रंजन

@एक साथ चर्चा की गई।

3. श्री टी॰जी॰ वेंकटेश बाबू

4. प्रो॰ सौगत राय

5. श्री पिनाकी मिश्रा

6. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे

7. डॉ॰ रविन्द्र बाबू पाण्डुला

8. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी

9. डॉ॰ ए॰ सम्पत

10. श्रीमती सुप्रिया सुले

11. श्रीमती रेणुका बुत्ता

12. श्रीमती मीनाक्षी लेखी

13. श्री कौशलेन्द्र कुमार

14. श्री असादुद्दीन ओवैसी

15. श्री सी॰एन॰ जयदेवन

16. प्रो॰ (डॉ॰) ममताज़ संघमिता

17. श्री हरीश चन्द्र मीणा

18. श्री निनोंग इरिंग

श्री किरेन रिजीजू ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 6 से 20 स्वीकृत हुए।

खंड 21 से 23 स्वीकृत हुए।

खंड 24 से 26 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

किरेन रिजीजू ने विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 7.48 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 31 जुलाई, 2018 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—1180LS(S3)—30-07-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 31 जुलाई, 2018/9 श्रावण, 1940 (शक)

संख्या 296

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 181—184 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 185—200 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2071—2300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

#3. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि 1 अगस्त, 2018 सायं 6.00 बजे केन्द्रीय कक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार प्रदान करने के लिए एक समारोह आयोजित किया जाएगा। उन्होंने सदस्यों से इस समारोह, जिसमें माननीय राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी उपस्थित रहेंगे, में भाग लेने का अनुरोध किया।

#मूलत: हिन्दी में, विवरण के लिए इस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराह्न 12.03 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी, इंफाल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी, इंफाल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2018 जो 27 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 588(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टीलाइजर्स कार्पोरेशन लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) नेशनल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टीलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(आठ) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड तथा रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(नौ) हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड तथा रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) आवासन और शहरी विकास निगम लिमिटेड तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(6) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उप-धारा (2) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस (पदोन्नति और पुष्टीकरण) (संशोधन) नियम, 2018 जो 17 मई, 2018 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰16/5/2014/एचपी-1/स्था॰/2755-2756 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपराष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1997 की धारा 5 की उप-धारा (2) के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पेंशन, आवास और अन्य सुविधाएं (संशोधन) नियम, 2018 जो 7 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 487(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) राष्ट्रपति उपलब्धियाँ और पेंशन अधिनियम, 1951 की धारा 5 की उपधारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) नियम, 2018 जो 24 मई, 2018 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 488(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत राज्यपाल के भत्ते तथा विशेषाधिकार (संशोधन) नियम, 2018 जो 24 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 486(अ) में प्रकाशित हुए तथा जिसका एक शुद्धिपत्र जो 12 जून, 2018 की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 546(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (5) के अंतर्गत अधिसूचना सं० 2947(अ) जो 19 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा ''भारतीय उप-महाद्वीप में अल-कायदा (एक्यूआईएस) और इसकी सभी अभिव्यक्तियों'' को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की प्रथम अनुसूची के क्रमांक 28 पर जोड़ा गया है तथा ''खोरा सन प्रांत में इस्लामिक स्टेट (आईएसकेपी)/आईएसआईएस विलायत खोरासन/इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एवं शम-खोरासन (आईएसआईएस-के)'' को उक्त अधिनियम के क्रमांक 38 में जोड़ा गया है, की एक प्रति।

(11) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक और मिश्रित) (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2018 जो 22 मर्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 1323(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का०आ० 1391(अ) जो 28 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक और मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का०आ० 1392(अ) जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत में विनिर्मित किए जाने वाले अनंतिम उर्वरक फास्फोजिप्सम के बारे में विनिर्देशों को अधिसूचित किया गया है।

(चार) का॰आ॰ 3264(अ) जो 5 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश के अंतर्गत सिटी कंपोस्ट के थोक विक्रय के लिए सात कंपनियों को अधिसूचित किया गया है।

(पांच) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2018 जो 5 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3265(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(12) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पहला संशोधन) आदेश, 2018, जो 20 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1248(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2018, जो 10 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1873(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा उसके दो शुद्धिपत्र जो 24 मई, 2018 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2059(अ) तथा 16 मई, 2018 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1930(अ) (केवल हिंदी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (तीसरा संशोधन) आदेश, 2018, जो 5 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2286(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(13) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 97 के अंतर्गत पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (कम्यूनिटी अवार्ड फ्राम जीन फंड) नियम, 2018, जो 24 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 391(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) स्पैस्टिक्स सोसाइटी ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पैस्टिक्स सोसाइटी ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) सोशल वेलफेयर सेंटर, त्रिसूर के वर्ष 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 और 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोशल वेलफेयर सेंटर, त्रिसूर के वर्ष 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 और 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड, दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड, दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) वॉलुन्टरी आर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 और 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्द्री तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वॉलुन्टरी आर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 और 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्द्री तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) वॉलुन्टरी आर्गेनाइजेशन ऑफ पीएडब्ल्यूएमईएनसीएपी (पैरेन्ट्स एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेन्टली हैंडीकैप्ड पर्सन्स), हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वॉलन्टरी आर्गेनाइजेशन ऑफ पीएडब्ल्यूएमईएनसीएपी (पैरेन्ट्स एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेन्टली हैंडीकैप्ड पर्सन्स), हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) इलाहाबाद बैंक के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्ष 2017–18 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2017–18 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चार) देना बैंक के वर्ष 2017–18 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पाँच) इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्ष 2017–18 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(छह) पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 2017–18 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सात) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2017–18 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(आठ) यूको बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2017–18 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(नौ) बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2017–18 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दस) केनरा बैंक के वर्ष 2017–18 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ग्यारह) कार्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2017–18 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(बारह) इंडियन बैंक के वर्ष 2017–18 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तेरह) ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बैंक के वर्ष 2017–18 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चौदह) सिंडिकेट बैंक के वर्ष 2017–18 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पंद्रह) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2017-18 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सोलह) विजया बैंक के वर्ष 2017-18 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सत्रह) आन्ध्र बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2017-18 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(अठारह) बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2017-18 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(उन्नीस) पंजाब एंड सिंध बैंक के वर्ष 2017-18 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(28) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत आईडीबीआई बैंक, मुंबई के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 01.01.2018 से 31.03.2018 तक की अवधि के लिए कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 01.01.2018 से 31.03.2018 तक की अवधि के लिए परिसमापक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(30) बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथसंशोधित भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1956 की धारा 40 की उपधारा (4) तथा बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथासंशोधित भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक के वर्ष 2017-18 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(31) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं पुर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2017, जो 2 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰आ॰ 987(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 1402(अ) जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित खाद्य तेलों, सोना, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) अधिसूचना संख्या 31/2018-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) दिनांक 5 अप्रैल, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का॰आ॰ 1598(अ) जो 13 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित खाद्य तेलों, सोना, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) अधिसूचयना संख्या 33/2018-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) दिनांक 19 अप्रैल, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का॰आ॰ 1779(अ) जो 27 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित खाद्य तेलों, सोना, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) अधिसूचना संख्या 35/2018-सी॰शु॰(एन॰टी) दिनांक 3 मई, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का॰आ॰ 1918(अ) जो 15 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित खाद्य तेलों, सोना, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) अधिसूचना संख्या 43/2018-सी॰शु॰(एन॰टी) दिनांक 17 मई, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का॰आ॰ 2204(अ) जो 31 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित खाद्य तेलों, सोना, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) अधिसूचना संख्या 49/2018-सी॰शु॰(एन॰टी) दिनांक 7 जून, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का॰आ॰ 2425(अ) जो 14 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित खाद्य तेलों, सोना, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) अधिसूचना संख्या 54/2018-सी॰शु॰(एन॰टी) दिनांक 19 जून, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी

मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) अधिसूचना संख्या 55/2018-सी॰शु॰(एन॰टी) दिनांक 21 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का॰आ॰ 3148(अ) जो 29 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित खाद्य तेलों, सोना, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) अधिसूचना संख्या 60/2018-सी॰शु॰(एन॰टी) जो 5 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) 14 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 451(अ) सीमा शुल्क ब्रोकर अनुज्ञप्तिकरण विनियम, 2018 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) 14 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1512(अ) सीमा शुल्क (सूचना प्रस्तुतीकरण) नियम, 2017 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) का॰आ॰ 3886(अ) जो 14 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या 40/2012-सी॰शु॰(एन॰टी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा॰का॰नि॰ 1589(अ) जो 28 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा॰का॰नि॰ 13(अ) जो 5 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 12/97-सी॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा॰का॰नि॰ 20(अ) जो 10 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या 82/2017-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा॰का॰नि॰ 21(अ) जो 10 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 सितंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या 92/2017-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा॰का॰नि॰ 293(अ) जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या 82/2017-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा॰का॰नि॰ 294(अ) जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 सितंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या 92/2017-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा॰का॰नि॰ 295(अ) जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 सितंबर, 2010 की अधिसूचना संख्या 80/2010-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 296(अ) में प्रकाशित कुरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रानिक घोषणा और प्रोसेसिंग) विनियम, 2018 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) 2 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 329(अ) में प्रकाशित पूर्व-सूचना परामर्श विनियम, 2018 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) 11 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 447(अ) में प्रकाशित प्रवेश पत्र (इलैक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा और पत्र-रहित प्रक्रमण) विनियम, 2018 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) 11 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 448(अ) में प्रकाशित समुद्री स्थोरा माल-सूची और पोतांतरण विनियम, 2018 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा॰का॰नि॰ 445(अ) जो 11 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उक्त अधिनियम की धारा 99(अ) के अंतर्गत लेखापरीक्षा करने के प्रयोजनार्थ उसमें उल्लिखित सीमा-शुल्क अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कतीस) 24 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 484(अ) में प्रकाशित सीमा-शुल्क लेखापरीक्षा विनियम, 2018 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा॰का॰नि॰ 299(अ) जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनकें द्वारा उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) सा॰का॰नि॰ 604(अ) जो 30 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उसमें संलग्न सारणी के कालम सं॰ 3 में निर्दिष्ट वर्णन की गई वस्तुओं के लिए एशिया पैसिफिक व्यापार समझौता रियायतों के चौथे दौर के कार्यान्वयन के लिए टैरिफ में रियायत देने के बारे में है और यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2018 से लागू होगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौंतीस) सा॰का॰नि॰ 250(अ) जो 20 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतीस) सा॰का॰नि॰ 286(अ) जो 27 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 69/2011-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छत्तीस) सा॰का॰नि॰ 358(अ) जो 10 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सैंतीस) सा॰का॰नि॰ 476(अ) जो 23 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अड़तीस) सा॰का॰नि॰ 562(अ) जो 14 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतालीस) सा॰का॰नि॰ 578(अ) जो 20 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चालीस) सा॰का॰नि 342(अ) जो 6 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतालीस) सा॰का॰नि 343(अ) जो 6 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 2.2.2018 की अधिसूचना संख्या 7/2018-सी॰शु॰, 8/2018-सी॰शु॰, 19/2018-सी॰शु॰ तथा 20/2018-सी॰शु॰ को निरस्त किया गया था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बयालीस) सा॰का॰नि॰ 621(अ) जो 9 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 27/2011-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतालीस) सा॰का॰नि 651(अ) जो 16 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 27 अक्तूबर, 2017 की अधिसूचना संख्या 82/2017-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौवालीस) सा॰का॰नि 1486(अ) जो 4 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम

अनुसूची के शीर्ष 5310 और 6305 के अंतर्गत आने वाले जूट और जूट उत्पादों के आयात पर जब इन्हें नेपाल से आयातित किया जा रहा हो, 17 जुलाई, 2015 से 15 दिसम्बर, 2016 की अवधि के दौरान सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के गैर उद्ग्रहण के बारे में कतिपय परिवर्तन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतालीस) सा॰का॰नि 648(अ) जो 14 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017–सी॰शु॰ में कतिपय परिवर्तन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(33) सीमा–शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि 223(अ) जो 13 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'सल्फोनेटेड नेफ्थलीन फॉर्मेल्डिहाइड' के आयात पर, जारी होने की तिथि अर्थात् 13 मार्च, 2018 से पांच वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट दरों पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि 232(अ) जो 15 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहीत प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'ऑफलोक्सीन' के आयात पर तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट दरों पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि 241(अ) जो 19 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी की सनसेट समीक्षा जांच में अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में यूरोपीय संघ, ईरान, इंडोनेशिया और जापान से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'मेलामाईन' के आयात के बारे में 8 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना सं॰ 48/2012–सी॰शु॰ (एड), जिसे 7 अक्तूबर, 2018, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक आगे बढ़ाया गया था को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि 247(अ) जो 20 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा

संचालित सनसेट समीक्षा के प्रारंभ के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'मेटाफिनाईलेनेडायामाईन' के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने को एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 21 मार्च, 2019 जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि 248(अ) जो 20 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'मेलामाईन' के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के मामले में फोसानकेसिनो बिल्डिंग मैटेरियल कंपनी लिमिटेड (निर्यातक) के माध्यम से मैसर्स कुतुमजिनजियांग कैमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) द्वारा निर्यातों के लिए वैयक्तिक पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए सी॰शु॰ टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा हानि का निर्धारण नियम, 1995 के नियम 22 के अंतर्गत न्यू सिपररिव्यू के प्रारंभ के मामले में अनंतिम आकलन के लिए आदेश देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 249(अ) जो 20 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और तुर्की से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'डाईमिथाइलएसीटामाइड' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 259(अ) जो 21 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और जापान से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'रेसोरसिनोल' के आयात पर तीन वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 260(अ) जो 21 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'मोनोआइसोप्रोपाइलामाईन' या 'एमआईपीए' के आयात

से संबंधित प्रतिपाटन जांच के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 246(अ) जो 22 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 26.03.2013 की अधिसूचना सं॰ 3/2013-सी॰शु॰ (एडीडी) में संशोधन करना है ताकि चीन जनवादी गणराज्य से उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित 'फ्लैट बेस स्टील व्हील' के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क को बढ़ाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 276(अ) जो 23 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय मैसर्स नैचुरल जूट मिल (उत्पादक/निर्यातक) (बांग्लादेश) और मैसर्स क्रिएशन ग्लोबल, एलएलसी, यूएसए (निर्यातक/ट्रेडर) (बांग्लादेश) द्वारा 5 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं॰ 1/2017-सी॰शु॰ (एडीडी) के माध्यम से पहले से अध्यारोपित प्रतिपाटन शुल्क के संग्रहण के बिना प्रतिभूति या गारंटी की प्रस्तुति के अध्यधीन प्रतिपाटन और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा शुरू किए गए न्यू शिपर रिव्यू का परिणाम आने तक बांग्लादेश में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित ''जूट उत्पादों अर्थात जूट यार्न/ट्वाइन (मल्टीपल फोल्डेड/केबल और एकल), हेशियन फैब्रिक और जूट सेकिंग बैग'' के सभी आयातों का अनन्तिम आकलन विहित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 287(अ) जो 27 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ से उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित 'वेनीर्ड इंजीनियर्ड उडेन फ्लोरिंग' के आयात पर जो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि (जब तक इसे इससे पूर्व प्रतिसंहृत अधिक्रमित या संशोधित न किया गया हो) के लिए प्रभावी रहेगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 344(अ) जो 6 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जो प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क निदेशालय द्वारा न्यूशिपर समीक्षा को समाप्त करने के बारे में है तथा अधिसूचना 18/2018-सी॰ शुल्क (एडीडी) दिनांक 06.04.2018 का आशय 15.3.2017 की अधिसूचना सं॰ 8/2017-सीशु॰ (एडीडी) को निरस्त करना है ताकि यह प्रावधान हो एवं

कि 31.12.2013 की अधिसूचना सं॰ 33/2013–सी॰शु॰ (एडीडी) के अंतर्गत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क बिना किसी परिवर्तन के सभी संबंधित उत्पादक/निर्यातक से किए गए आयातों पर लागू हो सके जिनमें वे आयात भी शामिल हैं जिनका अनंतिम आकलन दिनांक 09.02.2017 की अधिसूचना सं॰ 15/5/2016–डीजीएडी (एनएमआर) 1/2017 द्वारा डीजीएडी द्वारा प्रारंभ की गई न्यूशिपर समीक्षा को अंतिम रूप दिए जाने तक किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 345(अ) जो 6 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जारी किए जाने की तारीख अर्थात् 6.4.2018 से 5 वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट दरों पर चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित एवं भारत में आयातित फास्फोरसपेंटाआक्साइड के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 359(अ) जो 10 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और बांग्लादेश से उद्भूत 'फिशनेट' या 'फिशिंग नेट' के आयात पर (तब तक इसे इससे पूर्व प्रतिसंहृत, अधिक्रमित या संशोधित नहीं किया गया हो) 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा॰का॰नि॰ 377(अ) जो 17 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय रूस और तुर्की से उद्भूत या वहां से निर्यातित सोडा एस के आयात पर, 1 वर्ष की आगे की अवधि (अर्थात् 16.4.2019) तक के लिए अथवा 16 अप्रैल, 2018 की अधिसूचना सं॰ 7/4/2018–डीजीएडी के माध्यम से अभिहित प्राधिकरण द्वारा आरंभ की गई सनसेट समीक्षा जांच के निष्कर्ष निकलने तक, जो भी पहले हो, 18.4.2013 की अधिसूचना सं॰ 8/2013–सी॰शु॰ (एडीडी) के अंतर्गत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को बढ़ाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰का॰नि॰ 382(अ) जो 18 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और इंडोनेशिया से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित एवं भारत में आयातित ग्लासवेयर के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा॰का॰नि॰ 392(अ) जो 24 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के 1.2.2018 के प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, जापान, दक्षिण अफ्रीका और ताइवान से उद्भूत या वहां से निर्यातित 'एमईके पर मिथाइल इथाइल कीटोन' के आयात पर जब तक इसे इससे पूर्व प्रतिसंहृत, अधिक्रमित या संशोधित नहीं किया गया हो। 3 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा॰का॰नि॰ 428(अ) जो 7 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मैसर्स रोमन जूट मिल्स लिमिटेड (उत्पादक / निर्यातक) और मैसर्स एसएमपी इंटरनेशनल, एलआईसी, यूसए (निर्यातक/ट्रेडर) द्वारा 5 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं॰ 1/2017–सी॰शु॰ (एडीडी) के माध्यम से पहले से अध्यारोपित प्रतिपाटन शुल्क के संग्रहण के बिना प्रतिभूति या गारंटी की प्रस्तुति के अध्यधीन प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा शुरू किए गए न्यू सिपर रिव्यू का परिणाम आने तक बांग्लादेश में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित जूट यार्न / ट्वाइन (मल्टीपल फोल्डेड/ केबल्ड और एकल, हेसियन फैब्रिक और जूट सैकिग बैग) के सभी आयातों का अनंतिम आकलन विहित करना है, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा॰का॰नि॰ 442(अ) जो 10 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 27 मार्च, 2018 की अधिसूचना सं॰ 17/2018–सी॰शु॰ (एडीडी) में संशोधन करना है ताकि उक्त अधिसूचना में वेनीरड इंजीनियर्ड वुडेड फ्लोरिंग को परिभाषित करने के लिए स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जा सके, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा॰का॰नि॰ 452(अ) जो 14 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित परआक्सोसल्फेट्स (परसल्फेट) के आयात पर, 1 वर्ष की आगे की अवधि (अर्थात् 14.5.2019) तक की अवधि के लिए 16 मई, 2013 की अधिसूचना सं॰ 11/2013–सी॰शु॰ (एडीडी) के अंतर्गत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को बढ़ाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा॰का॰नि॰ 460(अ) जो 17 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित

सिरामिक रोलर्स के आयात पर जो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि (जब जक इसे इससे पूर्व विसंहृत, अधिक्रमित या संशोधित नहीं किया गया हो) के लिए प्रभावी रहेगा, पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा॰का॰नि॰ 498(अ) जो 25 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में इंडोनशिया, मलेशिया और थाईलैंड से उद्भूत या वहां से निर्यातित सैचुरेटेड फैटी एल्कोहल के आयात पर, 5 वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट दरों पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा॰का॰नि॰ 499(अ) जो 25 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 12 सितंबर, 2017 की अधिसूचना सं॰ 44/2017-सी॰शु॰ (एडीडी) में संशोधन करना है ताकि रूस, इंडोनेशिया, जार्जिया और ईरान से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित अमोनियमनाईट्रेट के निर्यातों पर प्रतिपाटन शुल्क के मामले में प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा जारी शुद्धिपत्र को 5 वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट दरों पर शामिल किया जा सके तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा॰का॰नि॰ 514(अ) जो 30 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मेसर्स जनता जूट मिल्स लिमिटेड (उत्पादक) द्वारा 5 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं॰ 1/2017-सी॰शु॰ (एडीडी) के माध्यम से पहले अध्यारोपित प्रतिपाटन शुल्क के संग्रहण के बिना प्रतिभूति या गारंटी की प्रस्तुती के अध्यधीन प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा शुरू किए गए न्यू शिपर रिव्यू का परिणाम आने तक बांगलादेश या नेपाल में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित जूट यार्न/ट्वाइन (मल्टीपल फोल्डेड/केबल्ड और एकल), हेसियन फैब्रिक और जूट सैकिग बैग के सभी आयातों का अनंतिम आकलन विहित करना है, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा॰का॰नि॰ 515(अ) जो 30 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मैसर्स अमन जूट मिल्स लिमिटेड (उत्पादक)/और मैसर्स आईबी जूट कार्पोरेशन (निर्यातक/ट्रेडर) द्वारा 5 जनवरी, 2017 की

अधिसूचना सं॰ 1/2017–सीशु (एडीडी) के माध्यम से पहले अध्यारोपित प्रतिपाटन शुल्क के संग्रहण के बिना प्रतिभूति या गारंटी की प्रस्तुती के अध्यधीन प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा शुरू किए गए न्यू शिपर रिव्यू का परिणाम आने तक बांगलादेश या नेपाल में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित जूट यार्न/ट्वाइन (मल्टीपल फोल्डेड/केबल्ड और एकल), हेसियन फैब्रिक और जूट सैकिंग बैग के सभी आयातों का अनंतिम आकलन विहित करना है, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा॰का॰नि॰ 522(अ) जो 1 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 3 दिसंबर, 2017 की अधिसूचना सं॰ 51/2012–सी॰शु॰ (एडीडी) को निरस्त करना है, जिसे 3 जून, 2012 तक आगे बढ़ाया गया था, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, जिसके द्वारा अभिहित प्राधिकरण की सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित डिजिटलन आफसेट प्रिटिंग प्लेट्स के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा॰का॰नि॰ 523(अ) जो 1 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय की 17 अप्रैल, 2018 की अधिसूचना सं॰ 14/3/2015–डीजीएडी के अनुसरण में 14 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 28/2017–सी॰शु॰ (एडीडी) में संशोधन करके बांग्लादेश, ताइवान, कोरिया जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और थाईलैंड से उद्भूत या वहां से निर्यातित हाइड्रोजनपराक्साइड के आयात पर संशोधित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा॰का॰नि॰ 259(अ) जो 21 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और जापान से उद्भूत या वहां से निर्यातित रेसोरसिनोल के आयात पर तीन वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा॰का॰नि॰ 585(अ) जो 25 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मेसर्स सांडोग हुआहुआ टायर कंपनी लिमिटेड (ह्ओहुआ) (उत्पादक) और गुंआंगझोऊ एक्सीड इंडस्ट्रियल टेक्नोलोजी कंपनी लि॰ (निर्यातक) या एच॰के॰ ट्रेड विंग ट्रेडिंग लिमिटेड (निर्यातक) के माध्यम से निर्यातित चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित

नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक टायर्स का अनंतिम आकलन तब तक उपलब्ध कराना है जब तक कि इस संबंध में न्यू थिपर समीक्षा के अंतिम निष्कर्ष नहीं प्राप्त हो तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा॰का॰नि॰ 357(अ) जो 10 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें यह निदेश दिया गया है कि उसमें उल्लिखित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची का संशोधन किया जाएगा तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) सा॰का॰नि॰ 475(अ) जो 23 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें यह निदेश दिया गया है कि उसमें उल्लिखित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची का संशोधन किया जाएगा तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा॰का॰नि॰ 577(अ) जो 20 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में अध्याय 7, 8, 28, 38, 72 और 73 में वस्तुओं पर टैरिफ दर बढ़ाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) सा॰का॰नि॰ 245(अ) जो 20 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौंतीस) सा॰का॰नि॰ 620(अ) जो 9 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत हाईटेनेसिटी पालिस्टर यार्न के आयात पर, (जब तक इसे इससे पूर्व प्रतिसंहृत, अधिक्रमित या संशोधित नहीं किया गया हो) 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतीस) सा॰का॰नि॰ 645(अ) जो 13 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से 5 वर्ष की अवधि (जब तक इसे इससे पूर्व प्रतिसंहृत, अधिक्रमित या संशोधित नहीं किया गया हो) के लिए प्रतिपादन शुल्क लगाने की तारीख अर्थात् 13 जुलाई, 2018 से 5 वर्ष की अवधि के लिए अभिहित प्राधिकारी, प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय की सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों पर आधारित विनिर्दिष्ट दरों पर चीन जनवादी गणराज्य और थाइलैंड से उद्भूत अथवा वहां

से निर्यातित और भारत में आयातित ग्रिन्डिंग मीडिया बॉल्स (फार्ज्ड ग्रिन्डिंग मीडिया वॉल्स को छोड़कर) के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छत्तीस) सा॰का॰नि॰ 646(अ) जो 13 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 जुलाई, 2012 की अधिसूचना सं॰ 36/2012–सी॰शु॰ (एडीडी) को निरस्त किया गया है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(34) धन–शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत धन–शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) संशोधन नियम, 2018 जो 16 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 456(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(35) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 306(अ) जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन कर दाताओं जिनका कुल कारोबार 1.5 करोड़ रुपये तक है, के लिए प्ररूप जीएसटीआर–1 में तिमाही ब्यौरे भरने के लिए देय तारीख निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 307(अ) जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन कर दाताओं जिनका कुल कारोबार 1.5 करोड़ रुपये तक है, के लिए प्ररूप जीएसटीआर–1 में तिमाही ब्यौरे भरने के लिए देय तारीख निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 308(अ) जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो प्ररूप जीएसटीआर–6 में विवरणी भरने के लिए समयावधि बढ़ाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 309(अ) जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचित एजेंसियों द्वारा धारा 55 के तहत रिफन्ड के लिए आवेदन भरने की देय तारीख को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) केंद्रीय माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम 2018 जो 18 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 378(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 450(अ) जो 14 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्ररूप जीएसटीआर–3बी में विवरण दायर करने के लिए विलंब शुल्क को माफ करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 462(अ) जो 18 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अप्रैल, 2018 महीने के लिए प्ररूप जीएसटीआर–3बी भरने के लिए निर्धारित तारीख को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 503(अ) जो 28 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 83(3) के अंतर्गत जीएसटी वृत्तिकों के लिए परीक्षा आयोजित करने हेतु प्राधिकरण के रूप में एनएसीआईएन को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 517(अ) जो 31 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई, 2017 से जून, 2018 तक के महीनों के लिए प्ररूप जीएसटीआर–6 में विवरणी दायर करने के लिए देय तारीख को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) केंद्रीय माल और सेवा कर (5वां संशोधन) नियम 2018 जो 13 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 549(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 550(अ) जो 13 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन वस्तुओं को विनिर्दिष्ट करना है जिन्हें जब्ती के बाद समुचित अधिकारी द्वारा निपटाया जाना है।

(बारह) केंद्रीय माल और सेवा कर (6वां संशोधन) नियम 2018 जो 19 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 574(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 594(अ) जो 29 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(4) के अधीन 30 सितंबर, 2018 तक कर संदाय से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) केंद्रीय माल और सेवा कर (7वां संशोधन) नियम, 2018 जो 6 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 611(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा॰का॰नि॰ 504(अ) जो 28 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 4/2017-के॰क॰(दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(36) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा॰का॰नि॰ 595(अ) जो 29 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5 (4) के अंतर्गत 30 सितंबर, 2018 तक कर संदाय से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 506(अ) जो 28 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 4/2017-एकीकृत कर(दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(37) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा॰का॰नि॰ 596(अ) जो 29 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूटीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7 (4) के अधीन 30 सितंबर, 2018 तक कर संदाय से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 470(अ) जो 21 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2018 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 315(अ) को 25.5.2018 से निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 471(अ) जो 21 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च 2018 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 319(अ) को 25.5.2018 से निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) केंद्रीय माल और सेवा कर निधियों का निपटान (दूसरा संशोधन) नियम 2018 जो 4 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 524(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 315(अ) जो 31 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यह अधिसूचित करना है कि कंसाइनमेंट के मूल्य के होते हुए किसी ई-वे बिल को तैयार करना अपेक्षित नहीं होगा जहां माल का संचालन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र के भीतर प्रारंभ और समाप्त होता है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 316(अ) जो 31 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यह अधिसूचित करना है कि चाहे जो भी हो, कंसाइनमेंट मूल्य माल का संचलन चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के भीतर प्रारंभ और समाप्त होने पर ई-वे बिल तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 317(अ) जो 31 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यह अधिसूचित करना है कि चाहे जो भी हो कंसाइनमेंट का मूल्य माल का संचलन दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र के भीतर प्रारंभ और समाप्त होने पर ई-वे बिल तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 318(अ) जो 31 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यह अधिसूचित करना है कि चाहे जो भी हो कंसाइनमेंट का मूल्य माल का संचलन दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र के भीतर प्रारंभ और समाप्त होने पर ई-वे बिल तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 319(अ) जो 31 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यह अधिसूचित करना है कि चाहे जो भी हो कंसाइनमेंट मूल्य का माल संचलन लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के भीतर प्रारंभ

और समाप्त होने पर ई–वे बिल तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 463(अ) जो 18 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2018 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 316(अ) को 25.5.2018 से निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 464(अ) जो 18 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2018 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰ नि॰ 317(अ) को 25.5.2018 से निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 465(अ) जो 18 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2018 की अधिसूचना सं॰ सा॰ का॰नि॰ 318(अ) को 25.5.2018 से निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 505(अ) जो 28 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2018 की अधिसूचना सं॰ 4/2017–संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(38) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) संशोधन आदेश, 2018 जो 27 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 186(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2018 जो 27 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 187(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का॰आ॰ 821(अ) जो 27 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यू–47700 और ब्यूटिरफेटानिल को ''विनिर्मत औषधि'' के रूप में घोषित किया गया है तथा 4–मिथाइलथिकैथिनोन,

एथिनोल, पेंटेड्रान, इथाइल फेनिडेट, मेथियोप्रोपेमाइन, एमडीएमबी-सीएचएमआईसीए, 5 एफ॰एपीआईएनएसीए एक्सलआर-11 और कैथा एडुलिस (ड्राइ चाट अथवा मीरालीव्स ड्राइ चाट एडुलिस) तथा उसके लवणों और निर्मितियों को एनडीपीएस अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित मन:प्रभावी पदार्थों की सूची में शामिल किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का॰आ॰ 822(अ) जो 27 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त संदर्भित स्वापक औषधि तथा मन: प्रभावी पदार्थों की ''अल्प मात्रा'' और ''वाणिज्यिक मात्रा'' को अधिसूचित किया गया है ताकि प्रवर्तन एजेंसियों इस पदार्थ के अवैध विनिर्माण/प्रयोग/संचलन के विरुद्ध कार्रवाई कर सकें तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का॰आ॰ 823(अ) जो 27 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित पदार्थों, लवणों और निर्मितियों को विनिर्मित औषधियों के रूप में घोषित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(39) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 340(अ) जो 6 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30.6.2017 की अधिसूचना संख्या 11/2017-के॰उ॰शु॰ 2.2.2018 की अधिसूचना सं॰ 10/2018 की अधिसूचना सं॰ 10/2018, के॰उ॰शु॰ 11/2018 के॰उ॰शु॰ 12/2018 के॰उ॰शु॰ और 13/2018 के॰उ॰शु॰ में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 341(अ) जो 6 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2.2.2018 की अधिसूचना सं॰ 7/2018-के॰उ॰शु॰ तथा 8/2018 के॰उ॰शु॰ को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(40) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 491(अ) जो 25 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अधिसूचना सं॰ 89/2017-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) दिनांक 21 सितंबर, 2017 में कतिपय संशोधन किये गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(41) आदेश सं॰ एफ॰ सं॰ 462/02/2018 सी॰शु॰ (2018 का तदर्थ छूट आदेश सं॰ 01) दिनांक 6 जुलाई, 2018 जो यूनिसेफ के माध्यम से अधिप्राप्त न्यूमोकोकल कंजूगेट वैक्सीन (पीसीवी) के आयात पर सीमाशुल्क से छूट के लिए हरियाणा सरकार से प्राप्त अनुरोध के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(42) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आयकर (25वां संशोधन) नियम, 2017, जो 20 दिसंबर, 2017 के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1527(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर विवरणी तैयारकर्ता (संशोधन) स्कीम 2018 जो 19 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰ का॰ नि॰ 44(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 18 फरवरी, 2018 की अधिसूचना सं॰ सा॰ का॰ नि॰ 171(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2018 जो 19 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰ का॰ नि॰ 176 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰ का॰ नि॰ 221(अ) जो 13 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 22 जून 2015 की अधिसूचना सं॰ का॰ आ॰ 1660(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2018 जो 6 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰ आ॰ 1517(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2018 जो 9 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ 352(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2018 जो 24 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰ आ॰ 2087(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का॰ आ॰ 2413 (अ) जो 13 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 1790 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) आयकर (7वां संशोधन) नियम, 2018 जो 13 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 647(अ) में प्रकाशित हुए थे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(43) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 10 के अंतर्गत एशिया-प्रशांत व्यापार करार के अंतर्गत माल के मूल का निर्धारण नियम (पूर्व में बैंकाक करार के रूप में ज्ञात) संशोधन नियम, 2018 जो 30 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰ का॰ नि 603(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(44) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्न अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सशस्त्र सीमा बल, युद्धक निरीक्षक (सामान्य दूरी) समूह 'ख' अराजपत्रित पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 19 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰ का॰ नि॰ 116 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) शस्त्र सीमा बल, युद्धक संचार सेवा (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 जो 28 अप्रैल, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 128 में प्रकाशित हुए थे।

(45) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुडगांव का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा भेषण विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुए समझौता-ज्ञापन की एक प्रति।

(48) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) चीनी मूल्य (नियंत्रण) योजना, 2018 जो 7 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2345(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का॰आ॰ 2346(अ) जो 7 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जिसमें यह निदेश दिया गया है कि चीनी का कोई भी उत्पादक आगामी आदेशों तक घरेलू बाजार में श्वेत चीनी अथवा परिष्कृत चीनी नहीं बेचेगा अथवा बेचने पर सहमत नहीं होगा अथवा उसका अन्यथा निपटान नहीं करेगा अथवा उसका वितरण नहीं कराएगा अथवा वितरण कराने के लिए सहमत नहीं होगा अथवा उस कारखाने के गोदामों से श्वेत चीनी भंडार परिष्कृत चीनी नहीं हटाएगा, जिसमें इसे घरेलू बाजार में उन्तीस रुपए प्रति किलोग्राम से कम की दर पर घरेलू बाजार में विक्रय के लिए उत्पादित किया गया है।

(तीन) का॰आ॰ 2347(अ) जो 7 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें यह निदेश दिया गया है कि वैक्यूम पैन प्रक्रिया द्वारा चीनी उत्पादित करने वाला प्रत्येक उत्पादक श्वेत चीनी अथवा परिष्कृत चीनी की ऐसी मात्रा प्रत्येक माह के अंत में धारित नहीं रहेगा, जैसाकि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक माह के लिए विनिर्दिष्ट की गई है।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में सात सदस्यों की रिक्तियों को भरे जाने के लिए राज्य सभा द्वारा 9 मार्च, 2018 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव, और छह सदस्यों के विधिवत निर्वाचन जिसकी सूचना 22 मार्च, 2018 को सभा को दी गई थी, को आगे बढ़ाते हुए राज्य सभा, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए राज्य सभा की शेष एक रिक्ति के लिए निर्वाचन कराने और लोक सभा को सिफारिश करने के लिए सहमत हुई और श्री सी.एम. रमेश बैस उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित हुए।

(दो) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में दस सदस्यों की रिक्तियों को भरे जाने के लिए राज्य सभा द्वारा 9 मार्च, 2018 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव, और सात सदस्यों विधिवत निर्वाचन जिसकी सूचना 22 मार्च, 2018 को सभा को दी गई थी, को आगे बढ़ाते हुए राज्य सभा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के लिए राज्य सभा की शेष तीन रिक्तियों के लिए निर्वाचन कराने और लोक सभा को सिफारिश करने के लिए सहमत हुई और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित हुए:—

1. श्री तिरूची शिवा
2. श्री वीर सिंह
3. श्रीमती वानसुक साइम

6. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री के॰ अशोक कुमार ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये:—

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) से संबंधित 'असम गैर क्रैकर परियोजना' विषय के बारे में 49वां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित 'मालभाड़ा राजसहायता नीति' विषय के बारे में 41वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 50वां प्रतिवेदन।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) की अनुदानों की मांगें 2018-19 के बारे में 45वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 51वां प्रतिवेदन।

(4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगें 2018-19 के बारे में 44वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 52वां प्रतिपादन।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य

और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पशुपालन डेयरी, मत्स्यपालन विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

***8. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव— समय का बढ़ाया जाना**

श्री राजेन्द्र अग्रवाल **ने** निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय को शीतकालीन सत्र, 2018 के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिवस तक बढ़ाती है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. अनुदानों की अनुपूरक मांगें—2018-19

श्री पी॰ राधाकृष्णन ने श्री पीयूष गोयल की ओर से वर्ष 2018-19 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों -पहला प्रक्रम, को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

*अपराह्न 12.08 बजे

10. अतिरिक्त अनुदानों की मांगें—2015-16

श्री पी॰ राधाकृष्णन ने श्री पीयूष गोयल की ओर से वर्ष 2015-16 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

(लोक सभा अपराह्न 1.17 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.22 बजे पुन: समवेत हुई)

---

*अपराह्न 12.08 बजे से अपराह्न 1.17 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 2.22 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी द्वारा बैंक कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिव्यांगों को घर दिए जाने संबंधित प्रावधान के बारे में।

(3) श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा गुजरात के एकलव्य आदर्श आवासीय में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति तथा गुजरात में भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अतिरिक्त संस्था में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोले जाने के बारे में।

(4) श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीएसएनएल की मोबाइल और लैंड लाइन टेलिफोन सेवा में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री बोध सिंह भगत द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 2011 में कराई गई सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना में पात्र पाए गए लोगों के नाम सरकारी रिकार्डों में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्रीमती रीति पाठक द्वारा सिंगरौली-दिल्ली और सिंगरौली-भोपाल ट्रेन को प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) कुमारी शोभा कारान्दलाजे द्वारा कॉफी की कीमत के बारे में।

(8) श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा चित्रकुट-कानपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को लखनऊ तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) कर्नल सोनाराम चौधरी द्वारा वर्षा जल के संचयन और प्रबंधन तथा नदियों को आपस में जोड़े जाने के बारे में।

(10) श्री हरि मांझी द्वारा बिहार के गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पहाड़पुर रेलवे स्टेशन पर जनशताब्दी एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12365/12366) का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) डॉ॰ किरीट सोमैया द्वारा रक्षा मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने में विलम्ब के बारे में।

(12) श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह द्वारा हरबर्टपुर से बड़कोट तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 (507) को बारहमासी मार्ग बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा एआईएमपीएलबी द्वारा शरीयत न्यायालय की स्थापना किए जाने के बारे में।

(14) श्री जर्नादन सिंह सीग्रीवाल द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पाद के लिए शीतागार सुविधाओं की स्थापना किए जाने के बारे में।

(15) श्री पंकज चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में सोहगीबरवा वन्यजीव अभ्यारण्य में जल निकायों का विकास किए जाने और डाक बंगलों का पुनरुद्धार किए जाने के बारे में।

(16) प्रो॰ चिंतामणि मालवीय द्वारा मंच कलाकारों की दयनीय स्थिति में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा केरल में नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट की एक इकाई की स्थापना किए जाने के बारे में।

(18) श्री बी॰एन॰ चन्द्रप्पा द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत रेफरल प्रणाली को आसान बनाए जाने के बारे में।

(19) श्री वी॰ पन्नीरसेलवम द्वारा सलेम इस्पात संयंत्र के निजीकरण के बारे में।

(20) श्री ए॰ अरुणमणिदेवन द्वारा तमिलनाडु के कुड्डालोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की रेलवे संबंधी समस्याओं के बारे में।

(21) डॉ॰ रत्ना डे (नाग) द्वारा नकली दवाओं की कथित बिक्री के बारें में।

(22) डॉ॰ ममताज संघमिता द्वारा असम में नागरिकता मुद्दे के बारे में।

(23) श्री राहुल शेवाले द्वारा मुम्बई के सांताक्रूज विमानपत्तन के निकट ऊंचे भवनों पर प्रतिबंध के बारे में।

(24) श्री पी॰के॰ बिजू द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक नोट वापसी नियमों को फिर से बनाए जाने के बारे में।

(25) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत निधियां जारी किए जाने के बारे में।

(26) श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा हरियाणा के हिसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ईएसआईसी अस्पताल का उन्नयन किए जाने के बारे में।

(27) एडवोकेट जोएस जॉर्ज द्वारा केरल में अंगमाली-एरुमली सबरी रेल परियोजना के निर्माण के बारे में।

(28) श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा आईसीसीआर के अधीन समिति का गठन किए जाने के बारे में।

अपराह्न 2.22 बजे

#12. सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत

लिया गया समय: 4 घंटे 28 मिनट

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन निम्नलिखित संकल्प पेश किया:

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 6 जून, 2018 को प्रख्यापित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 6) का निरनुमोदन करती है।''

तद्नुसार, सांविधिक संकल्प अस्वीकृत हुआ।

#13. सरकारी विधेयक—पारित

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2018

श्री पीयूष गोयल ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ किरीट सोमैया
2. डॉ॰ एम॰ वीरप्पा मोइली

#एक साथ चर्चा हुई।

3. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल
4. प्रो॰ सौगत राय
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री विनायक भाऊराव राऊत
7. श्री जैदेव गल्ला
8. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
9. श्री पी॰ करुणाकरन
10. श्रीमती रेणुका बुत्ता
11. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
12. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा
13. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
14. श्री कौशलेन्द्र कुमार
15. श्री जगदम्बिका पाल
16. श्री दुष्यंत चौटाला
17. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव
18. श्री शरद त्रिपाठी
19. श्री अधीर रंजन चौधरी

श्री पीयूष गोयल ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 24 स्वीकृत हुए।

खंड 25 से 40 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पीयूष गोयल ने विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 6.50 बजे

(लोक सभा बुधवार, 1 अगस्त, 2018 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—1229LS(S3)—31-07-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 1 अगस्त, 2018/10 श्रावण, 1940 (शक)

संख्या 297

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 201—205 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 206—220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2301—2530 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) सिविल सर्विसेज सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सर्विसेज सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) आईटीआई लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(4) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत दूरसंचार अंतरसंपर्क (संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 4) जो 5 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 10-10/2016-बीबी एण्ड पीए में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 43वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. लोक सभा सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा नयाचार प्रतिमान का उल्लंघन और अवमानपूर्ण व्यवहार संबंधी समिति (16वीं लोक सभा) का प्रतिवेदन

श्री रायपति सम्बासिवा राव ने लोक सभा सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा नयाचार प्रतिमान का उल्लंघन और अवमानपूर्ण व्यवहार संबंधी समिति का चौथा और पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री निशिकांत दुबे ने वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य का विवरण

श्री निशिकांत दुबे ने वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य का विवरण सभा पटल पर रखा।

8. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री गणेश सिंह ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में रोजगार में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का 12वां प्रतिवेदन *(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का की-गई-कार्रवाई विवरण

श्रीमती अंजू बाला ने रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के 'रसायन और पेट्रो रसायन क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के जीर्णोद्धार' विषय पर 35वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 42वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

10. मंत्री द्वारा वक्तव्य

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कोरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री ने (एक) श्री शिवकुमार उदासि, संसद सदस्य द्वारा 'संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम' के बारे में अतारांकित प्रश्न सं॰ 4200 के 21 मार्च, 2018 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने वाला वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

#अपराह्न 12.08 बजे

11. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल ने केरल के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश और उसके परिणामस्वरूप हुए समुद्री अपरदन के बारे में निवेदन किया।

---

*इस प्रतिवेदन को 'अध्यक्ष, लोक सभा' के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 25 अप्रैल, 2018 को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को प्रस्तुत किया गया। माननीय अध्यक्ष ने 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम' के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन की अनुमति दी।

#अपराह्न 12.07 बजे से अपराह्न 1.03 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

श्रीमती सुप्रिया सुले, एडवोकेट जोएस जॉर्ज, श्री इन्नोसेन्ट, श्री राजीव सातव, श्री रामचन्द्रन मुल्लापल्ली, श्री रवीन्द्र कुमार जेना और डा॰ कुलमणि सामल सहयोजित हुए।

%श्री अनन्त कुमार ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.03 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.08 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.08 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री रमेन डेका द्वारा असम में बाढ़ की समस्या के बारे में।

(2) श्री फग्गन सिंह कुलस्ते द्वारा देश में वन्य जीव अभ्यारण्यों द्वारा विस्थापित लोगों को पर्याप्त राहत पैकेज और वैकल्पिक भूमि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री लखन लाल साहू द्वारा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सभी ग्रामीणों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के किसानों को प्रतिपूर्ति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री रामेश्वर तेली द्वारा असम के डिब्रूगढ़ में एक पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा राजस्थान के भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 पर अंडरब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री विणु दयाल राम द्वारा झारखंड के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गढ़वा डाकघर में ग्राहक सेवाओं के आरे में।

(8) डा॰ बंशीलाल महतो द्वारा छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक मेडिकल कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

%संसदीय कार्य मंत्री।

(9) श्री गोपाल शेट्टी द्वारा महाराष्ट्र के डहाणु तालुका में विकास परियोजनाओं के संबंध में।

(10) डॉ॰ सुनील बलीराम गायकवाड़ द्वारा लातूर एक्सप्रेस ट्रेन की सेवाओं के विस्तार के बारे में।

(11) श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत केला को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री शरद त्रिपाठी द्वारा वर्षा ऋतु के दौरान शहरों में जल जमाव की समस्या का निराकरण करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री आर॰ ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक के दो मंदिरों को 'प्रसाद' योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने के बारे में।

(14) श्री एम॰ आई॰ शनवास द्वारा लोगों के निजी डाटा के अवैध विक्रय पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) डॉ॰ करण सिंह यादव द्वारा दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारों के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में।

(16) श्री टी॰ राधाकृष्णन द्वारा मध्य पूर्व और सुदूर पूर्व देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौतों (बीएएसए) में मदुरै को शामिल किए जाने के बारे में।

(17) श्री एस॰ राजेन्द्रन द्वारा तमिलनाडु में विलुप्पुरम जंक्शन को एक आदर्श स्टेशन बनाए जाने के बारे में।

(18) श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा पश्चिम बंगाल में चांदखली हाल्ट स्टेशन पर प्लेटफार्म का निर्माण कार्य पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री कलिकेश एन॰ सिंह देव द्वारा ओडिशा के बोलंगीर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 पर एक बाईपास का निर्माण किए जाने के बारे में।

(20) श्री श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा 'बॉम्बे उच्च न्यायालय' का नाम 'मुम्बई उच्च न्यायालय' किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री धनंजय महाडीक द्वारा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बम्बई उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल द्वारा जिला पंचायत द्वारा किए जाने वाले विकास संबंधी कार्यों को महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री प्रेम सिंह चन्दू माजरा द्वारा पंजाब में सावन नदी को चैनलबद्ध करने के लिए धनराशि जारी किए जाने के बारे में।

(24) श्री प्रेम दास राई द्वारा राज्य विधान सभा में सिक्किम के लिम्बू-तमांग समुदायों के आरक्षण के बारे में।

(25) श्री सी॰ एन॰ जयदेवन द्वारा केरल में त्रिस्सूर नगर निगम को डाक विभाग के स्वामित्व वाली भूमि दिए जाने के बारे में।

$13. **उपाध्यक्ष द्वारा टिप्पणी**

उपाध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यों, इससे पहले कि हम आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 13 और 14 पर सूचीबद्ध सांविधिक संकल्प और विधेयक को संयुक्त चर्चा के लिए लें, माननीय सदस्यों का यह स्मरण होगा कि सांविधिक संकल्प और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2018 पर संयुक्त चर्चा के दौरान कल श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मुद्दा उठाया था कि माननीय मंत्री द्वारा विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने और उस पर अपना आरंभिक भाषण देने के बाद चर्चा आरंभ करने का अधिकार विपक्षी दल का होता है। यह एक गलत नजीर है। अत: मेरा अनुरोध है कि इसको इस तरह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ''चर्चा को आरंभ करने का अधिकार मुख्य विपक्षी दल का होता है और हमें यह अवसर नहीं दिया गया और अन्य दलों के माननीय सदस्यों को बीच में अपना भाषण देने की अनुमति दी गई। यह ठीक नहीं है।

इस संबंध में, मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि अध्यादेश के निरनुमोदन हेतु सांविधिक संकल्प और अध्यादेश के स्थान पर आने वाले विधेयक का विषय एक समान होता है। अत: दोनों विषयों पर अलग-अलग चर्चा करना उचित नहीं होगा।

तद्नुसार, सुस्थापित परम्परा के अनुसार, अध्यादेश का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प और अध्यादेश के स्थान लेने वाले विधेयक पर चर्चा संयुक्त रूप से की जाती है ताकि सभा का समय बच सके। इन दोनों विषयों को संयुक्त चर्चा के लिए सूचीबद्ध किए जाने की परम्परा समय की कसौटी पर खरी उतरी है और इसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

$अपराह्न 2.41 बजे की गई।

ऐसे मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया यह है कि जिस माननीय सदस्य के नाम से सांविधिक संकल्प सूचीबद्ध होता है, वह संकल्प को पेश करता है और उसके पश्चात् विधेयक के प्रभारी मंत्री विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए अपना आरंभिक भाषण देते हैं। मंत्री महोदय के भाषण के पश्चात् सांविधिक संकल्प को पेश करने वाले सदस्य को अध्यादेश के साथ-साथ विधेयक पर अपना भषण देने की अनुमति दी जाती है, क्योंकि विधेयक पर अलग से बोलने के लिए उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जा सकता है। सांविधिक संकल्प को पेश करने वाले माननीय सदस्य के भाषण के बाद अन्य दलों के माननीय सदस्यों को उनके दलों की संख्याबल के आधार पर अपना-अपना भाषण देने के लिए बुलाया जाता है।''

अपराह्न 2.09 बजे

#14. सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत

लिया गया समय: 2 घंटे 45 मिनट

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 3 मई, 2018 को प्रख्यापित वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है।''

चर्चा के पश्चात् संकल्प पर मतदान हुआ और संकल्प अस्वीकृत हुआ।

#15. सरकारी विधेयक—पारित

वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 *का विधेयक संख्यांक* 123)

श्री रवि शंकर प्रसाद ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
2. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
3. श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा
4. श्री जे॰जे॰टी॰ नट्टर्जी
5. श्री इदरिस अली
6. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे

#एक साथ चर्चा हुई।

7. डॉ॰ ए॰ सम्पत
8. डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड
9. श्री असादुद्दीन ओवैसी
10. श्री पिनाकी मिश्रा
11. श्री राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव
12. श्री रविन्द्र बाबू पाण्डुला
13. श्री कौशलेन्द्र कुमार

श्री रवि शंकर प्रसाद ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 4 और 5 स्वीकृत हुए।

खंड 6 से 10 स्वीकृत हुए।

खंड 11 से 16 स्वीकृत हुए।

खंड 17 से 20 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री रवि शंकर प्रसाद ने विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 4.54 बजे

&16. सांविधिक संकल्प—विचाराधीन

आवंटित समय : 3 घंटे
लिया गया समय : 28 मिनट
शेष : 2 घंटे 32 मिनट

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 31 मई, 2018 को प्रख्यापित राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है।''

&एक साथ चर्चा की गई।

&17. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2018

कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
2. श्री अनुराग सिंह ठाकुर (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 5.22 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 2 अगस्त, 2018 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

&एक साथ चर्चा की गई।

MGIPMRND—1299LS(S3)—01-08-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 2 अगस्त, 2018/11 श्रावण, 1940 (शक)

संख्या 298

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री सैदैया कोटा के निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने 28 जुलाई, 2018 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक बस के गहरी खाई में गिरने से 33 व्यक्तियों की मृत्यु और कई अन्य व्यक्तियों के घायल होने की सूचना के बारे में भी उल्लेख किया।

सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 221—223 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 224—240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2531—2760 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेशनल फिल्म डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फिल्म डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण (अभिहित उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा संरक्षण सन्नियम और मानक, प्ररूप, स्कीम की तैयारी और कार्यान्वयन की समयावधि और रीति, ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए तथा खपत की गई ऊर्जा के समकक्ष तेल का प्रति मिट्रिक टन मूल्य) संशोधन नियम, 2018 जो 27 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 409(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) पोर्ट लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(11) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2018 जो 27 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 289(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा॰का॰नि॰ 389(अ) जो 23 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ ओडिशा मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 255(अ) जो 21 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा ओडिशा राज्य के कोरापुट जिले के पोटंगी तालुक में मैसर्स नाल्को के माध्यम से बॉक्साइट निक्षेपों के संबंध में पूर्वेक्षण करने या खनन संक्रियाओं के लिए 697.979 हेक्टेयर क्षेत्र को 26 अप्रैल, 2022 तक के लिए आरक्षित रखा गया है।

(12) (एक) एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथारिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखपरीक्षित लेखे।

(दो) एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथारिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) एनटीसी लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 4081(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 27 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 जनवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 126(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 1024(अ)(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 9 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 जनवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 126(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(18) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1322(अ) जो 22 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तराखंड राज्य में ईपीसी मोड पर खटीमा बाईपास खंड को छोड़कर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125 (सितारगंज-टनकपुर खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 1533(अ) जो 6 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो लगभग 42 पुराने बीओटी (पथकर) परियोजनाओं में प्रयोक्ताओं शुल्क को पांच रुपए के निकटतम राउंड ऑफ करने के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 2009(अ) जो 21 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरैई-तिरुनेलवेली-पनागुडी-कन्याकुमारी खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 2010(अ) जो 21 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-गुना खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 2299(अ) जो 6 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में छह लेन वाले ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-II) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 2940(अ) जो 18 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 3162(अ) जो 29 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 5) (विजयवाड़ा से विशाखापत्तनम खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 3163(अ) जो 29 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 (जैसलमेर-बाड़मेर-सांचौर-गुजरात सीमा गांधव ब्रिज खंड तक) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 3164(अ) जो 29 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 (विजयवाड़ा से विशाखापत्तनम खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 3165(अ) जो 29 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 76 (स्वरूपगंज-पिंडवाड़ा-राजस्थान/गुजरात सीमा खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 3166(अ) जो 29 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 5) (विजयवाड़ा से विशाखापत्तनम खंड)के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 3167(अ) जो 29 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 8क (बावनबोर से समख्याली से गांधीधाम खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 3168(अ) जो 29 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 8क (बावनबोर से समख्याली से गांधीधाम खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 1842(अ) जो 8 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(पन्द्रह) का॰आ॰ 1819(अ) जो 4 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24ख (लखनऊ-रायबरेली-इलाहाबाद खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 1466(अ) जो 3 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(सत्रह) का॰आ॰ 1385(अ) जो 27 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठारह) का॰आ॰ 1357(अ) जो 26 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 1117(अ) जो 13 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(बीस) का॰आ॰ 995(अ) जो 6 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 993(अ) और का॰आ॰ 994(अ) जो 6 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ)में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बाईस) का॰आ॰ 2025(अ) जो 22 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेईस) का॰आ॰ 2027(अ) जो 22 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौबीस) का॰आ॰ 2024(अ) जो 22 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 29 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3202(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 2023(अ) जो 22 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 1970(अ) जो 19 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 2943(अ) जो 19 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(अट्ठाईस) का॰आ॰ 2944(अ) जो 19 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(उनतीस) का॰आ॰ 2945(अ) जो 19 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीस) का॰आ॰ 2969(अ) जो 20 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकतीस) का॰आ॰ 2971(अ) जो 20 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(बत्तीस) का॰आ॰ 3031(अ) जो 22 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तैंतीस) का॰आ॰ 3251(अ) जो 5 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौंतीस) का॰आ॰ 3252(अ) जो 5 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंतीस) का॰आ॰ 3255(अ) जो 5 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(छत्तीस) का॰आ॰ 1519(अ) जो 6 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सैंतीस) का॰आ॰ 1358(अ) जो 26 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए है।

(19) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1518(अ) जो 6 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(दो) का॰आ॰ 2026(अ) जो 22 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 32 (झारखंड/पश्चिम बंगाल सीमा से देतिया खंड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(तीन) का॰आ॰ 2028(अ) जो 22 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 131क (नरेनपुर-पूर्णिया खंड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(चार) का॰आ॰ 2946(अ) जो 19 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 30 (आरा-मोहनिया खंड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(पांच) का॰आ॰ 2970(अ) जो 20 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 161खख (मदनूर-रुदरूर-बोधन खंड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(छह) का॰आ॰ 3030(अ) जो 22 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 111 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 130) (बिलासपुर-परथरपली खंड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(सात) का॰आ॰ 3032(अ) जो 22 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में, उसमें उल्लिखित, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(आठ) का॰आ॰ 3254(अ) जो 5 जुलाई 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य में, उसमें उल्लिखित, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(नौ) का॰आ॰ 1969(अ) जो 22 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तेलंगाना राज्य में, राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 161 (संगारेड्डी-तेलंगाना/महाराष्ट्र सीमा खंड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(दस) का॰आ॰ 1386(अ) जो 27 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य में, उसमें उल्लिखित, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(20) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) संशोधन नियम, 2018 जो 7 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 427(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राकेश सिंह ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये:—

(1) कोयला मंत्रालय से संबंधित 'कोयले का उत्पादन, विपणन और वितरण' विषय के बारे में समिति के 36वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 42वां प्रतिवेदन।

(2) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'एसएआईएल और मैकोन लिमिटेड का वास्तविक और वित्तीय कार्य-निष्पादन' विषय के बारे में समिति के 37वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 43वां प्रतिवेदन।

(3) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में समिति के 38वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 44वां प्रतिवेदन।

(4) खान मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों' के बारे में समिति के 39वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 45वां प्रतिवेदन।

(5) कोयला मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में समिति के 40वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 46वां प्रतिवेदन।

6. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री चंद्रकांत बी॰ खैरे ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2017-2018) का 20वां और 21वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की ओर से 'नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन' के बारे में डा॰ पी॰के॰ बिजू द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं॰ 1596 के 26 जुलाई, 2018 को दिए गए उत्तर में शुद्धि किए जाने के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 45वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(4) ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(5) खान मंत्रालय में राज्य मंत्री; और कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

*अपराह्न 12.08 बजे

8. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने केन्द्रीय सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम को कथित रूप से ठीक से प्रस्तुत न किए जाने के बारे में निवेदन किया।

@श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.03 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.02 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.02 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री कामाख्या प्रसाद तासा द्वारा असम के चराईदेव जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने के बारे में।

(2) श्री प्रताप सिम्हा द्वारा कर्नाटक में बाढ़ और भू-स्खलन को देखते हुए केंद्रीय सहायता दिए जाने और कृषि उत्पाद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी घोषणा किए जाने के बारे में।

(3) श्री जनक राम द्वारा बिहार के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक कैलेंडर को नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री राम टहल चौधरी द्वारा रांची-एर्नाकुलम ट्रेन सेवा के फेरे बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

* अपराह्न 12.08 बजे से अपराह्न 1.03 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

@ गृह मंत्री।

(5) श्री विक्रम उसेंडी द्वारा छत्तीसगढ़ में कांकेर और केशकाल बाइपास रोड और अंतागढ़ से कोयलीबेड़ा सड़क का निर्माण किए जाने के बारे में।

(6) डॉ॰ रवीन्द्र कुमार राय द्वारा झारखंड के गिरीडीह में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री कमल भान सिंह मराबी द्वारा छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला में स्थित अम्बिकापुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति किए जाने के बारे में।

(8) श्री प्रहलाद जोशी द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत कर्नाटक में एक निजी कंपनी द्वारा एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के बारे में।

(9) श्री भरत सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एलपीजी बोटलिंग प्लांट लगाए जाने के बारे में।

(10) श्री जनार्दन मिश्र द्वारा निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों एवं सरकारी कर्मचारियों के बच्चों का नामांकन सरकारी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से किए जाने के बारे में।

(11) श्रीमती पूनम महाजन द्वारा व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा योजना बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री सतीश कुमार गौतम द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को आरक्षण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा राजस्थान के उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित खैरवाड़ा तहसील मुख्यालय में जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जाने के बारे में।

(14) श्री गुरजीत सिंह औजला द्वारा पंजाब के अमृतसर में रेल अवसंरचना में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा द्वारा दिल्ली पुलिस स्थापना बोर्ड के बारे में।

(16) डॉ॰ रघु शर्मा द्वारा राजस्थान के अजमेर में स्मार्ट सिटी परियोजना का क्रियान्वयन किए जाने के बारे में।

(17) श्री ए॰ अनवर राजा द्वारा सी-ककम्बर पर लगे प्रतिबंध को हटाए किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री पी॰आर॰ सुन्दरम द्वारा तमिलनाडु में ट्रेन संख्या 22153/22154 का विस्तार करूर रेलवे स्टेशन तक किए जाने के बारे में।

(19) श्रीमती रीता तराई द्वारा ओडिशा के जाजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 की स्थिति के बारे में।

(20) श्री गजानन कीर्तिकर द्वारा मुम्बई के अंधेरी (पश्चिम) स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन हेतु धन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) कुंवर हरिवंश सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इलाहाबाद-फैजाबाद रेल खंड पर स्थित चिलबिला जंक्शन के निकट एक अंडर पास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.03 बजे

10. निम्नलिखित पर आगे विचार

(एक) राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन का अनुकल्पी संशोधन—स्वीकृत;

(दो) लोक सभा द्वारा किए गए और संशोधन—स्वीकृत

संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017

लिया गया समय: 4 घंटे 57 मिनट

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:–

1. श्री कल्याण बनर्जी (भाषण पुन: आरंभ किया गया)
2. श्री ए॰ अरुणमणिदेवन
3. श्री भर्तृहरि महताब
4. श्री अरविंद सावंत
5. डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड
6. श्री के॰ राममोहन नायडू
7. श्री पी॰ करुणाकरन
8. श्री नित्यानंद राय
9. श्रीमती कोथापल्ली गीता

10. श्री ताम्रध्वज साहू
11. श्री प्रहलाद सिंह पटेल
12. श्री धर्मेन्द्र यादव
13. श्री मधुकरराव यशवंतराव कुकडे
14. श्री पंकज चौधरी
15. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
16. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा
17. श्री राजेश वर्मा
18. श्री राम कुमार शर्मा
19. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
20. श्री राम टहल चौधरी
21. श्री दुष्यंत चौटाला
22. श्री संतोष कुमार
23. श्री रोड़मल नागर
24. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
25. श्री रामविलास पासवान
26. श्री असादुद्दीन ओवैसी
27. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
28. श्री प्रेम दास राई
29. श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी
30. श्री सुनील कुमार मण्डल
31. श्री रमेश बिधूड़ी
32. श्री एच॰डी॰ देवेगौडा
33. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव

डॉ॰ थावर चंद गहलोत ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

तत्पश्चात् अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यगण, जैसा आपको विदित है, माननीय मंत्री ने राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन का अनुकल्पी संशोधन तथा वर्ष 2017 को 2018 करने तथा अधिनियमन सूत्र में गणराज्य के वर्ष में परिवर्तन करने के बारे में और संशोधनों को पेश किया है। मैं आपको सूचित करना चाहूंगी कि सभा के अनुकल्पी संशोधन सभा द्वारा स्वीकृत किए जाने की स्थिति में राज्य सभा द्वारा किया गया मूल संशोधन अनुकल्पी संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ऐसे में, राज्य सभा द्वारा किया गया मूल संशोधन सभा के मतदान के लिए प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। माननीय सदस्यगण, अनुकल्पी संशोधन का आशय विधेयक के मूल खण्ड 3 में कतिपय परिवर्तन करके एक नए खण्ड 3 का अंत:स्थापन करना है। इस संबंध में मैं निदेश 31 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी, जिसके अनुसार ''जब विधेयक में नए खण्ड के अंत:स्थापन का संशोधन सभा द्वारा स्वीकृत किया जाता है, अध्यक्ष विधेयक में नया खण्ड जोड़े जाने का प्रश्न रखेंगे'' अत: सभा द्वारा अनुकल्पी संशोधन स्वीकृत किए जाने की स्थिति में मैं नए खण्ड 3 को सभा में मतदान के लिए प्रस्ताव भी करूंगी। चूंकि, हमें संविधान (संशोधन) विधेयक पर विचार करना है, मै संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत यथा अपेक्षित विशेष बहुमत से मत विभाजन द्वारा वैकल्पिक संशोधन को स्वीकार किए जाने के, नये खण्ड तीन को स्वीकृत किए जाने, वर्ष तथा गणराज्य के वर्ष के परिवर्तन के लिए और संशोधनों को स्वीकार करने तथा विधेयक को पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव को सभा में मतदान का प्रस्ताव करूंगी। नियम 156 की भावना को ध्यान में रखते हुए, माननीय मंत्री द्वारा पेश किए गए अनुकल्पी संशोधन के श्री भर्तृहरि महताब द्वारा पेश किए गए संशोधन का विनिश्चय साधारण बहुमत से किया जाएगा।''

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन के अनुकल्पी संशोधन में श्री भर्तृहरि महताब द्वारा पेश किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर सभा में मत विभाजन हुआ, पक्ष में 86; विपक्ष में 320:—

''(i) कि राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन के अनुकल्पों संशोधन में, पृष्ट 2, प्रस्तावित नए अनुच्छेद 338ख में, खण्ड (2) के पश्चात्,—

''परंतु यह कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों में से कम से कम एक महिला होगी'' अंत:स्थापित किया जाए;

(ii) कि राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन के अनुकल्पों संशोधन में, पृष्ट 3, प्रस्तावित नए अनुच्छेद 338ख में, खण्ड (9) के पश्चात्,—

''परंतु यह कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले नीति विषयक मामलों, जो संविधान की सातवीं अनुसूची की

सूची 2—राज्य सूची में शामिल हैं, के संबंध में राज्य सरकार के लिए ऐसा परामर्श आज्ञापक नहीं होगा।'' अंत:स्थापित किया जाए।

तद्नुसार संशोधन अस्वीकृत हुए।

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन के अनुकल्पी संशोधन को स्वीकृत किए जाने के निम्नलिखित प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ—पक्ष में: 409; विपक्ष में: शून्य

(i) कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक, लोक सभा द्वारा यथापारित, में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन ''कि पृष्ठ 2 और 3, खण्ड 3 का लोप किया जाए'', के स्थान पर राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन के निम्नलिखित अनुकल्पी संशोधन को प्रतिस्थापित किया जाए:—

कि पृष्ठ 2 और 3 पर निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,—

'3. संविधान के अनुच्छेद 338क के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— नए अनुच्छेद 338ख का अंत:स्थापन।

''338ख. (1) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नामक एक आयोग होगा। पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग।

(2) संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अध्यधीन, आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे तथा इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी, जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें।

(3) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(4) आयोग को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

(5) आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे—

(क) इस संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या सरकार के किसी आदेश के अधीन सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और मानीटर करना;

(ख) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के अधिकारों से वंचित किए जाने और रक्षोपायों के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना;

(ग) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास में भाग लेना तथा सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य में उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(घ) राष्ट्रपति को, वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग उचित समझे, उन रक्षोपायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ङ) ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में सिफारिशें करना, जो संघ या किसी राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए, उन रक्षापायों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, किए जाने चाहिए; और

(च) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा किए गए उपबंधों के अध्यधीन नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(6) राष्ट्रपति, ऐसी सभी रिपोर्टों को, संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन और ऐसी किसी सिफारिश की अस्वीकृति के कारणों, यदि कोई हों, सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।

(7) जहां ऐसी कोई रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी ऐसे मामले से संबंधित है, जिसका संबंध राज्य सरकार से है, वहां ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जाएगी, जो उसे, राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन और ऐसी किसी सिफारिश की अस्वीकृति के कारणों यदि कोई हों, सहित राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखवाएगा।

(8) आयोग को, खंड (5) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत की जांच करते समय किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की, और विशेषतया निम्नलिखित विषयों की बाबत सभी शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) कोई अन्य विषय, जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें।

(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी मुख्य नीति विषयक मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।''।

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन का अनुकल्पी संशोधन सभा की कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 को स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव पर सभा में विभाजन हुआ, पक्ष में—410; विपक्ष में—शून्य।

तद्नुसार खण्ड 3 सभा की कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ।

निम्नलिखित और संशोधनों के स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव पर सभा में विभाजन हुआ, पक्ष में—409; विपक्ष में—शून्य।

खण्ड 1

पृष्ठ 1, पंक्ति, 3—

''2017'' के स्थान पर ''2018'' प्रतिस्थापित किया जाए

अधिनियम सूत्र

पृष्ठ 1, पंक्ति, 1

'''अड़सठवें'' के स्थान पर ''उनहत्तरवें'' प्रतिस्थापित किया जाए

तद्नुसार, और संशोधन सभा की कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुए।

डॉ॰ थावर चंद गहलोत ने राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन के अनुकल्पी संशोधन तथा संशोधन द्वारा यथासंशोधित विधेयक का प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ, पक्ष में—411; विपक्ष में—शून्य।

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ। राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन के अनुकल्पी

संशोधन तथा संशोधनों द्वारा यथासंशोधित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसरण में अपेक्षित बहुमत से पारित किया गया।

7.00 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 3 *अगस्त,* 2018 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

बुधवार, 1 अगस्त, 2018 के समाचार भाग–1,

संख्या 297 का

शुद्धिपत्र

पृष्ठ 4, क्रमांक (7) में श्री विणु दयाल राम *के स्थान पर* श्री विष्णु दयाल राम पढ़ा जाए।

MGIPMRND—1343LS(S3)—02-08-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 3 अगस्त, 2018/12 श्रावण, 1940 (शक)

संख्या 299

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 241—243 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.37 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 11.50 बजे पुनः समवेत हुई।)

सदस्य जिनके नाम तारांकित प्रश्न 244 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि संबंधित मंत्री ने उत्तर सभा पटल पर रखा। सदस्यों द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 244 के पूरक प्रश्न पूछे गए।

तारांकित प्रश्न संख्या 245—260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2761—2990 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003

की धारा 31 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) दूसरा संशोधन नियम, 2018 जो 3 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 331(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियम, 2018 जो 26 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 283(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 की धारा 124 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का॰आ॰ 2173(अ) जो 29 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं॰ 07(अ) को निरस्त किया गया है।

(दो) मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख (केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड) नियम, 2018 जो 29 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में सा॰का॰नि॰ 507(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) नियम, 2018 जो 29 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में सा॰का॰नि॰ 508(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख (मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों का अधिकार) नियम, 2018 जो 29 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में सा॰का॰नि॰ 509(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 33 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना (मेडिकल कॉलेज द्वारा नए या उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण आरंभ किया जाना और प्रवेश क्षमता में

वृद्धि किया जाना) संशोधन विनियम, 2018, जो 8 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 12-6/2001-सीसीएच (पीटी-II) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) होम्योपैथिक प्रैक्टीशनर (वृत्तिक आचरण, शिष्टाचार और आचार संहिता) संशोधन विनियम, 2018, जो 8 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 7-3/2003-सीसीएच (पीटी-I) में प्रकाशित हुए थे।

(4) (एक) सेन्टर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, अहमदाबाद के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, अहमदाबाद के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6 और 25 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3243(अ), जो 4 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 4 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2311(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा-पार संचलन) संशोधन नियम, 2017 जो 28 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 177(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा-पार संचलन) संशोधन नियम, 2018 जो 12 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 544(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018 जो 25 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 94(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सा॰का॰नि॰ 46(अ) जो 19 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों में सीमेंट संयंत्र में पीटकोक की बिक्री और प्रयोग के बारे में है।

(पाँच) ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2017 जो 10 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2555(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) सा॰का॰नि॰ 495(अ) जो 25 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो चूना भट्‌टी में पीटकोक की बिक्री और प्रयोग के बारे में है।

(सात) सा॰का॰नि॰ 492(अ) से सा॰का॰नि॰ 494(अ) जो 25 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो चूना भट्‌टी, सीमेंट और कार्बाइड में पीटकोक की बिक्री और प्रयोग के बारे में है।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 45(अ) जो 19 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो चूना भट्‌टी में पीटकोक की बिक्री और प्रयोग के बारे में है।

(नौ) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) संशोधन नियम, 2018 जो 22 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 261(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(10) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल एस्टेट निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 10 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी–एनआरओ/जीएन/2018/06 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 10 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी– एनआरओ/जीएन/2018/07 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (देयताओं और प्रकटन अपेक्षाओं का सूचीबद्ध किया जाना) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018 जो 30 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी–एनआरओ/जीएन/2018/13 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचुअल फंड) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018 जो 30 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी–एनआरओ/ जीएन/2018/14 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 30 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी–एनआरओ/ जीएन/2018/15 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इश्यू के लिए बैंकर्स) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 30 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी–एनआरओ/ जीएन/2018/16 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इश्यू के लिए रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 30 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी–एनआरओ/जीएन/2018/17 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधि) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 01 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी–एनआरओ/जीएन/2018/19 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का महत्वपूर्ण अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 01 जून, 2018 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी–एनआरओ/ जीएन/2018/20 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (देयताओं और प्रकटन अपेक्षाओं का सूचीबद्ध किया जाना) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018 जो 01 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी–एनआरओ/ जीएन/2018/21 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गमित करना और प्रकटन अपेक्षाएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018 जो 01 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी–एनआरओ/जीएन/2018/22 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (देयताओं और प्रकटन अपेक्षाओं का सूचीबद्ध किया जाना) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018 जो 8 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी–एनआरओ/ जीएन/2018/24 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इश्यू के लिए रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018 जो 8 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी–एनआरओ/ जीएन/2018/25 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पब्लिक ऑफर और प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों का सूचीबद्ध किया जाना) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 26 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी–एनआरओ/जीएन/2018/26 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 5 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी–एनआरओ/जीएन/ 2018/05 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 27 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी–एनआरओ/ईएन/ 2018/09 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) भारतीय संविदा (विनियमन) स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कारपोरेशन्स) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 2 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/04 में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डिलिस्टिंग) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 1 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2018/23 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (देयताओं और प्रकटन अपेक्षाओं का सूचीबद्ध किया जाना) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 9 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/ 2018/10 में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018 जो 1 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/ 2018/18 में प्रकाशित हुए थे।

(11) भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश, 2018 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भगोड़ा आर्थिक अपराधी (भगोड़ा आर्थिक अपराधियों की घोषणा के लिए आवेदन) नियम, 2018, जो 24 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 393(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भगोड़ा आर्थिक अपराधी (कुर्की आदेश का जारी किया जाना) नियम, 2018, जो 24 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 394(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भगोड़ा आर्थिक अपराधी (अनंतिम कुर्की आदेश का जारी किया जाना) नियम, 2018, जो 24 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 395(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भगोड़ा आर्थिक अपराधी (प्ररूप, तलाशियां और अभिग्रहण तथा विशेष न्यायालय को हेतु और सामग्री अग्रसारित करने की रीति) नियम, 2018, जो

24 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 396(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भगोड़ा आर्थिक अपराधी (जब्त की गई सम्पत्तियों की प्राप्ति और प्रबंधन) नियम, 2018 जो 24 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 397(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भगोड़ा आर्थिक अपराधी (सूचना तामील करने के लिए संविदाकारी राज्य को अनुरोध-पत्र भेजने की प्रक्रिया तथा विशेष न्यायालय के आदेश का निष्पादन) नियम, 2018 जो 25 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 501(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(12) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 3049(अ) जो 22 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रतिभूति नियमों के अंतर्गत चेन्नई में विशेष न्यायालय को पदाभिहित किया गया है और न्यायालय की प्रादेशिक अधिकारिता परिभाषित की गई है।

(दो) का॰आ॰ 3050(अ) जो 22 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रतिभूति नियमों के अंतर्गत कोलकाता में विशेष न्यायालय को पदाभिहित किया गया है और न्यायालय की प्रादेशिक अधिकारिता परिभाषित की गई है।

(13) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा 9 के अंतर्गत राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध (संशोधन) नियम, 2018 जो 2 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 321(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उप-धारा(3) के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि खाता (संशोधन) नियम, 2018 जो 6 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 617(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3364(अ) जो 9 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 21 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1267(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) स्टॉक मार्केट घोटाला और तत्संबंधी मामले संबंधी संयुक्त संसदीय समिति, जुलाई, 2018 की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्रवाई संबंधी 30वां प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) केन्द्रीय सरकार द्वारा 2017-2018 के दौरान लिए गए बाजार उधारों के विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2017-18 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की छमाही समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(21) डिपोजिट इन्श्योरेंस एण्ड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(22) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केन्द्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी) (पहला संशोधन) विनियम, 2018 जो 25 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/7 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और आहरण) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018 जो 18 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 में प्रकाशित हुए थे।

(23) भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) नियम 2018 जो 26 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 282 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआरडब्ल्यूपीएम 10220 78 डीके में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केनरा बैंक (अधिकारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2017 जो 19 जनवरी, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआरडब्ल्यू/आईआरएस/228/ एसजे/2914/2017 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विजया बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो 16 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ वीबी/पीईआर/आईआरडी/738/2018 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आंध्रा बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो 6 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 666/3/20/आईआर/27 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) देना बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो 20 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० एचओ/एचआरएम/आईआर/एनओटीई–79/2018 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) विजया बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2010 जो 16 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० वीबी/पीईआर/आईआरडी/737/2018 में प्रकाशित हुए थे।

(25) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत अधिसूचना सं० का०आ० 1761(अ) जो 26 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित मन:प्रभावी पदार्थों की सूची में ट्रैमाडोल तथा उसके लवणों और उनकी निर्मितियों को जोड़ा गया है ताकि प्रवर्तन एजेंसियां इन पदार्थों के अवैध विनिर्माण/उपयोग/संचलन के विरुद्ध कार्रवाई कर सकें, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(26) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आयकर (5वां संशोधन) नियम, 2018, जो 11 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1558(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का०आ० 3039(अ) जो 22 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 ञज के अंतर्गत भारत में निवासी कही जाने वाली विदेशी कंपनी से संबंधित विशेष उपबंधों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (8वां संशोधन) नियम, 2018, जो 20 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 666(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(27) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना सं० सा०का०नि० 667(अ) जो 20 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(28) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 677(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 11/2017-केन्द्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 678(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 12/2017-केन्द्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 679(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 13/2017-केन्द्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 680(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 14/2017-केन्द्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 681(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 11/2017-केन्द्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(29) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 682(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 8/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 683(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 9/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 684(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 10/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 685(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 11/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 686(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 8/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(30) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 687(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 11/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 688(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 12/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 689(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 13/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 690(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 14/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 691(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 11/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(31) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119(2)(ग) के अंतर्गत 4 मई, 2018 का आदेश सं॰ 178/03/2010-आईटीए-1 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) औषधि और प्रसाधन सामग्री (दसवां संशोधन) नियम, 2017 जो 27 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1337(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) औषधि और प्रसाधन सामग्री (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2017 जो 10 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1380(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(33) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 की उप-धारा (4) के अंतर्गत भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (नए दंत चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना, दंत चिकित्सा कॉलेजों में नए या उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण आरंभ किया जाना और प्रवेश क्षमता में वृद्धि किया जाना। (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2018 जो 11 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-22(13)-2018 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) चाइल्ड लाईन इंडिया फाउंडेशन, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चाइल्ड लाईन इंडिया फाउंडेशन, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 26 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2017-18/ जीएन/आरईजी/026 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला वृत्तिक) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/ 2017-18/जीएन/आरईजी/027 में प्रकाशित हुए थे

(तीन) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला वृत्तिक) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/ 2017-18/जीएन/आरईजी/027 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2017-18/जीएन/आरईजी/028 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना सुविधाएं) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2017-18/जीएन/आरईजी/029 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018 जो 28 मार्च,

2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2017-18/जीएन/आरईजी/030 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018 जो 4 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2018-19/जीएन/आरईजी/031 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2018 जो 3 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 422(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(41) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कंपनी (निगमन) दूसरा संशोधन नियम, 2018, जो 27 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 284(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) संशोधन नियम, 2018, जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 310(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) का॰ आ॰ संख्या 1465(अ) जो भारत के राजपत्र में 2 अप्रैल, 2018 को प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 फरवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ आ॰ 529(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) कंपनी (शेयर कैपिटल और डिबेंचर) संशोधन नियम, 2018, जो 11 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 363(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) संशोधन नियम, 2018, जो 7 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 429(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) कंपनी (प्रतिभूतियों का प्रोस्पेक्ट्स और आबंटन) संशोधन नियम, 2018, जो 7 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 430(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) दूसरा संशोधन नियम, 2018, जो 7 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 431(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) संशोधन नियम, 2018, जो 7 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 432(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 17 मई 2018 की अधिसूचना सं॰ सा॰ का॰ नि॰ 461(अ) केवल अंग्रजी संस्करण में प्रकाशित हुआ है।

(नौ) कंपनी (परिभाषा ब्यौरों का विनिर्देशन) संशोधन नियम, 2018, जो 7 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 433(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) कंपनी (शेयर कैपिटल और डिबेंचर) दूसरा संशोधन नियम, 2018, जो 7 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 434(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) दूसरा संशोधन नियम, 2018, जो 7 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 435(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) तीसरा संशोधन नियम, 2018, जो 14 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 558(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्य निर्धारणकर्ता और मूल्य निर्धारण) दूसरा संशोधन नियम, 2018, जो 14 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 559(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) दूसरा संशोधन नियम, 2018, जो 14 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 560(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) कंपनी (महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामी) नियम, 2018, जो 14 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 561(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) कंपनी (लेखाकरण मानक) संशोधन नियम, 2018, जो 18 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 569(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) कंपनी (निक्षेपों की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2018, जो 6 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 612(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) कंपनी (रजिस्टर कराने के लिए प्राधिकृत) दूसरा संशोधन नियम, 2018, जो 6 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 613(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) कंपनी (प्रभारों का रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम, 2018, जो 6 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 614(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) चौथा संशोधन नियम, 2018, जो 6 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 615(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) तीसरा संशोधन नियम, 2018, जो 6 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 616(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) सा०का०नि० 632(अ) जो 12 जुलाई, 2018 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 सितम्बर, 2015 की अधिसूचना सं० सा०का०नि०729(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण और रिफंड) तीसरा संशोधन नियम, 2017, जो 22 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 472(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(42) उपर्युक्त (41) की मद सं॰ (एक) से (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 79 की उपधारा (3) के अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) नियम, 2008 जो 14 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 557(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3250(अ) जो 4 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा लाइनर पोत परिवहन उद्योग के जलयान साझेदारी समझौतों को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3 के उपबंधों से छूट प्रदान की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिकों और अन्य कदाचार की जांच प्रक्रिया तथा मामलों का संचालन) संशोधन नियम, 2018 जो 9 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 348(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत लागत और संकर्म लेखपाल (वृत्तिकों अन्य कदाचार की जांच प्रक्रिया तथा मामलों का संचालन) संशोधन नियम, 2018 जो 9 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 349(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत कंपनी सचिव (वृत्तिकों और अन्य कदाचार की जांच प्रक्रिया तथा मामलों का संचालन) संशोधन नियम, 2018 जो 9 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 350(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 467(3) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 362(अ) जो 11 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची I में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

4. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री भगत सिंह कोश्यारी ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये:—

(1) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) प्राधिकारियों द्वारा मैसर्स महालक्ष्मी इन्फ्राकान्ट्रेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को कार्य पूरा किए बगैर भुगतान करने में कथित रूप से घोर वित्तीय अनियमितताएं बरतने के बारे में श्री सुभाष कुमार सिंह से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 47वां प्रतिवेदन।

(2) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/लोक उद्यम विभाग (डीओपीटी/डीपीई) के दिशा-निर्देशों के कथित उल्लंघन के बारे में श्री डी॰ शिवामूर्ति से प्राप्त तथा श्री सुरेश अंगड़ी, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित अभ्यावेदन के बारे में 48वां प्रतिवेदन।

(3) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के रूपांतरण/निजीकरण तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारियों के आरक्षण अधिकारों के संरक्षण एवं संबंधित मुद्दों के बारे में सर्वश्री अरविन्द सावंत और राजन विचारे, संसद सदस्य, लोक सभा से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति के 31वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में की गई समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 49वां प्रतिवेदन।

(4) भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए तंत्र के बारे में श्री वी॰पी॰ बलवतकर से प्राप्त अभ्यावेदन के संदर्भ में याचिका समिति के 33वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 50वां प्रतिवेदन।

(5) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) द्वारा मैसर्स सद्भाव अन्नापूर्ण (जेवी) को कार्य पूरा किए बगैर पूर्ण संविदा राशि का भुगतान करने के बारे में श्री सुभाष कुमार सिंह से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 51वां प्रतिवेदन।

(6) सुश्री पारुल कौल के पति श्री रजनीश कौल द्वारा उसके साथ क्रूरतापूर्ण बर्ताव करने, आपराधिक न्यास भंग, सामान्य आशय को अग्रसर करने हेतु किए गए कृत्यों के लिए प्रत्यर्पित करने में की गई अत्यधिक देरी के बारे में सुश्री पारुल कौल के पिता श्री टी॰के॰ कौल से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 52वां प्रतिवेदन।

(7) एचएमटी, पिंजौर के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने और इसकी ट्रेक्टर इकाई को फिर से चालू करने के बारे में सर्वश्री राम शरन कांतिवाल और महेन्द्र सिंह से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 53वां प्रतिवेदन।

(8) तेजपुर रेलवे स्टेशन तक ब्रोडगेज लाईन का विस्तार करने के संबंध में श्री जितेन सुंडी और अन्य से प्राप्त तथा श्री जितेन्द्र चौधरी, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित अभ्यावेदन के बारे में 54वां प्रतिवेदन।

(9) देश में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का प्रावधान और उससे सम्बद्ध अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में डॉ॰ मधुसूदन दीक्षित से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति के 25वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में की गई समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 55वां प्रतिवेदन।

(10) देश में ह्यूमन इम्यूनोडिफिसिएंसी वायरस (एचआईवी)/एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिसिएंसी सिंड्रोम (एड्स) रोगियों की कथित उपेक्षा किए जाने के बारे में श्री डी॰के॰ जोशी से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति के 26वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 56वां प्रतिवेदन।

5. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी॰ करूणाकरन ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 12वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. रेल अभिसमय समिति के प्रतिवेदन

श्री के॰ अशोक कुमार ने रेल अभिसमय समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये:—

(1) रोलिंग स्टॉक के अनुरक्षण के बारे में 24वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(2) भारतीय रेल द्वारा आंतरिक संसाधन के सृजन के बारे में 25वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(3) ट्रेक उन्नयन और आधुनिकीकरण के बारे में समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 26वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(4) भारतीय रेल में सतर्कता के बारे में समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 27वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

7. कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री देवजी पटेल ने कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये:—

(1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) के 'देश में कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों में रसायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रभाव' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (2015-16) के 29वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 54वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) के 'देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भौगोलिक दशाओं तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर आधारित व्यापक कृषि अनुसंधान' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (2016-17) के 39वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 55वां प्रतिवेदन।

(3) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (2017-18) के 47वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 56वां प्रतिवेदन।

(4) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) के राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत 'किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे कृषि औजारों और उपकरणों की लागत और गुणवत्ता में अंतर तथा आयातित पावर टीलर्स के कारण किसानों को हो रही समस्याएं—एक समीक्षा' विषय के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (2017-18) के 51वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 57वां प्रतिवेदन।

(5) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) के 'आईसीएआर—केन्द्रीय टयूबर क्राप्स अनुसंधान संस्थान—कार्य निष्पादन समीक्षा' विषय के बारे में 58वां प्रतिवेदन।

(6) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (2017-18) के 48वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 59वां प्रतिवेदन।

8. कृषि संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री देवजी पटेल ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि सहकारिता और किसान कल्याण) के 'ग्रामीण गोदाम स्कीम के माध्यम से ग्रामीण भण्डारण अवसंरचना का संवर्धन' विषय पर 28वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 40वें प्रतिवेदन में सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने (एक) गुटखा, तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध के बारे में श्रीमती संतोष अहलावत, संसद सदस्य और श्री सुमेधानंद सरस्वती, संसद सदस्य द्वारा 20 जुलाई, 2018 को पूछे गए अतांराकित प्रश्न संख्या 574 के दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2016-17 (मांग संख्या 42) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 93वें और 96वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) (मांग संख्या 43) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति के 94वें और 97वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रेल मंत्री; कोयला मंत्री; वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य

मंत्री की ओर से राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-2018) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 47वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.07 बजे

10. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सत्र के शेष भाग के दौरान सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.08 बजे

11. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति के लिए लोक सभा के सदस्य की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव

श्री गणेश सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा की सदस्यता से डॉ॰ वारा प्रसाद राव वी॰ द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर, उनके स्थान पर भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए श्री प्रताप सिम्हा को नियुक्त करती है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.21 बजे

12. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) निम्नलिखित सदस्यों ने सिल्चर विमानपत्तन पर एक दल विशेष के संसद सदस्यों को कथित रूप से निरुद्ध किए जाने के बारे में निवेदन किया:—

1. श्री कल्याण बनर्जी
2. श्रीमती विजया चक्रवर्ती
3. श्री गौरव गोगोई
4. श्री अधीर रंजन चौशरी

---

*अपराह्न 12.19 बजे से अपराह्न 1.03 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

5. श्री नव कुमार सरनीया

श्री राजीव सातव सहयोजित हुए।

#श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.45 बजे

(दो) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए राजनीतिक शक्ति के कथित उपयोग के बारे में निवेदन किया।

$कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने उत्तर दिया।

%13. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2018

अपराह्न 1.03 बजे

14. सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत

लिया गया समय: 3 घंटे 17 मिनट

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन द्वारा 1 अगस्त, 2018 को पेश किए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 31 मई, 2018 को प्रख्यापित राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है।''

चर्चा के पश्चात् संकल्प पर मतदान हुआ और संकल्प अस्वीकृत हुआ।

15. सरकारी विधेयक—पारित

राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

कर्नल राज्यवर्धन राठौर द्वारा 1अगस्त, 2018 को विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

गृह मंत्री

$ युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

% अपराह्न 3.06 बजे

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अनुराग सिंह ठाकुर (अपना भाषण पुन: आरंभ किया)
2. डॉ॰ थोकचोम मेन्या
3. श्री जी॰ हरि
4. श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी
5. श्री प्रसून बनर्जी
6. श्री कलिकेश एन॰ सिंह देव
7. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
8. श्री एम॰बी॰ राजेश
9. श्री धनंजय महाडीक
10. श्रीमती कोथापल्ली गीता
11. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु
12. श्री नंद कुमार सिंह चौहान
13. डॉ॰ धर्म वीर गांधी
14. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
15. श्री दुष्यंत चौटाला
16. श्री विनसेंट एच॰ पाला
17. श्री मनोज कुमार तिवारी
18. श्री थांगसो बाइटे
19. श्री सत्य पाल सिंह
20. श्री वीरेन्द्र सिंह

कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 और 6 स्वीकृत हुए।

खंड 7 और 8 स्वीकृत हुए।

खंड 9 स्वीकृत हुआ।

खंड 10 से 16 स्वीकृत हुए।

खंड 17 स्वीकृत हुआ।

खंड 18 से 25 स्वीकृत हुए।

खंड 26 और 27 स्वीकृत हुए।

खंड 28 स्वीकृत हुआ।

खंड 29 से 38 स्वीकृत हुए।

खंड 39 से 41 स्वीकृत हुए।

खंड 42 स्वीकृत हुआ।

खंड 43 और 44 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1 स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 3.53 बजे

16. प्रस्ताव—स्वीकृत

प्रस्ताव

श्री थांगसो बाइटे ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 7 फरवरी और 25 जुलाई, 2018 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के क्रमश: 39वें और 42वें प्रतिवेदनों से इस उपांतरण के अध्यधीन कि संकल्पों के लिए समय के आबंटन से संबंधित उसकी सिफारिशों के पैरा 4 और पैरा 5 के उप-पैरा (दो) का लोप किया जाए और 7 मार्च और 1 अगस्त, 2018 को सभा में प्रस्तुत समिति के क्रमश: 40वें और 43वें प्रतिवेदन से सहमत है।''।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.54 बजे

17. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित

1. श्री असादुद्दीन ओवैसी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 371ट का अंत:स्थापन)।
2. श्री असादुद्दीन ओवैसी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 84 का संशोधन, आदि)।
3. डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक', संसद सदस्य का लू और शीत लहर के कारण होने वाली मौतों का निवारण विधेयक, 2018
4. डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक', संसद सदस्य का महिला कल्याण विधेयक, 2018
5. डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक', संसद सदस्य का स्ववित्तपोषित व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2018
6. डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक', संसद सदस्य का माल और सेवाओं के लिए बीजकों का अनिवार्य प्रस्तुतीकरण विधेयक, 2018
7. श्री अनुराग सिंह ठाकुर, संसद सदस्य का राष्ट्रीय पर्यटन (सतत् विकास और संवर्धन) विधेयक, 2018

8. डॉ॰ शशि थरूर, संसद सदस्य का डाटा एकांतता और संरक्षण विधेयक, 2017

9. डॉ॰ शशि थरूर, संसद सदस्य का मृत्यु दंड (उत्सादन) विधेयक, 2017

10. डॉ॰ शशि थरूर, संसद सदस्य का दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 354घ का संशोधन, आदि)।

11. डॉ॰ शशि थरूर, संसद सदस्य का चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 4 का संशोधन आदि)।

12. श्रीमती कविता कलवकुंतला, संसद सदस्य का पुरातत्वीय और प्राकृतिक विरासत संरक्षण विधेयक, 2017

13. श्रीमती कविता कलवकुंतला, संसद सदस्य का औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2018 (नए अध्याय 3क का अंत:स्थापन)।

14. श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव, संसद सदस्य का आंध्र प्रदेश के कापू समुदाय के लिए पदों और सेवाओं में आरक्षण विधेयक, 2018

15. श्री अजय मिश्रा 'टेनी', संसद सदस्य का उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय (राज भाषाओं का प्रयोग और अन्य उपबंध) विधेयक, 2018

16. श्री कलिकेश एन॰ सिंह देव, संसद सदस्य का वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2017 (नए अध्याय 4घ का अंत:स्थापन)

17. श्री कलिकेश एन॰ सिंह देव, संसद सदस्य का लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 2 का संशोधन आदि)।

18. श्रीमती पूनम महाजन, संसद सदस्य का नि:शक्त व्यक्ति अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुसूची का संशोधन)।

19. श्रीमती पूनम महाजन, संसद सदस्य का संरक्षक और प्रतिपाल्य (संशोधन) विधेयक, 2017 (नई धारा 18क का अंत:स्थापन)।

20. श्रीमती पूनम महाजन, संसद सदस्य का नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 21 का संशोधन)।

21. श्रीमती पूनम महाजन, संसद सदस्य का यौन अपराध से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2017 (नई धारा 38क का अंत:स्थापन)।

22. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य का कौशल (प्रशिक्षण और शिक्षा) विधेयक, 2018

23. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य का मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (जागरूकता और किफायती स्वच्छता पैड वितरण) विधेयक, 2018

24. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता (सशक्तीकरण और कल्याण) विधेयक, 2018

25. श्री शिवाजी आधलराव पाटील, संसद सदस्य का विद्यालयों में अनिवार्य प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण विधेयक, 2018

26. श्री शिवाजी आधलराव पाटील, संसद सदस्य का पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 22 का संशोधन)।

27. श्री शिवाजी आधलराव पाटील, संसद सदस्य का प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 3 का संशोधन, आदि)।

28. श्री शिवाजी आधलराव पाटील, संसद सदस्य का विद्यालयों में चिकित्सा केन्द्रों की अनिवार्य स्थापना विधेयक, 2018

29. श्री निशिकान्त दुबे, संसद सदस्य का झारखण्ड और अन्य राज्यों में जनजातीय बालक और स्तनपान कराने वाली महिलाएं (भूख, कुपोषण मिटाना और भुखमरी का निवारण) विधेयक, 2017

30. श्री निशिकान्त दुबे, संसद सदस्य का मान और परम्परा के नाम पर अपराधों का निवारण तथा वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2017

31. श्री निशिकान्त दुबे, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (नए अनुच्छेद 21ख का अंत:स्थापन)।

32. श्री निशिकान्त दुबे, संसद सदस्य का नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 2 का संशोधन, आदि)।

33. श्री रवीन्द्र कुमार जेना, संसद सदस्य का भारतीय प्रवासी और शिक्षा अवसंरचना (प्रतिभा-पलायन उपकर) विधेयक, 2017

34. श्री रवीन्द्र कुमार जेना, संसद सदस्य का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 2 का संशोधन, आदि)।

35. श्री रवीन्द्र कुमार जेना, संसद सदस्य का उड़ीसा उच्च न्यायालय (बालासोर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2017

36. श्री रवीन्द्र कुमार जेना, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 123 का संशोधन आदि)।

37. श्री राजेश रंजन, संसद सदस्य का उपभोक्ता वस्तु मूल्य निर्धारण बोर्ड विधेयक, 2018

38. श्री राजेश रंजन, संसद सदस्य का जूट उत्पादक (लाभकारी मूल्य और कल्याण) विधेयक, 2017

39. श्री राजेश रंजन, संसद सदस्य का अंतर्राज्यीय नदी जल प्राधिकरण विधेयक, 2017

40. श्री गौरव गोगोई, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 85 का संशोधन)।

41. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, संसद सदस्य का मिथ्या फोनकॉल हेतु दूरसंचार प्रणाली के प्रयोग का प्रतिषेध विधेयक, 2017

42. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, संसद सदस्य का निजी स्वास्थ्य देखरेख क्षेत्र (फीस का विनियमन) विधेयक, 2017

43. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, संसद सदस्य का गुजरात उच्च न्यायालय (सूरत में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2018

44. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, संसद सदस्य का अनैतिक व्यापार (निवारण) संशोधन विधेयक, 2018 (धारा 2 का संशोधन, आदि)।

45. श्री राजीव सातव, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 324 का संशोधन)।

46. श्री राजीव सातव, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 148 का संशोधन)।

47. श्री राजीव सातव, संसद सदस्य का राष्ट्रीय किसान कल्याण आयोग विधेयक, 2018

48. श्री राजीव सातव, संसद सदस्य का राष्ट्रीय कृषि उत्पाद मूल्य नियतन अधिकरण विधेयक, 2018

49. डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी, संसद सदस्य का केन्द्रीय भौतिक चिकित्सा परिषद विधेयक, 2017

50. डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी, संसद सदस्य का मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 3 का संशोधन, आदि)।

51. डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी, संसद सदस्य का वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2017 (नए अध्याय 4घ का अंत:स्थापन)।

52. डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी, संसद सदस्य का तपेदिक (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2017

53. श्री चन्द्रकांत खैरे, संसद सदस्य का सूखा प्रवण क्षेत्र में रहने वाले किसानों के बालकों का नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2018

54. श्री चन्द्रकांत खैरे, संसद सदस्य का विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2018 (नई धाराओं 23क से 23ग का अंत:स्थापन)।

55. श्री चन्द्रकांत खैरे, संसद सदस्य का किशोर, न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 (नई धारा 15क का अंत:स्थापन)।

56. डॉ॰ धर्म वीर गांधी, संसद सदस्य का थैलेसीमिया निधारण विधेयक, 2018

57. श्री गोपाल शेट्टी, संसद सदस्य का संविधान (संविधान) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 124 का संशोधन)

58. श्री गोपाल शेट्टी, संसद सदस्य का विशेषज्ञ विवाह (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 4 का संशोधन)।

59. श्री धनंजय बी॰ महाडीक, संसद सदस्य का निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और अनाथ बालकों के लिए आवास सुविधा विधेयक, 2018

60. श्री धनंजय बी॰ महाडीक, संसद सदस्य का ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण विधेयक, 2018

61. श्री आर॰ ध्रुवनारायण, संसद सदस्य का अनिवार्य कैरियर मार्गदर्शन विधेयक, 2017

62. डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड, संसद सदस्य का राष्ट्रीय गरीबी उपशमन निधि विधेयक, 2018

63. डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड, संसद सदस्य का आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण विधेयक, 2018

64. डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड, संसद सदस्य का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2018 (नई धारा 29कक का अंत:स्थापन)।

65. श्रीमती मीनाक्षी लेखी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 124 का संशोधन)।

66. श्रीमती मीनाक्षी लेखी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (नए अनुच्छेद 324क का अंत:स्थापन)।

67. श्रीमती मीनाक्षी लेखी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 124 का संशोधन)।

68. श्रीमती मीनाक्षी लेखी, संसद सदस्य का संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुसूची का संशोधन)।

69. एडवोकेट जोएस जॉर्ज, संसद सदस्य का पीड़क वन्य जीव और उनके फसल में प्रवेश से क्षति के पीड़ितों को प्रतिकर का संदाय विधेयक, 2017

70. एडवोकेट जोएस जॉर्ज, संसद सदस्य का राष्ट्रीय हरित अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 5 का संशोधन आदि)।

71. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य का नदी (संरक्षण और प्रदूषण को दूर करना) विधेयक, 2018

72. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य का गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 3 का संशोधन, आदि)।

73. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य का सौर ऊर्जा संवर्धन विधेयक, 2018

74. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य का ग्रामीण श्रमिक कल्याण विधेयक, 2018

75. श्री सुशील कुमार सिंह, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (नए अनुच्छेद 21ख का अंत:स्थापन)।

76. श्री सुशील कुमार सिंह, संसद सदस्य का दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 451 का संशोधन)।

77. श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी, संसद सदस्य का फ्लोराइड संदूषण (निवारण) विधेयक, 2017

78. डॉ॰ ए॰ सम्पत, संसद सदस्य का बांस, बेंत, खपची चीड़ और चटाई बुनकर और कामगार (कल्याण) विधेयक, 2017

79. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी, संसद सदस्य का भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 2 का संशोधन, आदि)।

80. डॉ॰ ए॰ सम्पत, संसद सदस्य का वर्षाजल (संचयन और भण्डारण) विधेयक, 2017

81. श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य का नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन आयोग विधेयक, 2017

82. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 19 का संशोधन)।

83. श्री ओम बिरला, संसद सदस्य का कंपनी अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 134 का संशोधन)

84. श्री निनोंग इरिंग, संसद सदस्य का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2018 (नई धारा 75ख का अंत:स्थापन)।

85. श्री निनोंग इरिंग, संसद सदस्य का प्रेस परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 2 का संशोधन, आदि)।

86. श्री निनोंग इरिंग, संसद सदस्य का लोक सेवाओं का अधिकार विधेयक, 2017

87. श्री निनोंग इरिंग, संसद सदस्य का ऋतुस्राव प्रसुविधा विधेयक, 2017

88. श्री दुष्यंत चौटाला, संसद सदस्य का नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2018 (धारा 5 का संशोधन, आदि)।

89. श्री दुष्यंत चौटाला, संसद सदस्य का सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक, 2018 (धारा 4 और 18 का संशोधन)।

90. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, संसद सदस्य का प्रत्येक जिला मुख्यालय तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का विस्तार विधेयक, 2018

91. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, संसद सदस्य का पादप संरक्षण विधेयक, 2018

92. श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य का भिक्षावृत्ति निवारण विधेयक, 2018

93. श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य का महिला कृषक हकदारी विधेयक, 2018
94. श्री भैरों प्रसाद मिश्र, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 15 का संशोधन, आदि)।
95. श्री भैरों प्रसाद मिश्र, संसद सदस्य का नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 2 का संशोधन, आदि)।
96. श्री भैरों प्रसाद मिश्र, संसद सदस्य का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 141 का संशोधन)।
97. श्री भैरों प्रसाद मिश्र, संसद सदस्य का श्रम (कल्याण और पुनर्वास) विधेयक, 2018
98. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, संसद सदस्य का अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का संवर्धन और संरक्षण विधेयक, 2018
99. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, संसद सदस्य का आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में विशेष अवसंरचना विकास विधेयक, 2018
100. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, संसद सदस्य का पान उत्पादक (लाभकारी मूल्य और कल्याण) विधेयक, 2018
101. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, संसद सदस्य का प्राचीन संस्मारक परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018 (नई धारा 20घ और 20ड़ का अंत: स्थापन)।
102. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, संसद सदस्य का खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 2 का संशोधन आदि)।
103. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, संसद सदस्य का केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2018
104. डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य का निजी क्षेत्र में रिश्वत का निवारण विधेयक, 2018
105. डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य का कामकाजी महिला (मूलभूत सुविधाएं एवं कल्याण) विधेयक, 2018
106. डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य का महिलाओं के लिए विशेष न्यायालय विधेयक, 2018
107. श्री रोड़मल नागर, संसद सदस्य का राष्ट्रीय कृषि और किसान आयोग विधेयक, 2018
108. डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य का संबंध-विच्छेदित महिला कल्याण विधेयक, 2018

109. श्री ओम प्रकाश यादव, संसद सदस्य का अत्याचार निवारण विधेयक, 2018

110. श्री ओम प्रकाश यादव, संसद सदस्य का जबरन लापता किये जाने का निवारण विधेयक, 2018

111. श्री ओम प्रकाश यादव, संसद सदस्य का शैक्षिणिक नवोन्मेय आयोग विधेयक, 2018

112. श्री रमेश बिधूड़ी, संसद सदस्य का आतंकवाद के पीड़ित (प्रतिकर का उपबंध और कतिपय कल्याणकारी उपाय विधेयक, 2018

113. श्री रमेश बिधूड़ी, संसद सदस्य का बालक श्रम का उत्सादन विधेयक, 2018

114. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य का स्वास्थ्य कार्ड का उपबंध (गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए) विधेयक, 2018

115. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य का सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों, पेयजल और चारा पूर्ति रख-रखाव विधेयक, 2018

116. श्री राजेन्द्र अग्रवाल, संसद सदस्य का महासागर तापीय ऊर्जा संपरिवर्तन विधेयक, 2018

117. श्री राजेन्द्र अग्रवाल, संसद सदस्य का दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (पहली अनुसूची का संशोधन)।

118. श्री राजेन्द्र अग्रवाल, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 75 का संशोधन आदि)।

119. श्री राजेन्द्र अग्रवाल, संसद सदस्य का शैक्षिक संस्थाओं में पर्यावरणीय शिक्षा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2018

120. श्री जुगल किशोर शर्मा, संसद सदस्य का बालक कल्याण विधेयक, 2018

121. श्री सुशील कुमार सिंह, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)।

122. श्री राजू शेट्टी, संसद सदस्य का कृषकों की ऋणग्रस्तता से मुक्ति विधेयक, 2018

123. श्री राजू शेट्टी, संसद सदस्य का किसानों को कृषि वस्तुओं के लिए गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्यों का अधिकार विधेयक, 2018

124. श्री सुशील कुमार सिंह, संसद सदस्य का जनसंख्या (स्थिरीकरण और योजना) विधेयक, 2018

125. श्री तेज प्रताप सिंह यादव, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)।

126. श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य का माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2018 (नए अध्याय 5क का अंत:स्थापन)।

127. प्रो॰ रिचर्ड हे, संसद सदस्य का राष्ट्रीय वृत्तिक सामाजिक कार्य व्यवसायी परिषद विधेयक, 2018

*128. डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड, संसद सदस्य का निजी विद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2018

अपराहन 4.56 बजे

18. गैर-सरकारी विधेयक—विचाराधीन

संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री विनसेंट एच॰ पाला द्वारा 5 अगस्त, 2016 को पेश किए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री सुनील कुमार सिंह (अपना भाषण पुन: आरंभ किया)
2. श्री दुष्यंत चौटाला
3. श्री जगदम्बिका पाल (भाषण अपूर्ण)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

&सायं 6.39 बजे

(लोक सभा सोमवार, 6 अगस्त, 2018 के पूर्वाहन 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

---

*अपराह्न 5.40 बजे।

&सायं 6.00 बजे से सायं 6.39 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

MGIPMRND—1379LS(S3)—03-08-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 6 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940 (शक)

संख्या 300

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने जापान के हिरोशिमा और नागाशाकी शहरों में क्रमश: 6 और 9 अगस्त, 1945 को परमाणु बम गिराए जाने की 73वीं बरसी के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात, सदस्यगण परमाणु विनाश के पीड़ितों की स्मृति में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 261—265 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 266—280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2991—3220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

4. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) गेल (इंडिया) लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़, लेह-लद्दाख के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़, लेह-लद्दाख के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़, लेह-लद्दाख के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) गडेन रबगाईलिंग मोनास्टिक स्कूल, बोमडिला के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गडेन रबगाईलिंग मोनास्टिक स्कूल, बोमडिला के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) द एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) द एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(15) (एक) दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सिलवासा के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सिलवासा के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) तेलंगाना सर्व शिक्षा अभियान, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तेलंगाना सर्व शिक्षा अभियान, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) सर्वशिक्षा अभियान पुदुचेरी, पुदुचेरी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान पुदुचेरी, पुदुचेरी के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) लक्षद्वीप सर्वशिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, कावरत्ती के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप सर्वशिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, कावरत्ती के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा, गोवा के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा, गोवा के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट, कालीकट के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट, कालीकट के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, जयपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, जयपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्याएं आर/2018/स्टेट्यूट अमेंडमेंट/311 और आर/2018/आर्डिनेंस/312 जो 27 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा जो डॉ॰ हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश के अध्यादेश संख्या 7,9,10,18,22(क),22(ख), 23(ख)33,34,39,42,53,55 और 57 तथा संशोधित परिनियमों 2(4) और 13 के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के आगे दी गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी गई:—

(1) श्री राम प्रसाद सरमा	18.07.2018 से 10.08.2018
(2) प्रो॰ रिचर्ड हे	05.03.2018 से 06.04.2018

(3) श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रदाडीया 29.01.2018 से 09.02.2018;
05.03.2018 से 06.04.2018
और
18.07.2018 से 31.07.2018

6. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री जे॰सी॰ दिवाकर रेड्डी ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2017-18) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में 20वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 22वां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में 21वें प्रतिवदेन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 23वां प्रतिवेदन।

7. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री जे॰सी॰ दिवाकर रेड्डी ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2017-18) के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदनों के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले की गई अंतिम कार्रवाई संबंधी विवरण तथा अध्याय 5 के संबंध में अंतिम उत्तर (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) 'लक्षित सार्वजनिक वितरण का कम्प्यूटरीकरण' विषय पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 17वां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2017-18) (16वीं लोक सभा) के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 18वां प्रतिवेदन।

(3) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2017-18) (16वीं लोक सभा) के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

8. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती कविता कलवकुंतला ने 'व्यापार और उद्योग पर बैंकिंग दुर्विनियोग का प्रभाव' के बारे में 146वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अनंत कुमार ने कार्य मंत्रणा समिति का छप्पनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.06 बजे

10. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'केरोसिन और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन, आपूर्ति, वितरण, डीलरशिप और मूल्य-निर्धारण' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे एक विवरण सभा पटल पर रखा।

(2) पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-2018) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 248वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 255वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

(3) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित 'भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र के समक्ष मुद्दे और चुनौतियां' के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 284वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 295वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

11. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री प्रकाश जावड़ेकर ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 के परिनियमों के परिनियम 14 के खंड 1 और खंड 2 के उप-खंड (24) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त परिनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अलीगढ़

> मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से छह सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2018

*अपराह्न 12.10 बजे

13. सदस्यों द्वारा निवेदन

निम्नलिखित सदस्यों ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में नाबालिग लड़कियों के साथ यौन दुर्व्यवहार में मुख्य गवाह के कथित रूप से लापता होने के बारे में निवेदन किया:—

1. श्रीमती रंजीत रंजन
2. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
3. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, श्री पी॰के॰ बिजू, श्री एम॰बी॰ राजेश, श्रीमती पी॰के॰ श्रीमथि टीचर, श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन और श्री धनंजय महाडीक सहयोजित हुए।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.20 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 12.31 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 12.31 बजे

#श्री अनंत कुमार ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.29 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.32 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

---

* अपराह्न 12.10 बजे से अपराह्न 12.20 बजे तथा अपराह्न 12.31 बजे से अपराह्न 1.29 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

संसदीय कार्य मंत्री।

अपराह्न 2.32 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे —

(1) श्री दद्दन मिश्रा द्वारा उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गोण्डा-बढ़नी रेल लाइन के रेल समपारों पर आरयूबी/आरओबी का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री ए॰टी॰ नाना पाटील द्वारा महाराष्ट्र के जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गिरना नदी पर रबड़ बैराज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्रीमती सावित्री ठाकुर द्वारा हिन्दी भाषा को 'राष्ट्र भाषा' का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में रक्षा कोरिडोर परियोजना के विकास हेतु स्थानीय मनरेगा जॉब कार्ड धारकों को रोजगार दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा गुजरात में अरण्डी की फसल की लाभकारी मूल्य पर खरीद किए जाने के बारे में।

(6) कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी द्वारा राजस्थान को अरब सागर से जोड़ने के लिए कच्छ के रण के साथ-साथ एक नहर/चैनल के निर्माण के बारे में।

(7) श्री जुगल किशोर द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान से आई शरणार्थी बालिकाओं के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री अजय मिश्रा (टेनी) द्वारा स्कूली छात्रों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से कैशलेस बाउचर शुरू किए जाने के बारे में।

(9) श्री जनक राम द्वारा बिहार के गोपालगंज जिले के थावे में रेल संपर्क में सुधार लाए जाने के बारे में।

(10) डॉ॰ सुनील बलीराम गायकवाड द्वारा महाराष्ट्र के लातूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एमआईडीसी के निकट लातून-कलम्ब रोड़ पर सड़क ऊपरि पुल के निर्माण के बारे में।

(11) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा आईटीसी-04 रिटर्न को और अधिक सरल बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती रीती पाठक द्वारा मध्य प्रदेश में दुबरी संजय टाईगर रिजर्व के विकास के बारे में।

(13) श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा गौ अभयारण्य की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी द्वारा असामान्य बीमारियों के लिए औषधियों के विकास और उत्पादन हेतु प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री आर॰ ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक में नारियल उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के बारे में।

(16) श्री राजीव सातव द्वारा महाराष्ट्र के हिंगोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एसएसबी रिजर्व बटालियन को येलकी से स्थानान्तरित किए जाने के बारे में।

(17) डॉ॰ के॰ कामराज द्वारा तमिलनाडु में सलेम-कुड्डालूर रेल लाइन के विद्युतीकरण के बारे में।

(18) श्री आर॰ पार्थिपन द्वारा तमिलनाडु में इंटीग्रेटेड मेडिकल प्लांट कंजर्वेशन पार्क की स्थापना के बारे में।

(19) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा देश में संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिए जाने के बारे में।

(20) श्री दिनेश त्रिवेदी द्वारा आईआरसीटीसी के डाटाबेस के लीक होने के बारे में।

(21) श्रीमती रीता तराई द्वारा ओड़िशा के जाजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नई रेल लाइन के निर्माण के बारे में।

(22) डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा महाराष्ट्र निजी वन (अधिग्रहण) अधिनियम, 1975 के अंतर्गत मुंबई, थाने, रायगढ़ और पुणे के निवासियों से भूमि अधिगृहीत करने के मुद्दे के समाधान के बारे में।

(23) श्री बी॰ विनोद कुमार द्वारा तेलंगाना के नवगठित जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालयों और केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना के बारे में।

(24) मोहम्मद बदरुद्दोजा खान द्वारा पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद को एक टूरिस्ट सर्किट के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले द्वारा संयुक्त अरब अमीरात को किए जाने वाले भेड़ और बकरियों के निर्यात को रद्द करने संबंधी निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(26) श्री तेज प्रताप सिंह यादव द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति के निर्माण के बारे में।

(27) श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत अपनाए गए सभी गांवों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.33 बजे

15. सरकारी विधेयक — पारित

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2018

लिया गया समय: 5 घंटे 51 मिनट

श्री थावर चंद गहलोत द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे
2. श्री विनोद कुमार सोनकर
3. डॉ॰ के॰ गोपाल
4. डॉ॰ तापस मंडल
5. श्रीमती रीता तराई
6. श्री अरविंद सावंत
7. डॉ॰ रविन्द्र बाबू
8. श्री बलका सुमन
9. श्री जितेन्द्र चौधरी
10. श्री तारिक अनवर
11. श्री उपेन्द्र कुशवाहा

12. श्री धर्मेन्द्र यादव
13. श्रीमती कोथापल्ली गीता
14. श्री चिराग पासवान
15. डॉ॰ (प्रो॰) किरिट पी॰ सोलंकी
16. श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा
17. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
18. श्री हरिंदर सिंह खालसा
19. डॉ॰ भागीरथ प्रसाद
20. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
21. श्री भानू प्रताप सिंह वर्मा
22. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
23. श्री रत्न लाल कटारिया
24. श्री कौशलेन्द्र कुमार
25. प्रो॰ वीरेन्द्र कश्यप
26. श्रीकोडिकुन्नील सुरेश
27. श्री दुष्यंत चौटाला
28. श्री असादुद्दीन ओवैसी
29. डॉ॰ सुनील बलीराम गायकवाड़
30. प्रो॰ (डॉ॰) ममताज संघमिता
31. श्रीमती कमला देवी पाटले
32. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
33. श्री रामचंद्र हांसदा

34. प्रो॰ सीताराम अजमीरा नायक

35. मोहम्मद फैजल

36. श्री इदरिस अली

37. श्री रामदास अठावले

श्री थावर चंद गहलोत ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंड-वार विचार शुरू किया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री थावर चंद गहलोत द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

रात्रि 8.24 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 7 अगस्त, 2018 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—1439LS(S3)—06-08-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 7 अगस्त, 2018/16 श्रावण, 1940 (शक)

संख्या 301

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने पांचवी लोक सभा की सदस्य श्रीमती कृष्णा कुमारी के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्य दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 281 (293 के साथ युग्मित) और 282—284 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 285—292 और 294—300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3221—3450 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.03 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल, वायु स्कंध अधिकारी (समूह 'क' योद्धक पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 5 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 609(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड तथा एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण (कनिष्ठ अभियंता) भर्ती नियम, 2018 जो 2 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 417(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण (मुख्य प्राक्कलक) भर्ती नियम, 2018 जो 2 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 418(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दिल्ली विकास प्राधिकरण (फोटोग्राफिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2018 जो 2 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 419(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) दिल्ली विकास प्राधिकरण सहायक निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2018 जो 2 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 420(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) दिल्ली विकास प्राधिकरण अभियंता संवर्ग पद भर्ती (संशोधन) भर्ती नियम, 2018 जो 2 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 421(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) दिल्ली विकास प्राधिकरण (सर्वेक्षण संवर्ग) भर्ती नियम, 2018 जो 23 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 189 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) का॰आ॰ 3172(अ) जो 29 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 23 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2955 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) का॰आ॰ 3173 (अ) जो 29 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1015 (अ) और 29 दिसम्बर, 2017 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 4117 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का॰आ॰ 3233 (अ) जो 3 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों में अनुमत गैर-औद्योगिक कार्याकलापों, जैसे आवासीय उपयोग ग्रुप (हाउसिंग) इत्यादि की अनुज्ञा देने के लिए प्रभारों के नियतन हेतु विनियम बनाए गए हैं।

(दस) अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3249 (अ) जो 4 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निजी स्वामित्व वाली भूमियों के नियोजित विकास को समर्थ बनाने वाले विनियमों के बारे में है।

(4) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा 3 के अंतर्गत मध्यावधि व्यय रूपरेखा विवरण अगस्त, 2018 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): —

(एक) मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2018 का संख्यांक 14)—वायु सेना।

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2018 का संख्यांक 12) भारत में (कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में) अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का निष्पादन लेखापरीक्षा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।

(तीन) मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल) (2018 का संख्यांक 17)—भारतीय रेल में चयनित स्टेशनों पर स्टेशन लाइन क्षमता का सुदृढ़ीकरण।

(चार) मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2018 का संख्यांक 13) थलसेना।

(पांच) मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2018 का संख्यांक 7)—सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम, रक्षा मंत्रालय।

(छह) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2018 का संख्यांक 10) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का निष्पादन लेखापरीक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।

(सात) मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2018 का संख्यांक 8)—आयुध निर्माणियां।

(आठ) मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2018 का संख्यांक 9)—नौसेना और तट रक्षक।

(नौ) मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2018 का संख्यांक 15) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का निष्पादन लेखापरीक्षा, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय।

(6) नाशक कीट और नाशक जीवमार अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चौथा संशोधन) आदेश, 2018, जो 30 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3194(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पांचवां संशोधन) आदेश, 2018, जो 11 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3392(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(7) (एक) स्वीकार अकेडमी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज, सिकंदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2012-2013, 2014-2015 और 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्वीकार अकेडमी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज, सिकंदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2012-2013, 2014-2015 और 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) साधना (सोसायटी फॉर द मैंटली हैंडीकैप्पड), हैदराबाद के वर्ष 2010-2011, 2011-2012 और 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साधना (सोसायटी फॉर द मैंटली हैंडीकैप्पड), हैदराबाद के वर्ष 2010-2011, 2011-2012 और 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) चाइल्ड गाइडेंस सेंटर, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011, 2012-2013 और 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चाइल्ड गाइडेंस सेंटर, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011, 2012-2013 और 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) एलईबीईएनएसएचआईएलएफई, विशाखापट्टनम के वर्ष 2011-2012, 2013-2014 और 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एलईबीईएनएसएचआईएलएफई, विशाखापट्टनम के वर्ष 2011-2012, 2013-2014 और 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु निःशक्ताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 36 के अंतर्गत न्यास बोर्ड (संशोधन) विनियम, 2018 जो 20 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ 184/एनटी रूल्स/रेगुलेशन्स/2015-16 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, नागपुर, (वरिष्ठ अनुदेशक) भर्ती नियम, 2018 जो 2 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 206 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) एचएमटी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) एंड्रयू युले एंड कंपनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) सांभर साल्टस लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(आठ) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (आई) लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(नौ) सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दस) राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्यारह) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(बारह) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(20) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) रिचर्डसन एंड क्रूड्डास (1972) लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) रिचर्डसन एंड क्रूड्डास (1972) लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) भारत पम्पस एंड कम्प्रेशर्स लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पम्पस एंड कम्प्रेशर्स लिमिटेड, इलाहाबाद का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(21) उपयुर्क्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2018 का संख्यांक 18) (अनुपालन लेखापरीक्षा)—केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन।

(दो) मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2018 का संख्यांक 11) (अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां)।

(23) (एक) बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) संविधान के अनुच्छेद 338क की धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 (अप्रैल से सितम्बर, 2016) का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) एनसीएससी प्रतिवेदन: छात्रवृत्तियां प्राप्त करने में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के समक्ष आ रही समस्याएं— 2016

(तीन) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 (अप्रैल से सितम्बर, 2016) के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर व्याख्यात्मक ज्ञापन तथा छात्रवृत्तियां प्राप्त करने में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के समक्ष आ रही समस्याओं पर सिफारिशें, 2016

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) डॉ॰ अम्बेडकर फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डॉ॰ अम्बेडकर फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) पंद्रहवीं तथा सोलहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

पंद्रहवीं लोक सभा

1.	विवरण संख्या 34	दूसरा सत्र, 2009
2.	विवरण संख्या 28	पाँचवां सत्र, 2010
3.	विवरण संख्या 27	छठा सत्र, 2010
4.	विवरण संख्या 26	आठवां सत्र, 2011
5.	विवरण संख्या 25	नौवां सत्र, 2011
6.	विवरण संख्या 24	दसवां सत्र, 2012
7.	विवरण संख्या 22	ग्यारहवां सत्र, 2012
8.	विवरण संख्या 21	बारहवां सत्र, 2012
9.	विवरण संख्या 20	तेरहवां सत्र, 2013
10.	विवरण संख्या 17	चौदहवां सत्र, 2013
11.	विवरण संख्या 16	पन्द्रहवां संत्र, 2013-14

सोलहवीं लोक सभा

12.	विवरण संख्या 15	दूसरा सत्र, 2014
13.	विवरण संख्या 14	तीसरा सत्र, 2014
14.	विवरण संख्या 13	चौथा सत्र, 2015
15.	विवरण संख्या 11	पांचवां सत्र, 2015
16.	विवरण संख्या 10	छठा सत्र, 2015

17.	विवरण संख्या 8	सातवां सत्र, 2016
18.	विवरण संख्या 8	आठवां सत्र, 2016
19.	विवरण संख्या 7	नौवां सत्र, 2016
20.	विवरण संख्या 5	दसवां सत्र, 2016
21.	विवरण संख्या 5	ग्यारहवां सत्र, 2017
22.	विवरण संख्या 3	बारहवां सत्र, 2017
23.	विवरण संख्या 2	तेरहवां सत्र, 2017-18
24.	विवरण संख्या 1	चौदहवां सत्र, 2018

(31) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ 58/2018-सी॰शु॰ जो 7 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय दिनांक 27.10.2017 की अधिसूचना सं॰ 82/2017-सी॰शु॰ में संशोधन के द्वारा वस्त्र उत्पादों की 328 टैरिफ लाईनों पर सीमा-शुल्क को 10% की विद्यमान दर से बढ़ाकर 20% करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस आशय के संदेश की सूचना दी कि 9 मार्च, 2018 को हुई अपनी बैठक में लोक लेखा समिति के सात सदस्यों की रिक्तियों को भरने के लिए, जिनमें से पांच सदस्य विधिवत् रूप से निर्वाचित हुए थे और उनकी सूचना 22 मार्च, 2018 को सभा को दी गई थी, राज्य सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए, राज्य सभा लोक लेखा समिति में राज्य सभा की दो शेष रिक्तियों के निर्वाचन के लिए लोक सभा को सिफारिश करने पर सहमत हुई तथा राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य उक्त समिति के लिए विधिवत् निर्वाचित हुए हैं:—

1. श्री सी॰एम॰ रमेश
2. श्री भूपेन्द्र यादव

6. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) दिल्ली पुलिस के कार्यकरण को शासित करने वाले नियमों/विनियमों संबंधी 31वां प्रतिवेदन।

(2) एम्स अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बनाए गए नियमों/विनियमों के बारे में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (16वीं लोक सभा) के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 32वां प्रतिवेदन।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण), दूसरा संशोधन नियम, 2014 के बारे में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (16वीं लोक सभा) के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 33वां प्रतिवेदन।

7. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री कलराज मिश्र ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का 27वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ सुनील बलीराम गायकवाड़ ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2017-18) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'भारतनेट के कार्यान्वयन की प्रगति' के बारे में 50वां प्रतिवेदन।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों' (2018-19) के बारे में समिति के 45वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 51वां प्रतिवेदन।

(3) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों' (2018-19) के बारे में समिति के 48वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 52वां प्रतिवेदन।

9. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के विवरण

डॉ॰ सुनील बलीराम गायकवाड़ ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में समिति के 7वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 21वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(2) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में समिति के 36वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 42वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(3) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) के 'सेवाओं की गुणवत्ता और कथित कॉल ड्राप्स से संबंधित मुद्दों' के बारे में समिति के 38वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 43वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

10. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ कंभमपति हरिबाबू ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2017-18) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'बिजली क्षेत्र में एनपीए पर संकटग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए आरबीआई की संशोधित रूपरेखा का प्रभाव' के बारे में 40वां प्रतिवेदन।

(2) विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 41वां प्रतिवेदन।

11. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के विवरण

डॉ॰ कंभमपति हरिबाबू ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2017-18) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) विद्युत मंत्रालय से संबंधित विद्युत एक्सचेंजों की भूमिका, निष्पादन तथा कार्यकरण के मूल्यांकन के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का 31वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(2) विद्युत मंत्रालय से संबंधित, जल विद्युत-एक सतत्, स्वच्छ और हरित विकल्प के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का 33वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(3) विद्युत मंत्रालय से संबंधित, राष्ट्रीय विद्युत नीति का मूल्यांकन-एक समीक्षा के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का 34वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

12. रेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय ने रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'भारतीय रेल के बकायों' के बारे में 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 20वां प्रतिवेदन।

(2) 'नई रेल खान-पान नीति 2017' के बारे में 21वां प्रतिवेदन।

13. रेल संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय ने 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18)' पर 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 17वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

14. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री विक्रम उसेंडी ने 'दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण' के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का 316वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

15. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने (i) 'दोषसिद्धि की दर' के बारे में श्रीमती पूनम महाजन, संसद सदस्य के अतारांकित प्रश्न संख्या 510 के संबंध में 19 दिसम्बर, 2017 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारणों के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(दो) वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रेल मंत्री; कोयला मंत्री; वित्त मंत्री; और कार्पोरेट कार्य मंत्री की ओर से आर्थिक मामले,

व्यय, वित्तीय सेवाएं और डीआई पीएएम विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 57वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(तीन) कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 48वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(चार) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से निम्नलिखित के संबंध में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, से संबंधित अनुदानों की मांगों क्रमश: (2017-18) तथा (2018-19) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 283वें और 287वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, से संबंधित अनुदानों की मांगों क्रमश: (2017-18) तथा (2018-19) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 285वें और 286वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई के कार्यान्वयन की स्थिति।

(पांच) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

16. *भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—समय बढ़ाया जाना

श्री गणेश सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बजट सत्र, 2019 के अंतिम दिवस तक बढ़ाती है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

17. प्रस्ताव

श्री अनंत कुमार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 6 अगस्त, 2018 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 56वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

18. सरकारी विधेयक—वापस लिया गया

**वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017; संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित।

@अपराह्न 12.14 बजे

19. सदस्यों द्वारा निवेदन

निम्नलिखित सदस्यों ने उत्तर प्रदेश में आश्रय गृह में नाबालिग लड़कियों के साथ कथित यौन दुर्व्यवहार के बारे में निवेदन किया:—

---

* समय बढ़ाने के कारणों को बताने वाला ज्ञापन अलग से परिचालित किया गया है।

** यह विधेयक 10 अगस्त, 2017 को पुर:स्थापित किया गया और जांच एवं प्रतिवेदन के लिए दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा गया। संयुक्त समिति का प्रतिवेदन लोक सभा में 1 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत किया गया। एक विवरण जिसमें विधेयक को वापस लिये जाने के कारण अंतर्विष्ट है, 3 अगस्त, 2018 (प्रात:) सदस्यों को परिचालित किया गया है।

@अपराह्न 12.14 बजे से अपराह्न 1.29 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

1. श्री धर्मेन्द्र यादव

2. श्री जय प्रकाश नारायण यादव

3. श्री कलराज मिश्र

4. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्री पी॰के॰ बिजू, श्रीमती पी॰के॰ श्रीमथि टीचर, डॉ॰ ए॰ संपत, श्री इनोसेंट, श्री शंकर प्रसाद दत्ता, श्रीमती रंजीत रंजन, श्री जितेन्द्र चौधरी, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी सिंह, श्री एम॰बी॰ राजेश, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन और श्री भैरों प्रसाद मिश्र सहयोजित हुए।

#श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.29 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.30 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.33 बजे

20. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्रीमती रक्षाताई खाड़से द्वारा पचोरा से जमनेर तक रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन किए जाने के बारे में।

(2) श्री अर्जुन लाल मीणा डुंगरपुर-हिम्मत नगर होते हुए उदयपुर सिटी से अहमदाबाद तक रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री जनार्दन मिश्र द्वारा रीवा से मुम्बई तक नई रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा नई दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी अर्ह लोगों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का लाभ दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन सड़कों का निर्माण विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार सुनिश्चित कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

गृह मंत्री

(6) श्री राघव लखनपाल द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री प्रवेश साहब सिंह वर्मा द्वारा दिल्ली मे ंप्लास्टिक पर रोक लगाए जाने के बारे में।

(8) कुमारी शोभा कारान्दलाजे द्वारा काली मिर्च के आयात के बारे में।

(9) श्री हरि मांझी द्वारा बिहार में गया रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज के पुनरुद्धार कार्य को गति दिए जाने की आवश्यकता बारे में।

(10) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में छपरा में राष्ट्रीय खेल-कूद विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश उत्तराखंड में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखंड में चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समपारों पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री लक्ष्मण गिलुवा द्वारा झारखंड के सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दंगुवापोसी में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) डॉ॰ मनोज राजोरिया द्वारा धौलपुर-सरमथुरा-करौली-गंगापुर सिटी रेल लाइन परियोजना पर कार्य प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्रीमती दर्शना विक्र म जरदोश द्वारा मुस्लिम बहुल देशों में रह रहे हिन्दुओं की सुरक्षा और संरक्षा के बारे में।

(16) श्री निनोंग इरिंग द्वारा अरूणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लौंगडिंग जिलों में जनजातीय स्वायत्त परषिद के बारे में।

(17) श्री थांगसो बाइटे द्वारा मणिपुर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कैम्पस के बारे में।

(18) डॉ॰ के॰ गोपाल द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए नई नीति के बारे में।

(19) श्री आर॰पी॰ मरुदराजा द्वारा तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के तुरैयुर तालुक में बांध निर्माण के बारे में।

(20) प्रो॰ सौगत राय द्वारा निर्वाचन में बैलेट पेपर के प्रयोग के बारे में।

(21) श्री दशरथ तिर्की द्वारा देश में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए निधियों के आवंटन के बारे में।

(22) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा पम्प स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट्स स्थापित किए जाने हेतु स्वच्छ पर्यावरण उपकर से ओडिशा को निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा महाराष्ट्र में जिन किसानों को बोंड आली (पिंक बॉलवर्म) के कारण फसलों में नुकसान हुआ है उन्हें पर्याप्त क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री जैदेव गल्ला द्वारा गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय के बारे में।

(25) डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड द्वारा कन्या जननांगच्छेदन की मौजूदा प्रथा के उन्मूलन के बारे में।

(26) डॉ॰ ए॰ सम्पत द्वारा केरल में रेल परियोजनाओं के बारे में।

(27) श्री शैलेश कुमार द्वारा बिहार में साक्षर भारत योजना के कार्यान्वयन के बारे में।

(28) श्री विजय कुमार हांसदाक द्वारा विभिन्न जनजातीय विकास योजनाओं की प्रगति की पुनरीक्षा के बारे में।

(29) श्री प्रेम दास राई द्वारा सिक्किम में जनजातियों को मान्यता दिए जाने के बारे में।

%21. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) *केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक,* 2018

(दो) *एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक,* 2018

(तीन) *संघ राज्यक्षेत्रमाल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक,* 2018

(चार) *माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन विधेयक,* 2018

श्री पीयूष गोयल द्वारा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दिए जाने के संबंध में पेश किए गए प्रस्ताव का विरोध किया गया।

%अपराह्न 5.11 बजे।

श्री सुनील कुमार जाखड़ ने विधेयक को पुर:स्थापित करने का विरोध किया और रेल मंत्री; कोयला मंत्री; वित्त मंत्री और कार्पोरेट कार्य मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा। रेल मंत्री; कोयला मंत्री; वित्त मंत्री और कार्पोरेट कार्य मंत्री ने सदस्य द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित हुआ।

अपराह्न 2.33 बजे

22. (एक) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)—2018-19 और

(दो) अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)—2015-16

लिया गया समय: 4 घंटे 46 मिनट

निम्नलिखित कार्य की मदें एक साथ ली गईं:—

(एक) वर्ष 2018-19 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें प्रथम बैच (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग सं॰ 1 से 7, 9, 11 से 13, 15 से 19, 23 से 29, 31, 32 ,34 से 36, 41, 42, 44, 46 से 49, 52, 56 से 59, 64, 65, 68, 70, 72 से 74, 76, 77, 80 से 82, 84, 85, 87, 89 और 91 से 99 और;

(दो) वर्ष 2015-16 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के संबंध में सिविल मंत्रालय से संबंधित अतिरिक्त अनुदानों की मांग सं॰ 15 तथा रेल मंत्रालय से संबंधित सं॰ 2

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल
2. डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक'
3. श्री पी॰आर॰ सुंदरम
4. प्रो॰ सौगत राय
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव
7. श्री एम॰ मुरली मोहन
8. श्री बी॰ विनोद कुमार
9. श्री एम॰बी॰ राजेश

*10. श्री के॰ अशोक कुमार

*11. डॉ॰ जे॰ जयवर्धन

*12. श्रीमती मीनाक्षी लेखी

13. श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा

*14. श्री रवीन्द्र कुमार जेना

*15. श्री शंकर प्रसाद दत्ता

*16. श्री डी॰ के॰ सुरेश

*17. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल

18. डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीत

*19. श्री अधीर रंजन चौधरी

20. श्री जय प्रकाश नारायण यादव

*21. डॉ॰ श्रीकान्त एकनाथ शिन्दे

*22. श्री वी॰ एलुमलाई

*23. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे

*24. श्री जी॰ हरि

*25. डॉ॰ कुलमणि सामल

26. श्री सिराजुद्दीन अजमल

*27. डॉ॰ करण सिंह यादव

*28. डॉ॰ रघु शर्मा

*29. श्री विनायक भाउराव राउत

*30. श्रीमती संतोष अहलावत

*31. श्री वी॰ सत्यबामा

*32. श्री एस॰ पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा

33. श्री राहुल कस्वां

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*34. सुश्री अपरूपा पोद्दार

*35. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश

36. श्री राम कुमार शर्मा

37. श्री ई॰ टी॰ मोहम्मद बशीर

*38. श्रीमती रीती पाठक

39. श्री अजय मिश्रा

*40. डॉ॰ थोकचोम मेन्या

41. श्री कौशलेन्द्र कुमार

*42. श्री भैरों प्रसाद मिश्र

43. श्री प्रेम दास राई

44. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव

45. श्री एन॰ के॰ प्रेमचंद्रन

46. श्री एम॰ चंद्राकाशी

*47. डॉ॰ प्रभास कुमार सिंह

48. श्री इदरिस अली

*49. श्री आर॰ ध्रुवनारायण

50. श्री मनोहर उटवाल

*51. श्री जितेन्द्र चौधरी

52. श्री राजीव शंकरराव सातव

53. कुंवर हरिवंश सिंह

*54. श्रीमती पूनमबेन माडम

*55. श्री पी॰ के॰ बिजू

*56. श्री अरविंद सावंत

*57. श्री बी॰ एन॰ चंद्रप्पा

*58. श्री बी॰ वी॰ नाईक

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

श्री पीयूष गोयल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

वर्ष 2018-19 के लिए **अनुदानों की अनुपूरक मांगें—**प्रथम बैच (**सामान्य**) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग सं॰ 1 से 7, 9, 11 से 13, 15 से 19, 23 से 29, 31, 32, 34, से 36, 41, 42, 44, 46, 46 से 49, 52, 56 से 59, 64, 65, 68, 70, 72 से 74, 76, 77, 80 से 82, 84, 85, 87, 89 और 91 से 99 अनुदानों की अनुपूरक मांगों**—**प्रथम बैच (**सामान्य**) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

वर्ष 2015-16 के लिए **अतिरिक्त अनुदानों की मांगों** के संबंध में सिविल मंत्रालय से संबंधित अतिरिक्त अनुदानों की मांग सं॰ 15 तथा रेल मंत्रालय से संबंधित सं॰ 2 की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

23. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2018

24. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2018

श्री पीयूष गोयल ने विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ किया गया।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पीयूष गोयल द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

25. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2018

26. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2018

श्री पीयूष गोयल ने विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ किया गया।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पीयूष गोयल द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

सायं 7.20 बजे

27. सरकारी विधेयक पर राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन—सहमति हुई

#*स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक,* 2017

श्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रस्ताव किया कि लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:—

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"अड़सठवें" **के स्थान पर** "उनहत्तरवें" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खण्ड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

अंक "2017" **के स्थान पर** अंक "2018" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खण्ड 2

3. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 19,—

अंक "2017" **के स्थान पर** अंक "2018" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

विधेयक 20 दिसम्बर, 2017 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था तथा इसे राज्य सभा की सहमति के लिए राज्य सभा को प्रेषित किया गया था। राज्य सभा ने 18 जुलाई, 2018 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया और इसे 19 जुलाई, 2018 को लोक सभा को लौटा दिया।

4. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 26,—

अंक "2017" **के स्थान पर** अंक "2018" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रस्ताव किया कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों पर सहमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधनों पर सहमति हुई।

सायं 7.23 बजे

(*लोक सभा बुधवार,* 8 *अगस्त,* 2018 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—1506LS(S3)—07-08-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 8 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940 (शक)

संख्या 302

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ॰ एम॰ करूणानिधि, जिनका निधन 7 अगस्त, 2018 को हो गया था, के बारे में उल्लेख किया।

सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे और उसके उपरांत सभा दिन भर के लिए स्थगित हुई।

2. प्रश्न

चूंकि सभा निधन संबंधी उल्लेख के बाद स्थगित हो गई, तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर नहीं दिए जा सके। अत: इस दिन के लिए सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न सं॰ 301—320 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 3451—3680 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 9 अगस्त, 2018 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—1549LS(S3)—08-08-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 9 अगस्त, 2018/18 श्रावण, 1940 (शक)

संख्या 303

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 9 अगस्त, 1942 को आरंभ किए गए 'भारत छोड़ो' आंदोलन की 76वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया तथा राष्ट्रपिता और उन शहीदों, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहूति दी थी, को श्रद्धांजलि अर्पित की।

तत्पश्चात् सदस्यगण शहीदों के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 321 और 322 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.18 बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न 11.25 बजे पुनः समवेत हुई)

पूर्वाह्न 11.25 बजे

तारांकित प्रश्न संख्या 323 और 324 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 325—340 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3681—3910 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

4. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

*अध्यक्ष ने सभा में सूचना दी कि साथ-साथ भाषांतरण सेवा अब संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी राष्ट्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगी।

अपराह्न 12.05 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) भारत संचार निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उप-धारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 जो 13 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 548(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुड़गांव के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

*मूल हिन्दी में। अधिक विवरण के लिए कृपया इस दिन के लोक सभा वाद-विवाद का अवलोकन करें।

(5) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, (रूम एयरकंडीशनरों के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2017 जो 29 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीईई/एसएंडएल/एसी/37/2017-18 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, (सेल्फ बैलास्टेड एलईडी लैम्पों के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2017 जो 28 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीईई/एसएंडएल/एलईडी/52/2017-18 में प्रकाशित हुए थे।

(6) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (विवरणियां और वार्षिक प्रतिवेदन) नियम, 2018 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 10 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 441(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आधार (नामांकन और अद्यतनीकरण) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का संख्यांक 5) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 31 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ 13012/79/2017/लीगल-यूआईडीएआई (13) (2018 का संख्यांक 5) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आधार (नामांकन और अद्यतनीकरण) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का संख्यांक 1) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 12 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ 13012/79/2017/लीगल-यूआईडीएआई (13) (2018 का संख्यांक 1) में प्रकाशित हुए थे।

(7) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सूचना प्रौद्योगिकी (संरक्षित प्रणाली के लिए सूचना सुरक्षा पद्धतियां और प्रक्रियाएं) नियम, 2018, जो 1 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2235(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का॰आ॰ 1411 (अ), जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित स्कोप्स के साथ भारत के भीतर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक के रूप में डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज, गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, हैदराबाद को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का॰आ॰ 1412 (अ), जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित स्कोप्स के साथ गुजरात राज्य में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक के रूप में डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, गांधीनगर (गुजरात) को अधिसूचित किया गया है।

(चार) का॰आ॰ 1413 (अ), जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित स्कोप्स के साथ भारत के भीतर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक के रूप में सीरियस फ्राड इंवेस्टीगेशन ऑफिस, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कम्प्यूटर सेंट्रल फॉरेंसिक एंड डाटा माइनिंग लेबोरेटरी को अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का॰आ॰ 1635 (अ), जो 17 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित स्कोप्स के साथ भारत के भीतर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के अधीन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, सेक्टर 14, रोहिणी, नई दिल्ली को अधिसूचित किया गया है।

(8) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नेशनल हाई स्पीड रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हाई स्पीड रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) मौलाना आजाद शिक्षा फॉउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आजाद शिक्षा फॉउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (पांचवां संशोधन) नियम, 2017 जो 23 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 490(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(15) (एक) वस्त्र समिति, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वस्त्र समिति, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सेंट्रल कॉटिज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) हैंडीक्रॉफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम एक्सपोर्ट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

6. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि अपनी 6 अगस्त, 2018 को हुई बैठक में, राज्य सभा संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017 में लोक सभा द्वारा 2 अगस्त, 2018 को किए गए वैकल्पिक संशोधनों तथा और संशोधनों से सहमत हुई।

(दो) कि अपनी 6 अगस्त, 2018 को हुई बैठक में, राज्य सभा ने 10 अप्रैल, 2017 को लोक सभा द्वारा पारित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2017 को संशोधनों के साथ पारित कर दिया है और विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा दिया है कि उक्त संशोधनों पर लोक सभा की सहमति राज्य सभा को सूचित की जाए।

(तीन) कि अपनी 6 अगस्त, 2018 को हुई बैठक में, राज्य सभा 30 जुलाई, 2018 को लोक सभा द्वारा पारित दांडिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2018 में बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

7. विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित — सभा पटल पर रखा गया

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2017

8. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोक लेखा समिति (2018-19) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'विनिर्दिष्ट रोगाणुमुक्त झींगा बीज प्रवर्धन केन्द्र (एनएफडीबी) की स्थापना पर निष्फल व्यय' के बारे में 33वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 107वां प्रतिवेदन।

(2) 'भारतीय रेल में रिक्त भूमि का प्रबंधन' के बारे में 93वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 108वां प्रतिवेदन।

(3) 'भारतीय रेल में परियोजनाओं का लेखांकन' विषय पर 109वां प्रतिवेदन।

(4) 'आईसीएआर के लेखाओं की परीक्षा', 'निर्दिष्ट उद्देश्य की अप्राप्ति' और 'नारियल विकास बोर्ड की निधियों को अवरुद्ध करना' विषय पर 110वां प्रतिवेदन।

(5) 'विनियंत्रित फास्फैटी और पोटाशी उर्वरकों के लिए पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी नीति' के बारे में 65वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 111वां प्रतिवेदन।

9. लोक लेखा समिति के विवरण

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोक लेखा समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 'एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) योजना' के बारे में 35वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(2) विदेश मंत्रालय द्वारा 'वैश्विक संपदा प्रबंधन' के बारे में 61वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(3) अंतरिक्ष विभाग द्वारा 'डीटीएच सेवाओं के लिए उपग्रह क्षमता का प्रबंधन' के बारे में 71वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(4) वित्त मंत्रालय द्वारा 'केन्द्रीय उत्पाद और सेवा कर में अभियोजन और शास्तियों का प्रशासन' के बारे में 77वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

10. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का कार्यवाही सारांश

श्री पी॰ करूणाकरन ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 2 अगस्त, 2018 को हुई बारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

11. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियम, 2014 के बारे में समिति (16वीं लोक सभा) के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 34वां प्रतिवेदन।

(2) सांविधिक आदेशों की जांच के बारे में समिति के 5वें प्रतिवेदन 16वीं लोक सभा में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 35वां प्रतिवेदन।

(3) सांविधिक आदेशों की जांच के बारे में समिति के 9वें प्रतिवेदन 16वीं लोक सभा में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 36वां प्रतिवेदन।

12. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री कलराज मिश्र ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का 28वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

13. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री चन्द्रकांत खैरे ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2017-18) का बाईसवां, तेईसवां और चौबीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

14. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2018-19) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित 'अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विशेष संदर्भ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जांच' विषय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 28वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 24वां प्रतिवेदन।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित 'सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियां उपयोजना (एससीएसपी) का अनुश्रवण तथा अनुसूचित जातियों के विकास और कल्याण के लिए इसका कार्यान्वयन' विषय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 25वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(3) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित 'जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजातियां उपयोजना (टीएसपी) का अनुश्रवण तथा अनुसूचित जनजातियों के

विकास और कल्याण के लिए इसका कार्यान्वयन' विषय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 26वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

15. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के विवरण

डॉ॰ किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखें:—

(1) 'गृह मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए संपर्क अधिकारियों का कार्यकरण' के बारे में 9वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 14वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण।

(2) वित्त मंत्रालय, (वित्तीय सेवाएं विभाग) से संबंधित 'यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन तथा बैंक द्वारा उनको प्रदान की जा रही साख सुविधाएं' के बारे में 34वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 17वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अन्तिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

16. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री गणेश सिंह ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'चिकित्सा संस्थाओं में ओबीसी के लिए कार्यान्वित की जा रही आरक्षण नीति की समीक्षा' के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'तेल और प्राकृतिक गैस निगम में रोजगार में ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 14वां प्रतिवेदन।

(3) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय खाद्य निगम में रोजगार में ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

(4) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'एनटीपीसी लिमिटेड में रोजगार में ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' संबंधी 16वां प्रतिवेदन।

17. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 77वां प्रतिवेदन।

(2) कोयला मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 78वां प्रतिवेदन।

(3) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 79वां प्रतिवेदन।

(4) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 80वां प्रतिवेदन।

(5) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 81वां प्रतिवेदन (माने गए)।

(6) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 82वां प्रतिवेदन (न माने गए)।

18. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती विजया चक्रवर्ती ने महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 12वां प्रतिवेदन।

(2) 'हिरासत में महिलाएं और न्याय तक उनकी पहुंच' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

19. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का विवरण

श्रीमती विजया चक्रवर्ती ने 'जनजातीय महिलाओं का सशक्तिकरण' विषय पर छठे प्रतिवेदन (2015-2016) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2016-2017) के 9वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम-की-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

20. कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री मुकेश राजपूत ने कृषि संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-2019)' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (2017-18) के 50वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 60वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यिकी विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2018-2019)' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (2017-18) के 49वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 61वां प्रतिवेदन।

21. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2017-18) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'ग्रामीण बीपीओ का विस्तार और उनके सामने आ रही चुनौतियां' विषय पर 53वां प्रतिवेदन।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'गीत और नाटक प्रभाग के कार्यकरण की समीक्षा' के बारे में समिति के 49वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 54वां प्रतिवेदन।

22. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ एम॰ वीरप्पा मोइली ने वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) ''चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018'' संबंधी 62वां प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय, (आर्थिक मामले, व्यय, वित्तीय सेवाएं और निवेश तथा लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में 57वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 63वां प्रतिवेदन।

(3) वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में 58वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 64वां प्रतिवेदन।

(4) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में 59वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 65वां प्रतिवेदन।

(5) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में 60वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 66वां प्रतिवेदन।

(6) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में 61वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 67वां प्रतिवेदन।

23. श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ किरीट सोमैया ने श्रम संबंधी स्थायी समिति का 40वां, 41वां और 42वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) विदेश मंत्रालय से संबंधित 'परिचारिकाओं और सेविकाओं सहित महिला कामगारों का विदेश में नियोजन, मुद्दे तथा विनियामक ढांचा' के बारे में 40वां प्रतिवेदन।

(2) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित 'जन शिक्षण संस्थान स्कीम' के बारे में 41वां प्रतिवेदन।

(3) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित विभिन्न पीएफ अधिनियमों के कार्यान्वयन की तुलना में अपवर्जित श्रेणी पर ईपीएफओ का विनियामक ढांचा के बारे में 42वां प्रतिवेदन।

24. श्रम संबंधी स्थायी समिति द्वारा की-गई-कार्रवाई विवरण

डॉ॰ किरीट सोमैया ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2017-18)' के बारे में श्रम स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के बारे में समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2017-18)' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के बारे में समिति के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

25. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रहलाद जोशी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2017-18) के 23वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 25वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

26. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री प्रहलाद जोशी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2017-18)' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (2017-18) के 21वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) 'उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र' विषय पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (2017-18) के 22वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)

के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

27. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अभिजित मुखर्जी ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2017-18) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में 20वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 22वां प्रतिवेदन।

(2) 'उद्योगों द्वारा जल के वाणिज्यिक दोहन का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव' विषय पर 23वां प्रतिवेदन।

28. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री रमेश बैस ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2017-18) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) से संबंधित 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) की सूक्ष्म-साख वित्त योजनाओं का प्रभाव विश्लेषण' के बारे में 54वां प्रतिवेदन।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) के 'सहायक उपकरण/साधित्रों (एडीआईपी) की खरीद/फिटिंग के लिए नि:शक्त व्यक्तियों को सहायता स्कीम का कार्यान्वयन' के बारे में 48वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 55वां प्रतिवेदन।

(3) जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'जनजातियों के लिए शैक्षणिक योजनाएं' के बारे में 49वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 56वां प्रतिवेदन।

(4) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2018-2019)' के बारे में 50वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 57वां प्रतिवेदन।

(5) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2018-2019)' के बारे में 51वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 58वां प्रतिवेदन।

(6) जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में 52वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 59वां प्रतिवेदन।

(7) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में 53वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 60वां प्रतिवेदन।

(8) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) 'भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को) के कार्यकरण की समीक्षा' संबंधी 61वां प्रतिवेदन।

(9) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 'बहु-बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) स्कीम/प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) का कार्यान्वयन' संबंधी 62वां प्रतिवेदन।

29. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री भैरों प्रसाद मिश्र ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 303वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 306वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

30. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री रवीन्द्र कुमार जेना ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित साख से जुड़ी पूंजी सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) संबंधी 289वां प्रतिवेदन।

(2) लोक उद्यम विभाग (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) से संबंधित सीपीएसई के बोर्डों का व्यवसायीकरण संबंधी 290वां प्रतिवेदन।

31. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ संजय जायसवाल ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के कार्यकरण पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का 110वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

32. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने (i) 'विमान कंपनियों के बेड़े में वृद्धि' के बारे में सर्वश्री एस॰ पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा और राजेश भाई चुड़ासमा, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 446 के संबंध में 19 जुलाई, 2018 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारणों को बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 311वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

(3) श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:—

(एक) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'ईपीएफओ से छूट प्राप्त संगठन/न्यास/प्रतिष्ठान:प्रदर्शन, मुद्दे और चुनौतियां' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'उपकर निधियां और कामगारों के कल्याण के लिए उनका उपयोग' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) श्रम और रोजगार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-2019)' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(4) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री की ओर से कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन संबंधी स्थायी समिति के 95वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

(5) युवा मामले और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे—

(एक) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'टीवी डिजिटलीकरण और सेटटॉप बॉक्स की अंतरसंचलनीयता की स्थिति' के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 44वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'गीत और नाटक प्रभाग के कार्यकरण की समीक्षा' के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 49वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(6) रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

(7) विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे—

(एक) विदेश मंत्रालय से संबंधित संवर्ग के लिए अलग से यूपीएससी परीक्षा की आवश्यकता, मिड कैरियर एंट्री और सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा उन्मुखीकरण सहित आईएफएस संवर्ग की भर्ती, संरचना और क्षमता-निर्माण के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) विदेश मंत्रालय से संबंधित 'भारत-पाक संबंध' विषय पर विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(8) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे—

(एक) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में

अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित 'आईटीआई और कौशल विकास पहल स्कीम' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(9) नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 257वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

(10) वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री ने वस्त्र मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

(11) रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के संबंध में विवरण सभा पटल पर रखे—

(एक) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'सामान्य रक्षा बजट, रक्षा मंत्रालय का सिविल व्यय (मांग संख्या 20) और रक्षा पेंशन (मांग संख्या 21)' के बारे में अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) रक्षा मंत्रालय से संबंधित थल सेना, नौ सेना और वायु सेना (मांग संख्या 22) के बारे में अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

*अपराह्न 12.21 बजे

33. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) डीएनए प्रौद्योगिकी (प्रयोग और लागू होना) विनियमन विधेयक, 2018

डॉ॰ हर्षवर्धन द्वारा डीएनए प्रौद्योगिकी (प्रयोग और लागू होना) विनियमन विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिए पेश किए गए प्रस्ताव का विरोध किया गया।

---

*अपराह्न 12.25 बजे से अपराह्न 12.42 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

श्री अधीर रंजन चौधरी ने विधेयक को पुर:स्थापित करने का विरोध किया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने सदस्य द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

तत्पश्चात् प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित हुआ।

(दो) *मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक,* 2018

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.42 *बजे स्थगित हुई और*
अपराह्न 1.03 *बजे पुन: समवेत हुई)*

अपराह्न 1.03 बजे

34. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उत्तर प्रदेश में उदयपुर-खजुराहो एक्सप्रेस की सेवाओं को मानिकपुर जंक्शन तक तथा सरयू एक्सप्रेस को चित्रकूट धाम या बांदा तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री निहाल चन्द द्वारा राजस्थान को सतलज नदी के जल का समुचित हिस्सा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री विक्रम उसेंडी द्वारा छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अंतर्गत में मेटाबोदेली ग्राम में खनन क्रियाकलापों में कथित अनियमितताओं के बारे में।

(4) श्री लखन लाल साहू द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री विद्युत वरण महतो द्वारा भारी वाहनों की भार वहन क्षमता के बारे में।

(6) श्री धर्मवीर सिंह द्वारा देश में पानी की कमी के बारे में।

(7) श्री गोपाल शेट्टी द्वारा मुंबई में स्थित मलिन बस्तियों में जन सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के बारे में।

(8) श्री रमेन डेका द्वारा प्लास्टिक से बने थैलों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बारे में।

(9) श्री रामदास सी॰ तडस द्वारा महाराष्ट्र में 'वर्धा-यावतमल-नांदेड' रेल लाइन हेतु भूमि अधिग्रहण कार्य में तेजी लाए जाने के बारे में।

(10) श्री शरद त्रिपाठी द्वारा उत्तर प्रदेश में संत कबीर से जुड़े महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों के आस-पास अतिक्रमणों के बारे में।

(11) श्री निशिकान्त दुबे द्वारा झारखंड में लंबित रेल परियोजनाओं के बारे में।

(12) श्री रामेश्वर तेली द्वारा डिब्रुगढ़ से मुंबई तक के लिए एक साप्ताहिक रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह द्वारा मसूरी और देहरादून के बीच टॉय ट्रेन सेवा आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री डी॰के॰ सुरेश द्वारा कर्नाटक में आम उत्पादकों की समस्याओं के बारे में।

(15) श्री एम॰आई॰ शनवास द्वारा चर्च में अपराध स्वीकरण (कनफेशन) पर प्रतिबंध के बारे में।

(16) श्री सी॰ गोपालकृष्णन द्वारा मदुरै स्थित नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना के बारे में।

(17) श्री के॰ अशोक कुमार द्वारा देश में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति किए जाने के बारे में।

(18) श्री रवीन्द्र कुमार जेना द्वारा ओडिशा के बालासोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नमक कृषि के बारे में।

(19) श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा चंडीगढ़/मोहाली स्थित अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन का नामकरण शहीद भगत सिंह के नाम पर किए जाने के बारे में।

(20) श्री धर्म वीर गांधी द्वारा मेघालय में सिख समुदाय की स्थिति के बारे में।

(21) श्री नव कुमार सरनीया द्वारा असम में बीटीसी क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

35. सांविधिक संकल्प—स्वीकृत

(एक) श्री पीयूष गोयल ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उप-धारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क (1) के अनुसरण में, यह सभा एतद्द्वारा, 10 अप्रैल, 2018 को जारी अधिसूचना संख्या 43/2018-सी॰शु॰, जिसका आशय टैरिफ उपशीर्ष

0404 10 (छाछ और संशोधित छाछ, चाहे वह गाढ़ा है या नहीं अथवा उसमें चीनी या अन्य मीठा करने वाली सामग्री मिलायी गई हो या नहीं) के अंतर्गत कवर की गई तीन टैरिफ मदों तथा टैरिफ मद 0404 90 00 (अन्य छाछ) पर आधारभूत सीमा-शुल्क (बीसीडी) की टैरिफ दर 30% से बढ़ाकर 40% करना है, का अनुमोदन करती है।''

संकल्प स्वीकृत हुआ।

(दो) श्री पीयूष गोयल ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उप-धारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क(1) के अनुसरण में, यह सभा एतद्द्वारा, 23 मई, 2018 की अधिसूचना संख्या 45/2018-सीमा शुल्क, जिसका आशय छिलके वाले अखरोट पर आधारभूत सीमा-शुल्क (बीसीडी) की टैरिफ दर को 30% से बढ़ाकर 100% करना तथा प्रोटीन कान्सनट्रेट्स और टैक्सचर्ड प्रोटीन पदार्थों पर आधारभूत सीमा-शुल्क (बीसीडी) की टैरिफ दर का 30% से बढ़ाकर 40% करना है, का अनुमोदन करती है।''

संकल्प स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.07 बजे

36. सरकारी विधेयक—पारित

(एक) केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018;

(दो) एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018;

(तीन) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018; *और*

(चार) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन विधेयक, 2018

लिया गया समय: 3 घंटे 23 मिनट

श्री पीयूष गोयल ने (एक) केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 ; (दो) एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018; (तीन) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018; और (चार) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन विधेयक, 2018 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 1.08 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.03 *बजे पुन: समवेत हुई)*

अपराह्न 2.03 बजे

श्री पीयूष गोयल ने अपना भाषण प्रारंभ किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:–

1. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे
2. डॉ॰ जे॰ जयवर्धन
3. प्रो॰ सौगत राय
4. श्री कलिकेश एन॰ सिंह देव
5. श्री आनंदराव अडसुल
6. श्री जैदेव गल्ला
7. श्री कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी
8. श्री पी॰ करूणाकरन
9. श्रीमती बुत्ता रेणुका
10. श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा
11. डॉ॰ धर्म वीर गांधी
12. कुँवर हरिवंश सिंह
13. श्री राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव
14. डॉ॰ रवीन्द्र कुमार राय
15. श्री कौशलेन्द्र कुमार
16. श्रीमती अपरूपा पोद्दार

श्री पीयूष गोयल ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

(एक) केंन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ किया गया।

खंड 2 से 32 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पीयूष गोयल द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

(दो) एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ किया गया।

खंड 2 से 8 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पीयूष गोयल द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

(तीन) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ किया गया।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पीयूष गोयल द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

(चार) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन विधेयक, 2018 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ किया गया।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री पीयूष गोयल द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 5.26 बजे

37. सरकारी विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन—सहमति हुई

#राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2017

श्री थावर चंद गहलोत ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, लोक सभा द्वारा यथापारित, में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:—

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"अड़सठवें" **के स्थान पर** "उनहत्तरवें" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खण्ड 1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

अंक "2017" **के स्थान पर** अंक "2018" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री थावर चंद गहलोत ने प्रस्ताव किया कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधनों पर सहमति हुई।

अपराह्न 5.28 बजे

38. सरकारी विधेयक—आस्थगित

अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2018

श्री शिव प्रताप शुक्ला द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

श्री निशिकांत दुबे द्वारा किए गए इस अनुरोध, कि विधेयक को स्थायी समिति को सौंपा जाए, पर उपाध्यक्ष ने सभा की अनुमति चाही। सभा सहमत हुई। तदनुसार, विधेयक पर चर्चा आस्थगित की गई।

विधेयक 10 अप्रैल, 2017 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था तथा इसे राज्य सभा की सहमति के लिए राज्य सभा को प्रेषित किया गया था। राज्य सभा ने 6 अगस्त, 2018 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया और इसे 7 अगस्त, 2018 को लोक सभा को लौटा दिया।

अपराह्न 5.30 बजे

39. सरकारी विधेयक—पारित

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017

लिया गया समय: 1 घंटा 13 मिनट

श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री आर॰ गोपालकृष्णन
2. श्री राजीव प्रताप रूडी
3. प्रो॰ (डॉ॰) ममताज संघमिता
4. श्री आनंदराव अडसुल
5. श्री कलिकेश एन॰ सिंह देव
6. श्री जैदेव गल्ला
7. श्री कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी
8. श्री मोहम्मद सलीम
9. डॉ॰ धर्म वीर गांधी
10. श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा
11. श्री दुष्यंत चौटाला
12. कुँवर हरिवंश सिंह

श्री रवि शंकर प्रसाद ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ किया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 1 यथा संशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा विधेयक, यथासंशोधित पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथा संशोधित पारित हुआ।

@रात्रि 8.30 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 10 *अगस्त,* 2018 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

@सायं 6.44 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

MGIPMRND—1593LS(S3)—09-08-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940 (शक)

संख्या 304

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 341, 343, और 346 के मौखिक उत्तर दिए गए। सदस्य जिनके नाम तारांकित प्रश्न सं॰ 342, 344 और 345 सूचीबद्ध थे अनुपस्थित थे, यद्यपि संबंधित मंत्री ने उनके उत्तर सभा पटल पर रखे। सदस्यों द्वारा प्रश्न सं॰ 342, 344 और 345 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 347—360 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3911—4140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 24 की उप-धारा (3) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम, 2018 जो 12 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 630(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 24 की उप-धारा (3) के अंतर्गत उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता संशोधन नियम, 2018 जो 12 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 631(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के समेकित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर रज़ा पुस्तकालय, रामपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) खुदाबख्श ओरियंटल सार्वजनिक पुस्तकालय, पटना के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खुदाबख्श ओरियंटल सार्वजनिक पुस्तकालय, पटना के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) बौद्ध सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र, तवांग के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बौद्ध सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र, तवांग के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) तिब्बत हाउस, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तिब्बत हाउस, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) तिब्बत हाउस, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) केन्द्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान, दाहुंग के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान, दाहुंग के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (सीमा पार विलय) विनियम, 2018 जो 20 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 244(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में स्थावर संपत्ति का अर्जन और अंतरण) विनियम, 2018 जो 26 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 280(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियम, 2018 जो 1 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 520(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 26 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 279(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(34) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 27 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2018 जो 25 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 675(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) अधिसूचना सं॰का॰आ॰ 1964(अ) जो 17 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसमें वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 की धारा 6 और 8

के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग के एक सदस्य के रूप में (अंशकालिक) श्री अशोक लाहिड़ी की नियुक्ति के बारे में आदेश अंतर्विष्ट है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सिक्का निर्माण (श्री गुरु गोविन्द सिंह जी की 350वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2018 जो 26 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 281(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) एक रुपये के करेंसी नोट का मुद्रण नियम, 2018 जो 31 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 99(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सिक्का निर्माण (श्री प्रसांत चन्द्र महालनोबिस की 125वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2018 जो 28 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 592(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(37) (एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 9 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2016 जो 14 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ एएक्स1/एसटी/पेंशन रेग॰/1524/2017-18 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो 14 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ एएक्स1/एसटी/ओएसआर/1324/2017-18 में प्रकाशित हुए थे।

(42) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 718(अ) जो 30 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्ररूप जीएसटीआर-6 फाइल करने की निर्धारित तारीख को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 692(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट माल पर केन्द्रीय कर की दरों को विहित करने वाली 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017-केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 693(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट माल पर केन्द्रीय कर दरों से छूट प्रदान करने वाली 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 2/2017-केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 694(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई माह, 2018 तक, के लिए कर के संदाय

के पश्चात् बकाया विनिर्दिष्ट संचित आईटीसी के व्यपगत होने के अध्यधीन टेक्सटाइल फैब्रिक पर संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस किए जाने की अनुमति देने वाली 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 5/2017-केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 695(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट दस्तकारी मदों पर रियायती सीजीएसटी दर विहित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(43) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 696(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट माल पर एकीकृत कर की दरों को विहित करने वाली 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017—एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 697(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट माल पर एकीकृत कर दरों से छूट प्रदान करने वाली 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 2/2017—एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 698(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई माह, 2018 तक, के लिए कर के संदाय के पश्चात् बकाया विनिर्दिष्ट संचित आईटीसी के व्यपगत होने के अध्यधीन टेक्सटाइल फैब्रिक पर संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस किए जाने की अनुमति देने वाली 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 5/2017—एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 699(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट दस्तकारी मदों पर रियायती आईजीएसटी दर विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(44) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 700(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट माल पर संघ राज्यक्षेत्र कर की दरों को विहित करने वाली 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017—संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 701(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट माल पर संघ राज्यक्षेत्र कर की दरों से छूट प्रदान करने वाली 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 2/2017—संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 702(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई माह, 2018 तक, के लिए कर के संदाय के पश्चात् बकाया विनिर्दिष्ट संचित आईटीसी के व्यापगत होने के अध्यधीन टेक्सटाइल फैब्रिक पर संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस किए जाने की अनुमति देने वाली 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 5/2017—संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 703(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा विनिर्दिष्ट दस्तकारी मदों पर रियायती यूटीजीएसटी दर विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(45) प्रतिकर उपकर माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 704(अ) जो 26 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय विनिर्दिष्ट माल पर प्रतिकर उपकर दरें विहित करने वाली 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017—प्रतिकर उपकर (दर) में संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(46) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 705 (अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय उर्वरक विभाग द्वारा उर्वरक विपणन संस्थाओं को खुला समुद्र विक्रय आधार पर जिस मूल्य (कीमतों में पूल) पर यूरिया का विक्रय किया जाता है उस मूल्य से अधिक निर्धारणीय मूल्य पर परिकलित आईजीएसटी से छूट प्रदान करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(47) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप धारा (5) के अंतर्गत सा॰का॰नि॰ 717(अ) जो 30 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उक्त अधिनियम के शीर्षक 8541 के अंतर्गत आने वाले 'मोडूयल या पैनल में असेम्बल किए गए या नहीं किए गए सोलर सेल' के आयात पर 2 वर्ष की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क लगाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(48) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) 14वां संशोधन विनियम, 2017 जो 13 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ मानक ओ॰ एण्ड एफ/अधिसूचना(3)/एफएसएसएआई-2016 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) तीसरा संशोधन विनियम, 2018 जो 15 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1/शिशु पोषण/मानक/ अधिसूचना/एफएसएसएआई-2016 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) पहला संशोधन विनियम, 2018 जो 8 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ रेग॰/11/25/आयात संशोधन/ एफएसएसएआई-2017 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) पहला संशोधन विनियम, 2018 जो 26 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰/मानक/ओ एण्ड एफ/अधिसूचना(5)/एफएसएसएआई-2016 में प्रकाशित हुए थे।

(49) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 29 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विनियम, 2011, जो 19 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ एफ॰ 14-369(98)को-आर्डिनेशन सेल/ स्था॰1 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विनियम,1981, जो 10 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 914 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विनियम, 2012, जो 29 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 14-3/69(98)को-आर्डिनेशन सेल/स्था॰1 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विनियम, 1998, जो 30 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 373(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विनियम, 2003, जो 7 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ 14-3/69/स्था॰2 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विनियम, 2009, जो 2 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ 20-7/2007-स्था॰1 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विनियम, 1999, जो 26 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ 14-3/69/99/स्था॰1 में प्रकाशित हुए थे।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले सात विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ एनसीटीई-आरईजीएल 012/16/2018, जो 29 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 23 अगस्त, 2010 की अधिसूचना सं॰ एफ सं॰ 61-03/20/2010/एनसीटीई (एनएंडएस) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) (एक) यूईई मिशन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यूईई मिशन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) (एक) हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), पंचकुला के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), पंचकुला के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) (एक) महिला समाख्या सोसायटी गुजरात, अहमदाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समाख्या सोसायटी गुजरात, अहमदाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) (एक) गोवा सर्व शिक्षा, अभियान, गोवा के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोवा सर्व शिक्षा, अभियान, गोवा के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) उपर्युक्त (58) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2013-2014 और 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2013-2014 और 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) उपर्युक्त (60) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान असम, गुवाहाटी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान असम, गुवाहाटी के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) उपर्युक्त (62) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सशस्त्र सीमा बल (योद्धक अभियंता संवर्ग समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018, जो 21 जुलाई, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 220 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केरल लैंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2010-2011 और 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल लैंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2010-2011 और 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत लक्षद्वीप डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, कवारत्ती के वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हिन्दुस्तान एंटीबॉयोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिदुस्तान एंटीबॉयोटिक्स लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2016-17 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(69) उपर्युक्त (68) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश 2018, जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3663(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ हुबली के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ हुबली के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ हुबली के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(73) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(75) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) उपर्युक्त (75) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(77) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, मंडी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, मंडी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, मंडी के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) उपर्युक्त (77) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(79) एडसिल (इंडिया) लिमिटेड तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(80) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान रांची, रांची के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान रांची, रांची के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(81) उपर्युक्त (80) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(82) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान काशीपुर, काशीपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान काशीपुर, काशीपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(83) उपर्युक्त (82) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(84) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(85) उपर्युक्त (84) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(86) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान नागपुर, नागपुर के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान नागपुर, नागपुर के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(87) उपर्युक्त (86) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(88) (एक) भारतीय प्रबंध सस्थान सिरमौर, सिरमौर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान सिरमौर, सिरमौर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(89) उपर्युक्त (88) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(90) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापकों और अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं, तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के लिए अन्य उपाय) विनियम, 2018, जो 18 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ-1-2/2017 (ईसी/पीएस) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ऑनलाइन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम) विनियम, 2018, जो 4 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰ 1-19/2016(सीपीपी-दो/ डीईबी-1) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षण संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा को प्रोत्साहन और साहित्यिक चोरी का निवारण) विनियम, 2018 जो 31 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰ 1-18/2010(सीपीपी-2) में प्रकाशित हुए थे।

(91) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सीयूके/एडमिन/अध्यादेश/2010 जो 29 जून, 2018 के भारत के

राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उसमें उल्लिखित केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय के, 20 अध्यादेशों के संशोधन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से संदेश प्राप्त होने की सूचना दी कि राज्य सभा 9 अगस्त, 2018 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 6 अगस्त, 2018 को पारित अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2018 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. विधेयकों पर अनुमति

महासचिव ने संसद के सदनों द्वारा सोलहवीं लोक सभा के पन्द्रहवें सत्र के दौरान पारित निम्नलिखित दो विधेयकों को सभा पटल पर रखा और राष्ट्रपति द्वारा उन पर अनुमति दी गई:—

1. भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018; और

2. स्टेट बैंक (निरसन और संशेधन) विधेयक, 2018

6. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश

डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की 14वें और 15वें सत्रों के दौरान हुई 39वीं से 43वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

7. लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने ''विनिमय दर का गलत स्वीकरण और सेवा प्रदाता को अनुचित लाभ'' विषय पर लोक लेखा समिति (2018-19) का 112वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. रेल अभिसमय समिति के विवरण

श्री भर्तृहरि महताब ने रेल अभिसमय समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) 'भारतीय रेल के अवसंरचना निर्माण में इरकॉन की भूमिका' के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में

7वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(2) 'रिक्त रेल भूमि का वाणिज्यिक उपयोग—रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (आरएलडीए) की भूमिका' के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 8वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(3) 'भारतीय रेल की वित्त पोषण विकास आवश्यकताओं में आईआरएफसी की भूमिका और एसपीवी पद्धति के उपयोग' के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 13वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(4) 'सड़क और वायु परिवहन की तुलना में रेल यातायात का हिस्सा-एक मूल्यांकन' के बारे में समिति के पांचवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 14वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(5) 'राईट्स द्वारा परामर्श, अभियांत्रिकी और परियोजना प्रबंध सेवाएं' के बारे में समिति के नौवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 18वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(6) 'भारतीय रेल में कबाड़ निपटान प्रणाली' के बारे में समिति के दसवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 19वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(7) 'भारतीय रेल में हरित ऊर्जा पहल' के बारे में समिति के बारहवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 22वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

9. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी ने 'दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनका नियोजन' के बारे में समिति के 15वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2018-19) का 27वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करेंगे।

10. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने (i) 'वन भूमि' के बारे में श्री हरिनरायन राजभर, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1205 के 22 दिसम्बर, 2017 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने (ii) 'पारिस्थितिकीय असंतुलन' के बारे में श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1214 के 22 दिसम्बर, 2017 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (iii) उत्तरों में शुद्धि करने में विलम्ब के कारण बताने वाले वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने 'मोबाइल टावरों की कमी' के बारे में श्री रामसिंह राठवा, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 316 के 8 अगस्त, 2018 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 53वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

11. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

स्वीय विधि (संशोधन) विधेयक, 2018

अपराह्न 12.09 बजे

12. सदस्यों द्वारा निवेदन

सर्वश्री पी॰ करूणाकरन और श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल ने केरल में भारी पैमाने पर बाढ़ आने और भूस्खलन होने के परिणामस्वरूप कई लोगों की मौत होने के बारे में निवेदन किया। श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्री राजीव शंकरराव सातव, श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन, श्री एम॰के॰ राघवन, डॉ॰ शशि थरूर, श्री रवीन्द्र कुमार जेना और डॉ॰ कुलमणि सामल सहयोजित हुए।

@श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 01.06 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 02.07 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.07 बजे

13. सरकारी विधेयक—पारित

माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018

लिया गया समय: 1 घंटा 30 मिनट

श्री रवि शंकर प्रसाद की ओर से श्री पी॰पी॰ चौधरी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री सुनील कुमार जाखड़
2. श्री शरद त्रिपाठी
3. श्री ए॰ अनवर राजा
4. प्रो॰ सौगत राय
5. डॉ॰ रविन्द्र बाबू
6. श्री अरविन्द सावंत
7. श्री बी॰ विनोद कुमार
8. श्री मोहम्मद सलीम
9. श्री गोपाल शेट्टी
10. कुमारी सुष्मिता देव

अपराह्न 12.09 बजे से अपराह्न 01.06 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

@ गृह मंत्री।

श्री रवि शंकर प्रसाद ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार शुरू किया गया।

खंड 2 से 15 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 3.38 बजे

14. विदाई संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने 16वीं लोक सभा के पंद्रहवें सत्र के समापन पर विदाई उल्लेख किया।

अपराह्न 3.45 बजे

15. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

अपराह्न 3.47 बजे

(लोक सभा अपराह्न 3.47 *बजे* अनिश्चित काल *के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—1621LS(S3)—10-08-2018.